नवम माला,

12 मार्च, 1991
फाल्गुन, 1912 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

सातवां सत्र

(नौवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No.

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

नवम माला, खंड 14, सातवां सत्र, 1991/1912 (शक)

अंक 11, मंगलवार 12 मार्च, 1991/21 फाल्गुन, 1912 (शक)

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गए पत्र	1—5
राज्य सभा से सन्देश	5—32—34
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति	6
(एक) अध्ययन दौरों के प्रतिवेदन—प्रस्तुत	
(दो) छठा प्रतिवेदन —प्रस्तुत	
सभा के कार्य के बारे में	6—14
विधेयक—वापस लिया गया	
संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक	14
संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (दूसरा संशोधन) विधेयक	14—31
पुर:स्थापित	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री सत्य प्रकाश मालवीय	
खंड वार विचार	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री सत्य प्रकाश मालवीय	
श्री ए० के० राय	
भूतपूर्व संसद सदस्यों को रेल सुविधाएं दिए जाने के बारे में विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति	34
विशेषाधिकार समिति	34
दूसरा प्रतिवेदन—प्रस्तुत	
पंजाब राज्य के सम्बन्ध में 11 मई, 1987 को जारी की गई उद्घोषणा को आगे लागू रखे जाने का अनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प	35—69
श्री सत्य प्रकाश मालवीय	35—36
श्री कृपाल सिंह	36—39
स० अतिन्दर पाल सिंह	39—43

विषय	पृष्ठ
प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा	43
श्रीमती राजिन्द्र कौर बुलारा	43—45
श्री इन्द्रजीत गुप्त	45—47
प्रो० एन० जी० रंगा	47—51
श्री आई० के० गुजराल	51—53
डा० तम्बि दुरै	53—54
श्री सैफुद्दीन चौधरी	54—55
श्री कमल चौधरी	55
कुमारी मायावती	55—57
श्री राजदेव सिंह	57—60
श्री मानी भट्टाचार्य	60—61
श्री इन्द्र जीत	61—63
श्री नाथू राम मिर्धा	63—64
श्री चित्त बसु	64—65
श्री चन्द्र शेखर	65—71
अध्यक्ष द्वारा घोषणा	71—73

लोक सभा

मंगलवार, 12 मार्च, 1991/21 फाल्गुन, 1912 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

भारत में लोक सभा के नौवें आम चुनाव सम्बन्धी प्रतिवेदन

[अनुवाद]

वाणिज्य मन्त्री तथा विधि और न्याय मन्त्री (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी) : मैं भारत में लोक सभा के नौवें आम चुनाव (सांख्यिकी) सम्बन्धी प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 2284/91]

भारतीय जूट निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

[हिन्दी]

रेल मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री भक्त चरण दास) : मैं, श्री हुकमदेव नारायण यादव की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारतीय जूट निगम लिमिटेड, कलकत्ता से वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) भारतीय जूट निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 2285/91]

राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 1991

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : मैं, श्री सुबोध कांत सहाय की ओर से, निम्नलिखित पर सभा पटल पर रखता हूं :

राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 की धारा 13 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राज्यपाल (भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 1991, जो 13 फरवरी, 1991 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 64 (अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2286/91]

नारियल विकास बोर्ड, कोचीन का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

[अनुवाद]

कृषि मन्त्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मन्त्री (श्री जयन्तीलाल वीरचन्द-भाई शाह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 15 की उपधारा (4) के अन्तर्गत नारियल विकास बोर्ड, कोचीन के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नारियल विकास बोर्ड, कोचीन के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 17 की उपधारा (4) के अन्तर्गत नारियल विकास बोर्ड, कोचीन के वर्ष 1989-90 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2288/91]

बैंककारी कम्पनियां (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1970 और 1980 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मन्त्रालय में उप मंत्री तथा विदेश मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री दिग्विजय सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) केनरा बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन तथा अपील) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1988, जो 10 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना

संख्या आई० आर० पी० डी० पी० 403/88/जी० एस० आर० में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 2289/91]

(दो) केनरा बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम 1979 में संशोधन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2290/91]

(तीन) सिंडीकेट बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन तथा अपील) (संशोधन) विनियम 1988, जो 31 दिसम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 2291/91]

(चार) सिंडीकेट बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 1990, जो 5 मई, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 470/एस०/0090/पी० डी० आई० आर० डी० (ओ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 2292/91]

(पांच) इलाहाबाद बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन तथा अपील) विनियम, 1989 जो 6 जनवरी, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या विधिक/1/89 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 2293/91]

(छह) सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में संशोधन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2294/91]

(सात) बैंक आफ इण्डिया अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन तथा अपील) संशोधन विनियम, 1988 जो 22 अक्तूबर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या विभा०/III/IV/(38)/88 में प्रकाशित हुये थे ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 2295/91]

(आठ) बैंक आफ इण्डिया (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में संशोधन, जो 17 मार्च, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 2296/91]

(2) बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1980 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) निगम बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1982 में संशोधन ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 2297/91]

(दो) दि ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) विनियम, 1982, जो 12 नवम्बर, 1988 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 3905 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2298/91]

[हिन्दी]

नेशनल इन्स्टिट्यूट फार दि आर्थोपेडिकली हैन्डीकैप्ड, कलकत्ता का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : मैं श्री राम जी लाल सुमन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) नेशनल इन्स्टिट्यूट फार दि आर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, कलकत्ता के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इन्स्टिट्यूट फार दि आर्थोपेडिकली हैन्डीकैप्ड, कलकत्ता के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2287/91]

सेन्ट्रल काउन्सिल आफ इण्डियन मेडिसन, नई दिल्ली का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा

[अनुवाद]

खाद्य और नागरिक आपूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : मैं श्री देसाई चौधरी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) सेंट्रल काउन्सिल आफ इण्डियन मेडिसन, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल काउन्सिल आफ इण्डियन मेडिसन, नई दिल्ली के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण

दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 2299/91]

11.03 म० पू०

राज्य सभा से सन्देश

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न सदेशों की सूचना सभा को देनी है :

1. 'मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने आज 11 मार्च, 1991 को हुई अपनी बैठक में अर्जित प्रतिरक्षण न्यूनता संलक्षण (एड्स) निवारण विधेयक 1989 के बारे में दोनों सभाओं की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया :

"कि अर्जित प्रतिरक्षण न्यूनता संलक्षण (एड्स) निवारण विधेयक, 1989 के बारे में दोनों सभाओं की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने का समय और बढ़ाकर राज्य सभा के एक सौ साठवें सत्र के अन्तिम सप्ताह के प्रथम दिन तक किया जाए।" '

2. 'राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे विनियोग (रेल) लेखानुदान विधेयक, 1991 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 11 मार्च, 1991 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।'

3. 'राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (रेल) विधेयक, 1991 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 11 मार्च, 1991 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

4. 'राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (रेल) संख्या 2 विधेयक, 1991 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 11 मार्च, 1991 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।

11.03½ म० पू०

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

(एक) अध्ययन दौरों के प्रतिवेदन

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के अध्ययन दल-I के दिसम्बर, 1990 के दौरान मुम्बई, कोचीन तथा लक्षद्वीप के अध्ययन दौरे से सम्बन्धित प्रतिवेदन।

(दो) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के अध्ययन दल-II के दिसम्बर, 1990 के दौरान कलकत्ता, अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह और मद्रास के अध्ययन दौरे से सम्बन्धित प्रतिवेदन।

(दो) छठा प्रतिवेदन

श्री अनादि चरण दास मैं नागर विमानन मंत्रालय—इण्डियन एयर लाइन्स में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन के बारे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

— — — —

11.04 म० पू०

सभा के कार्य के बारे में

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस सभा की कार्य-सूची का सम्बन्ध है, उसमें संसद सदस्यों के वेतन, भत्तों और पेंशन (संशोधन) विधेयक सम्बन्धी विषय हैं। लेकिन हमें बताया गया था कि जब दूसरा सदन पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने सम्बन्धी संविधान (संशोधन) विधेयक को स्वीकृति दे देगा तब इस सभा में भी इस संकल्प को स्वीकार करना होगा और इस पर राष्ट्रपति की सहमति लेनी होगी। जब कल हमें यह बताया गया था, तब हमें कुछ सन्देह था कि क्या इस प्रकार के संकल्प की आवश्यकता है। उसके बाद मैंने संविधान के संगत प्रावधानों का अध्ययन किया और पाया कि इस प्रकार के संकल्प की आवश्यकता नहीं है। इस संकल्प का उद्देश्य सभा विघटित होने के मामले में एक आकस्मिक योजना प्रस्तुत करना है परन्तु संविधान में उसके लिए पहले से ही प्रावधान है।

संविधान के अनुच्छेद 356 खण्ड (4) के दूसरे परन्तुक में कहा गया है :

"परन्तु यह और कि यदि लोक सभा का विघटन छह मास की ऐसी अवधि के दौरान हो जाता है..."

अर्थात् मूल छह मास अथवा छह मास की बढ़ी हुई अवधि क्योंकि छह मास की बढ़ी हुई अवधि के सभी मामलों में इस सदन और दूसरे सदन को संकल्प स्वीकार करना होगा। लेकिन, इसमें कहा गया है कि यदि सभा का उस अवधि के दौरान विघटन होता है :

> "और ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया है, किन्तु ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखने के संबंध में कोई संकल्प लोक सभा द्वारा उक्त अवधि के दौरान पारित नहीं किया गया है, तो उद्घोषणा उस तारीख से, जिसको लोक सभा अपने पुनर्गठन के पश्चात् प्रथम बार बैठती है, तीस दिन की समाप्ति पर, प्रवर्तन में नहीं रहेगी"

यह विशेष परन्तुक तभी लागू होता है, जब यह सभा विघटित हो जाती है। चाहे दूसरे सदन ने समय बढ़ाए जाने सम्बन्धी संकल्प पारित कर दिया हो यदि इस सभा ने उसे पारित नहीं किया है, तो राष्ट्रपति शासन की अवधि कैसे बढ़ाई जा सकती है ? इसके लिए इसमें यह प्रावधान किया गया है कि जहां तक लोक सभा का सम्बन्ध है, जब यह पुनर्गठित होगी, तब वह इसकी पहली बैठक के तीस दिन बाद यह संकल्प स्वीकार करेगी। इसलिए मैं आपसे और सभा से यह कहना चाहूंगा कि इस विशेष मामले में जबकि संविधान में पहले से ही ऐसा प्रावधान है तो फिर क्यों हमें इस तरह का आकस्मिक कदम अपनाना चाहिए ? इस संकल्प को आज ही क्यों पारित करें और जबकि पहले से ही मई मास तक का समय अभी है। मैं यह नहीं कह सकता हूं कि मई तक कुछ मौलिक परिवर्तन हो जायेंगे। यह संविधान में संशोधन करने की आकस्मिक योजना है और इसके लिए इस सभा ने पहले अनुमति दे दी है। संविधान में संशोधन करके सरकार को यह अधिकार दिया गया है। कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अवधि न केवल चार वर्ष तक बल्कि चार से पांच वर्ष तक बढ़ा सके। इसलिए मैंने यह मुद्दा आपकी अनुमति से उठाया है। जब तक कि हमें सरकार इस बात से प्रभावित नहीं करेगी कि यह विशेष संकल्प क्यों आवश्यक है ? मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि इस अनावश्यक संकल्प को पारित नहीं किया जाना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, यह कल मेरी पहली प्रतिक्रिया थी . संविधान के अन्तर्गत यह आवश्यक नहीं है। अब हमें यह कहा जा रहा है कि सरकार यह अनुभव कर रही है कि इस तरह के संकल्प को इस सभा द्वारा भी पारित किया जाये। महोदय, अब यदि सरकार सभा को भंग करने के लिए विचार कर रही है तो फिर इस उपबन्ध के अन्तर्गत यह आवश्यक नहीं है। यदि सरकार यह मान कर चल रही है कि इस सभा को एक या दो दिन में भंग किया जाने वाला है तो फिर इस सभा द्वारा इस संकल्प का अनुमोदन आवश्यक नहीं है क्योंकि सभा के पुनर्गठन की पहली बैठक के तीस दिन के अन्दर यह होना चाहिए। महोदय यदि वर्तमान सभा जारी रहती है तो भी तीस दिन के अन्दर इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी यदि नहीं तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है अतएव सरकार के इस प्रयास से यह परिलक्षित होता है कि सरकार अभी भी यही सोच रही है। सरकार सभा को भंग करने की नीति की सिफारिश का अनुसरण कर रही है। महोदय यही कारण है कि इस सदन को जारी रखने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए हम सरकार से स्पष्ट रूप से यह जानना चाहते हैं कि इसकी योजना क्या है क्योंकि प्रतिदिन हम ऐसे तथाकथित घटनाएं तथा जोड़-तोड़ देख रहे हैं। हम नहीं जानते कि श्री बसंत साठे तथा श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी के प्रस्तावों को कार्यवाही के लिए प्राथमिकता नहीं दी जा रही है अथवा नहीं। इसलिए सदन को विश्वास में लिया जाना चाहिए। सभा और देश इसके परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। महोदय, इस मुद्दे को इस आधार पर नहीं टाला जा सकता कि इस पर उच्च स्तर पर विचार किया जा रहा

है। सम्पूर्ण सभा के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जा सकता। हम नहीं जानते कि यह क्या हो रहा है। महोदय, कल सभी वित्तिय विधेयकों को बिना किसी चर्चा के कम समय में पारित किया गया। इस प्रकार कल यह एक इतिहास बनाया गया है। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : गैर-वित्तीय विधेयकों को भी ऐसे ही स्वीकृति दी गई। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : संविधान (संशोधन) विधेयक भी कम से कम समय में बिना किसी चर्चा के पारित किया गया। यह केवल इस उद्देश्य से किया गया कि सदन को भंग करने में कोई कठिनाई न हो। सरकार ने अब जो प्रस्ताव रखा है इससे हमारे मन में शंका उत्पन्न हुई है। मुझे नहीं मालूम कि इस मुद्दे पर दूसरी बार अथवा तीसरी बार विचार किया गया है। जहां तक मेरी जानकारी है इस सभा के कुछ माननीय सदस्यगण आदरणीय राष्ट्रपति के पास इस आशय से गए थे कि सदन को भंग न किया जाये। वे सत्ता दल मे हैं। (व्यवधान) जब मैंने सत्ता दल की राय जाननी चाही तो कांग्रेस जो कि वास्तविक सत्ता रूढ़ है ने स्वाभाविक रूप से उत्तर दिया। जहां तक कानूनी रूप में सत्तादल का आज तक का सम्बन्ध है, हम जानते हैं कि जनता दल (समाजवादी) के आठ माननीय सदस्य राष्ट्र-पति से मिलने गये और उनसे प्रार्थना की कि सदन को भंग न किया जाये और किसी अन्य सरकार के गठन का प्रयास किया जाये। ठीक है, मेरा इस मुद्दे पर कोई विवाद नहीं है। परन्तु देश को इस तरह की लापरवाही से नहीं लिया जाना चाहिये। इसलिए हम यह जानना चाहते है कि सरकार के इस मुद्दे पर क्या विचार हैं और सरकार ऐसे संविधान (संशोधन) विधेयक के प्रस्ताव को पुन: क्यों ला रही है जबकि यह पहले राज्य सभा द्वारा पारित होगा और राष्ट्रपति की अनुमति मिल चुकी होगी। हम यहां कब तक प्रतीक्षा करेंगे कि निर्णय लिए जायेंगे। इसलिए मैं इस मुद्दे पर सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं।

[हिन्दी]

उप प्रधानमंत्री तथा कृषि मन्त्री और पर्यटन मन्त्री (श्री देवी लाल) : स्पीकर साहब, यह हाऊस को न ही बुलाएं तो अच्छा रहेगा। यह लोहरम के गुनाम हैं जो इनसे यह चाहते हैं कि हाऊस डिजाल्व हो। मैं ऐलान करता हूं कि मैंने अगला इलैक्शन नहीं लड़ना। लेकिन जो लोग हाऊस को डिजाल्व करने के हक में है, जिन्होंने ऐसे हालात पैदा किए मैं उनको सबक सिखा ऊंगा। इसमें आडवाणी जी भी हैं जिन्होंने रथ यात्रा निकालकर मन्दिर और मस्जिद का झगड़ा खड़ा किया। वी०पी० सिंह हैं जिन्होंने मण्डल का नाम लेकर अगड़ों और पिछड़ों में झगड़े करवाये, जिस झगड़े को शरद और पासवान ने हवा दी और एम०जे०अकबर, गोहिल और भगत जिन्होंने गलत सलाह दी। इन सबको पता लग जाएगा कि लोगों में इनकी कीमत क्या है? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाईये, देवी लाल जी बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : त्यागी जी बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री देवी लाल : मुझे मदन लाल खुराना पर बड़ा अफसोस है। आज से तीन दिन पहले मैंने मजाक में इन्हें टेलीफोन किया था। मैंने कहा खुराना साहब क्या हाल है, इन्होंने कहा "आपका तो

अच्छा हाल है।" इन्होंने कहा। "आप कुछ मिनट ठहरो मैं मल्होत्रा जी को लेकर आ रहा हूं।" ये मल्होत्रा जी को लेकर मेरे पास आए। (व्यवधान) मैं सबकी पोल खोल दूंगा। मैंने इनसे कहा कि इसका इलाज तो अटल बिहारी वाजपेयी कर सकते हैं। उन्होंने नेशनल गवर्नमेंट की परपोजल रखी थी इसके लिए बोम्मई साहब ने भी कहा था और साठे साहब ने भी कहा था। परपोजल इनकी है मैं तो इनको सपोर्ट करता हूं। आइडियल बात है इन्होंने कहा हम बात करेंगे। परसों मैंने अटल बिहारी वाजपेयी को टेलीफोन किया। उन्होंने कहा "चौधरी साहब बात आपकी ठीक है।"

श्री के० सी० त्यागी (हापुड़) : क्या सभी बातें टेलीफोन पर ही होती हैं ?

श्री देवी लाल : आज के बाद कोई टेलीफोन नहीं कर सकेगा, यह याद रखना। जब यह एम० पी० शिप की पूंछ कट जाएगी तो कौन टेलीफोन करेगा। टेलीफोन होता है जब तक एम० पी० की पूंछ लगी हुई है।

मैंने इसी वास्ते कहा था कि फोटो खिचवाने के बाद कान के हाथ लगाओ कि हमसे बड़ी गलती हुई कि हम लीडरों के बहकावे में आ गए। यह लीडर हमें लीड नहीं मिस लीड कर रहे हैं। कोई पार्टी कोई एम० एल० ए० या कोई एम० पी० इलैक्शन नहीं चाहता। अभी कुछ आदमी बी० जे० पी०, जनता दल और कांग्रेस (आई) के बैठे थे। उन्होंने कहा कि चौधरी साहब रास्ता क्या है। मैंने कहा कि रास्ता यह है कि बगावत करके जाकर के राष्ट्रपति से कहो कि हमें न हटाएं हम तो बोल नहीं सकते, हम डिसीप्लीन में बंधे हैं। जब एम० पी० नहीं रहेगा तो डिसक्वालीफिकेशन काहे की होगी। चुनाव होता है तो पार्टियों के साढ़े सात सौ करोड़ इलैक्शन में लगेंगे और साढ़े सात सौ करोड़ सरकार के लगेंगे और हमें सिर्फ साढ़े बत्तीस सौ करोड़ रुपया आई० एम० एफ० से मिलता है। इन लोगों के कारण सरकार को जनता पर नया टैक्स इलैक्शन सैस लगाना पड़ेगा। इनके सामने इनकी गर्ज है। किसी भी तरीके से राम जन्म भूमि ··(व्यवधान) यह चाहते है कि चक्रवर्ती राजा बन जायें राजा कैसे बनेंगे ? राम जन्म भूमि अगर होती तो अंग्रेजों के राज में, जो ढाई सौ साल···(व्यवधान) ये बैठे हैं कांग्रेसी इनसे पूछ लो, इनके राज में यह सवाल क्यों नहीं उठा। जब कहीं प्रकाश सिंह बादल, कहीं बंसी लाल, कहीं हुकम सिंह, कहीं लालू प्रसाद यादव और कहीं मुलायम सिंह, कहीं पर चिमन भाई, कहीं जर्नादन रेड्डी, कहीं बंगारप्पा चीफ मिनिस्टर बन बैठे हैं तो कहीं पर श्री भैरोंसिंह शेखावत, इनको आग लग गई कि कैसे राज हासिल करें। जबकि गांव वालों में राजनीतिक जागृति आ गई ·· (व्यवधान) ताऊ को मत छेड़ो। मैं सच्ची-सच्ची बात कहूंगा। ये आडवाणी साहब चक्रवर्ती राजा बनना चाह रहे हैं। इनके लिए तो भैरोंसिंह ही मुसीबत बन गया, जिसे यह चतुर्वेदी चतुराई से निकालना चाहते हैं। यह नेशनल पार्टी नहीं है बल्कि मैं तो इसे इन्टरनेशनल पार्टी मानता हूं। इनका तो नेशन ब्रीफकेस में होता है, अब वह ड्राफ्ट में तबदील हो गया है। इनके ऐसे रास्ते हैं कि अमृतसर से दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली से त्रिवेन्द्रम और वहां से लंदन चले जाते हैं। वहां सिटिजनशिप ले लेते हैं और फिर स्वराज पाल बन जाते हैं। हम जब लोगों से पूछते है कि राज की इस लड़ाई में मिनिस्ट्री छोड़ दें ? तो कहते हैं कि नहीं-नहीं···(व्यवधान) लोग कहते हैं कि यह तो राज जन्म भूमि है और यह लोग राज चाहते हैं। पिछले दिनों सभी पार्टी लीडरों की मिटिंग हुई, तो वी०पी० सिंह, श्री चन्द्र शेखर और श्री फारूखी तथा कई और नेता थे, मैं भी था। सवाल आया कि राम जन्म भूमि के बारे में कहा···(व्यवधान) मैंने कहा कि कोई झगड़ा नहीं है। अगर चन्द्र शेखर जी कुर्सी छोड़ दें और आडवाणी जी को बैठा दो तो झगड़ा खत्म हो जायेगा। यह लड़ाई कुर्सी और राज की है। मैं सच्ची बात कहने के लिए आया हूं। जितने भी यहां बैठे हैं, अगर उनमें राष्ट्रहित हो तो संसद चलती रहनी

चाहिये। लिडरशिप का झगड़ा है, जिसका फैसला हो गया, क्योंकि बाकी सब तो मिनिस्टरी के पीछे-पीछे भागते हैं, चन्द्र शेखर जी ने उसे लात मारी है, वही हमारे लीडर हैं बाकि सब मिसलीड करते हैं, इनसे बचो, स्पीकर साहब, मैं आपकी मार्फत सिर्फ इतना कहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : विजय जी, आपका नाम लिया था इसलिए आपको बोलने के लिए इजाजत दे रहा हूं।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष जी, माननीय उप-प्रधान मन्त्री जी ने जहां मेरे नाम से बात का जिक्र किया, मैं चाहता हूं कि इसको पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया जाये। उनके यहां से कम से कम पांच बार टेलीफोन आया कि उप-प्रधान मंत्री जी आपसे बात करना चाहते हैं। **(व्यवधान)**

श्री देवी लाल : मैंने टेलीफोन एक को किया था······**(व्यवधान)** मैंने कोई फोन नहीं किया। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : देवी लाल जी आप कह चुके हैं, इनको कहने दें।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : मैं घर पर नहीं था। बाद में इनका टेलीफोन खुराना साहब के पास भी गया और इन्होंने कहा कि उप-प्रधान मंत्री जी बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं, मैं और खुराना जी इनके पास गये···

श्री देवी लाल : यह बिलकुल* कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह अनपार्लियामेंटरी है।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, जब हम इनके पास गये तो इन्होंने कहा कि सुनाइये क्या हाल है, हमने कहा कि हमें क्यों बुलाया उसकी बात करें। तो ये कहने लगे कि किसी तरह से लोक सभा को बचाया जाये। हमने कहा कि हम इस हक में नहीं हैं, हम फौरी तौर पर चुनाव चाहते हैं। ये बोले कि मैंने वही बात कही है जो वाजपेयी जी ने कही थी कि देश में राष्ट्रीय सरकार बनाई जाये, वरना लोगों के पास क्या मुंह दिखायेंगे, लोगों से क्या कहेंगे कि जिस सरकार को वह मौका देते हैं यह चलती नहीं है और चुनाव फिर से हो रहे हैं। मैंने कहा देवी लाल जी आप कभी कांग्रेस से मिलकर सांठ-गांठ कर रहे हैं, पब्लिक में खुले आम कह रहे हैं और पार्टियों को तोड़ रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि चुनाव न कराये जायें। इन्होंने कहा कि इसको किसी तरह से रोकना चाहिए। हमने कहा कि हमारी पार्टी का निश्चित मत है कि चुनाव होने चाहिए। जब वाजपेयी जी ने राष्ट्रीय सरकार की बात की थी वह बात बहुत पुरानी बात है, वह अब बीच में नहीं आती है, इन्होंने इस पर कहा कि इस पर विचार करना चाहिए। उपप्रधान मन्त्री जी के ऊपर दुनिया का कोई नियम नहीं चलता, यह केबिनेट के मेम्बर हैं और केबिनेट ने कहा कि लोक सभा को भंग किया जाये और उस केबिनेट में यह भी हैं जिसने यह प्रस्ताव पास किया कि लोक सभा भंग करके चुनाव कराये जायें और अब ये कह रहे हैं कि चुनाव न कराये जायें। आप इनसे पूछें कि यह क्या कह रहे हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : उप-प्रधान मन्त्री की केबिनेट में संयुक्त जिम्मेदारी है या नहीं,

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

यह बतायें, इन्होंने उप प्रधान मन्त्री पद से इस्तीफा भी नहीं दिया। इनकी केबिनेट ने प्रस्ताव पास किया और प्रधान मन्त्री चन्द्र शेखर जी ने कहा कि नये चुनाव कराये जायें और लोक सभा भंग की जाये, अब यह सब जगह और बयान देते हैं। आखिर इनके लिए कोई नियम हैं ? पिछली सरकार के खिलाफ नो कांफिडेंस आया था तो मैंने कहा था कि इस सदन को भंग करके देश के पास जाया जाये और देश इसका फैसला करेगा कि राम जन्म भूमि के सवाल का इन्होंने जिक्र किया कि लोग उसके साथ नहीं हैं। नये चुनावों में सारे देश में इस सवाल पर फैसला हो जायेगा और जनता फैसला करेगी कि राम जन्म भूमि के सवाल पर वह किसके साथ है हमारे साथ है या देवी लाल जी के साथ है। श्री देवी लाल हिन्दुस्तान की राजनीति के भस्मासुर हैं जिसके सिर पर हाथ रख देते हैं। प्रताप सिंह कैरों से शुरू करके इन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह के सिर पर हाथ रखा, उनको समाप्त कर दिया, चन्द्र शेखर के सिर पर हाथ रखा उनको समाप्त कर दिया और अब राजीव गांधी को समाप्त करेंगे। इनको अधिकार नहीं होना चाहिए ऐसा कहने का। अब और कोई चारा नहीं है। लोक सभा को समाप्त किया जाये, चुनाव कराये जायें और नया जनादेश लिया जाये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : खुराना जी आप बोलें, आप पर्सनल एक्सप्लेनेशन तक ही सीमित रहें।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष जी, पहली बात तो यह है कि इन्होंने मुझे फोन किया, मैंने फोन नहीं किया। यह पहला मौका नहीं है। जब वी० पी० सिंह प्रधानमंत्री थे और ये डिप्टी प्राईम मिनिस्टर थे, ये मुझे कई बार फोन करके बुलाया करते थे। मैंने तब भी इनको कहा था···(व्यवधान)···मैं यह कहना नहीं चाहता था। चूंकि इन्होंने यह बात यहां कही है, मैं आज तक नहीं कहना चाहता था लेकिन उस समय भी इन्होंने जो हमसे कहा कि अगर वी० पी० सिंह को विदड्रा करेंगे तो मैंने कहा कि मेरी पार्टी अपनी टर्म्स पर करेगी और अपने समय पर विदड्रा करेगी। ये कुछ और चाहते थे पर उस बात को यहां नहीं कहना चाहता हूं ···(व्यवधान)···

अध्यक्ष जी, उस दिन हम लोग बैठे हुए थे। मुझे फोन आया कि डिप्टी प्राईम मिनिस्टर बात करना चाहते हैं। मैंने अपने नेता से कहा कि देवी लाल जी ने मुझे बुलाया है तो इन्होंने कहा कि जरूर जाईये। विजय कुमार ने कहा कि डिप्टी प्राईम मिनिस्टर कल क्या कहते हैं, एक साक्षी के रूप में मैं साथ लेकर गया। अध्यक्ष जी, वहां पर यही बात विजय कुमार ने कही। इन्होंने कहा कि कोई रास्ता निकालिए। हमने कहा बात करके कोई रास्ता निकालिये, कोई आपके दिमाग में है क्या ? चौ० साहब ने कहा कि मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूं, वह जो वाजपेयी जी ने कहा, साठे साहब ने कहा, वह कोई रास्ता निकाल दीजिये। हम एक बात का स्पष्टीकरण चाहा। हमने कहा कि चौधरी साहब, यहां जो आपके बयान आते हैं कि आप कांग्रेस में जा रहे हैं। आपने कहा कि कांग्रेस वही पुरानी है, मैं उसमें कैसे जाऊंगा, यह तो पन्ना फाड़ दें, कभी मैं कांग्रेस में नहीं जा सकता। इसलिए कोई ऐसा रास्ता निकाला जाये। (व्यवधान) अध्यक्ष जी, इसलिए मेरा यह कहना है कि विजय कुमार जो उस दिन भी आपसे कहकर आये थे और आज फिर रिपीट करना करना चाहते हैं। इस समय देश के सामने और कोई रास्ता नहीं है सिवाय चुनाव के मैदान में जाया जाए और ये लोग जो अपने काम से डर रहे हैं और जिनको डर नहीं है, वे लोग जायेंगे और जिनको विश्वास है कि डर नहीं रहे हैं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मदन लाल जी, आपका हो गया। आर्डर, आर्डर, देवी लाल जी, आप बैठ जायें। इस पर कोई बहस नहीं हो रही है।

श्री देवी लाल : कैसे बैठ जाऊं···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मि० मालवीय। त्यागी जी प्लीज टेक यूअर सीट। इस पर कोई बहस नहीं···

पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी और श्री सोमनाथ चटर्जी ने यह विचार व्यक्त किया है कि जो संवैधानिक व्यवस्था है, उसके अन्दर पंजाब के प्रोक्लेमेशन के सम्बन्ध में इस सदन का प्रस्ताव लाने की कोई आवश्यकता नहीं है और न इस सदन द्वारा पारित करने की आवश्यकता है। जो संवैधानिक स्थिति है, वह अब बिलकुल ठीक जगह पर है और मैं उससे सहमत हूं। क्योंकि इसमें जो प्रावधान है···

अध्यक्ष महोदय : जो आडवाणी जी ने उठाया···

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं बताना चाह रहा था।

[अनुवाद]

"परन्तु यह और कि यदि लोक सभा का विघटन ऐसी अवधि (छह मास) के दौरान हो जाता है और ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाये रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प मन्त्री-मण्डल द्वारा पारित कर दिया गया है, किन्तु ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखने के सम्बन्ध में कोई संकल्प लोक सभा द्वारा उक्त अवधि के दौरान पारित नहीं किया गया है तो उद्घोषणा उस तारीख से जिसको लोक सभा अपने पुनर्गठन के पश्चात प्रथम बार बैठती है, तीस दिन की समाप्ति पर, प्रवर्तन में नहीं रहेगी···"

[हिन्दी]

एक तो मेरा इस सम्बन्ध में निवेदन यह है कि जो दूसरा सदन राज्यसभा है, उसने अभी तक कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया है। अभी जो 75वां संविधान (संशोधन) विधेयक इस सदन ने कल पारित किया है, वह राज्य सभा के समक्ष विचाराधीन है। जब राज्यसभा उसको पारित कर देगी तो राष्ट्रपति महोदय के पास स्वीकृति के लिए जायेगा, तभी उसके बाद यह विधेयक बन पायेगा। इसलिए मेरा निवेदन है चूंकि कोई प्रस्ताव अभी राज्य सभा द्वारा पारित नहीं किया गया है, इसलिए संविधान के जिन प्रावधानों की ओर माननीय आडवाणी जी ने और माननीय चटर्जी जी ने ध्यान आकर्षित किया था, वह अभी लागू नहीं होता है। दूसरे, इस सम्बन्ध में चूंकि लोक सभा चल रही है तो अच्छा होता कि यदि प्रस्ताव यहां पर आता है तो लोकसभा भी इस प्रस्ताव को पारित करने की कृपा करे। तीसरे, इस सम्बन्ध में जो सदन का निर्णय है, वह सर्वोच्च है। उसके बाद जो आपकी व्यवस्था होगी, वह सर्वोच्च होगी। जो सदन निर्णय लेगा और माननीय अध्यक्ष महोदय अपनी व्यवस्था देंगे, उसका सरकार पालन करेगी। अन्त में, जहां तक लोकसभा भंग होने का प्रश्न है, उसके सम्बन्ध में मंत्रिपरिषद ने, जिसके प्रधानमन्त्री श्री चन्द्रशेखर हैं, जिन्होंने अपनी संस्तुति राष्ट्रपति जी के पास भेज दी है तो राष्ट्रपति उस पर विचार कर रहे हैं। फैसला लेने का काम, निर्णय लेने का काम राष्ट्रपति जी के हाथ में, उसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या आपने इस पर एक बार फिर से विचार किया है ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : बिल्कुल नहीं, कोई पुनर्विचार नहीं किया गया है ।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो सवाल पूछे थे और सोमनाथ जी ने जो सवाल पूछे थे उसका उत्तर नहीं मिला है । यह बात सही है कि जब तक संविधान संशोधन राज्य सभा नहीं करती और राष्ट्रपति जी की उसको स्वीकृति नहीं मिलती, तब तक तो प्रस्ताव विचारार्थ लेने का भी सवाल नहीं है, लेकिन प्रस्ताव की आवश्यकता क्या है, यह अभी तक हम समझने में असमर्थ हैं और मैं चाहूंगा कि अगर सरकार प्रस्ताव पास करवाना चाहती है तो वह पहले अपने कानूनी विभाग द्वारा तैयार किया हुआ एक वक्तव्य लेकर सदन के सामने आए कि क्या इस प्रकार का प्रस्ताव होना चाहिए। क्योंकि जहां तक मैं संविधान को समझ पाया हूं, इस प्रकार के किसी प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है क्योंकि संविधान उसकी पूरी व्यवस्था करता है और जब आवश्यकता पड़ेगी, यह सदन कर सकता है, डिजाल्यूशन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता । उल्टे यह जो सोमनाथ जी आशंका प्रकट करते हैं, यह प्रस्ताव तो वह सरकार करना चाहेगी जो मन में निश्चय कर चुकी है कि हम डिजाल्यूशन नहीं होने देंगे और क्योंकि डिजाल्यूशन नहीं होने देंगे इसलिए प्रस्ताव अभी करवा लो । हमके मन में आशंका बनी हुई है कि डिजाल्यूशन होगा कि नहीं होगा । मैं इसलिए सरकार से निवेदन करूंगा कि प्रस्ताव हमारे सामने लाने से पहले अपने विधि मंत्रालय द्वारा तैयार किया हुआ वक्तव्य रखें कि क्या इस प्रकार का प्रस्ताव जरूरी है, उसके बाद उस पर विचार करें ।

श्री के० सी० त्यागी : अध्यक्ष जी, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है ।

अध्यक्ष महोदय : किस बारे में है, किस आधार पर है ?

श्री के० सी० त्यागी : अभी उप प्रधान मन्त्री महोदय अपनी बात सदन के सामने कह रहे थे । उन्होंने जो राय जाहिर की है वह केन्द्रीय परिषद के नम्बर दो के मन्त्री के रूप में की है । वे इस समय देश के उप प्रधान मन्त्री हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं है ।

श्री के० सी० त्यागी : अध्यक्ष महोदय, जो चौधरी देवी लाल जी ने कहा है पार्टी के बारे में और जो माननीय चन्द्रशेखर जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं उन दोनों चीजों में विरोधाभास पैदा हो गया है और एक संवैधानिक संकट देश के सामने पैदा हो गया है । मैं यह कहना चाहता हूं कि इस समय देश के अन्दर एक ··(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : त्यागी जी, आप बैठ जाएं ।

श्री के० सी० त्यागी : मैं ताऊ की बात को सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं । यह जो संवैधानिक संकट पैदा हुआ है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बैठे हुए थे जिन्होंने कहा कि चौधरी साहब, लोक सभा भंग नहीं होनी चाहिए···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : त्यागी जी, आप बैठ जाएं।

11.33 म० पू०

संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मैं विधेयक वापस लेता हूं।

11.34 म० पू०

संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (दूसरा संशोधन) विधेयक*

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

श्री ए० के० राय (धनबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक को पुर:स्थापित किये जाने का विरोध इस आधार पर करता हूं कि इससे सभा के सभी सामान्य नियमों एवं प्रक्रियाओं का उल्लंघन होता है।

यदि आप अपने निदेशों पर ध्यान दें तो निदेश 19(क) में कहा गया है :

---

*दिनांक 12-3-91 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खण्ड 2 में प्रकाशित।

"(2) इस निदेश के अधीन विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव की अवधि सात दिन होगी जब तक अध्यक्ष कम सूचना पर प्रस्ताव करने की अनुमति न दे।"

निदेश 19(ख) में कहा गया है कि जब विधेयक को पुर:स्थापित किये जाने का विचार हो उससे कम से कम दो दिन पूर्व उसकी प्रतियां सदस्यों के उपयोग के लिए उपलब्ध करायी जानी चाहिए ऐसा नहीं किया गया है। अनुचित रूप से जल्दबाजी कर एक स्पष्टीकरण द्वारा इसे बतलाने की कोशिश की गई हैं। सिर्फ यह कारण बताया गया था कि राज्य सभा की बैठक केवल 11 तारीख को होगी और इसलिए 11 मार्च को लोक सभा द्वारा इसे शीघ्रतापूर्वक पारित कर दिया गया था। लेकिन 12 मार्च को ऐसा कोई कारण नहीं है कि ऐसा किया जाए।

इसलिए इस जल्दबाजी के कारणों का स्पष्टीकरण दिये बिना ही सभा के सामान्य नियमों का उल्लंघन करते हुए इस विधेयक को पुर:स्थापित किया गया है। मैं समझता हूं यह इस सभा की विधायी क्षमता से बाहर है। आप जानते हैं यह सभा नौवीं लोक सभा की अन्तिम सभा है। हमारी सरकार कामचलाऊ सरकार है। कोई भी कामचलाऊ सरकार ऐसे किसी भी विधेयक पर पहल नहीं कर सकती है जिसमें कि नीति निर्धारण सम्बन्धी कोई बात हो। इस कार्यवाही द्वारा हमारी नीति प्रभावित हो रही है। यह किए प्रकार की नीति है ? हम अपना पदभार छोड़ने से पहले अपने वेतन भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी कर रहे हैं। यह इतिहास के गलत मौके पर एक अनुचित सरकार द्वारा पहल की गयी एक गलत नीति है। मैं इस विधेयक के पुर:स्थापित किए जाने का विरोध करता हूं जो कि संविधान के बिल्कुल विरुद्ध है।

[हिन्दी]

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने जो विधेयक विचार के लिए और पारित करने के लिए रखा गया है, उसके सम्बन्ध में राष्ट्रपति जी की अनुमति कल ही प्राप्त हुई है। जहां तक केयरटेकर गवर्नमेंट का सवाल है, इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि संविधान में यह स्पष्ट है, उसमें केवल सरकार की व्यवस्था है, न अन्तरिम सरकार की व्यवस्था है और केयरटेकर गवर्नमेंट की व्यवस्था है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वे कृपया "हां" कहें।

अनेक माननीय सदस्य : हां।

अध्यक्ष महोदय : जो सदस्य विरोध में हों वे कृपया "नहीं" कहें।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में निर्णय "हां" वालों के पक्ष में हुआ।

कुछ माननीय सदस्य : निर्णय 'नहीं' वालों के पक्ष में हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : आप चुनौती दे रहे हैं।

दीर्घायें खाली कर दी जायें —

अध्यक्ष महोदय : अब दीर्घायें खाली हो गयी हैं।

मैं यह प्रश्न पुनः रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वे कृपया 'हां' कहें।

अनेक माननीय सदस्य : हां।

अध्यक्ष महोदय : जो सदस्य विरोध में हों, वे कृपया 'नहीं' कहें।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में निर्णय 'हां' वालों के पक्ष में हुआ।

श्री ए० के० राय : निर्णय 'नहीं' वालों के पक्ष में हुआ।

अध्यक्ष महोदय : क्या कोई अन्य सदस्य भी विधेयक के पुनः स्थापन का विरोध कर रहे हैं ? मैं देख रहा हूं कि केवल दो या तीन सदस्य ही विरोध कर रहे हैं इसलिए मत-विभाजन कराना युक्ति-संगत नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह सदस्य का अधिकार है। सदस्य को यह अधिकार है कि उसके विचार कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित हों। सदस्य के विचार कुछ भी हों, उसे यह अधिकार छोड़ने के लिए नहीं कहा जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रजीत गुप्त।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : क्या आप अपने इस मूल्यांकन के आधार पर मत-विभाजन से इन्कार कर सकते हैं कि इस विधेयक का विरोध करने वाले बहुत कम सदस्य हैं ? सभा में विधेयकों पर मतदान के लिए यह मानदंड नहीं हो सकता। सदस्य को मत-विभाजन के लिए कहने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : श्री लाल कृष्ण आडवाणी।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (नई दिल्ली) : मैं इस बात से सहमत हूं कि यह आपके विवेकाधीन है। आप मत विभाजन से इन्कार कर सकते हैं। लेकिन यह परम्परा रही है कि अगर इस बारे में मांग की जाती है तो उसे मान लिया जाता है। हम यह परम्परा क्यों छोड़ें ? यदि कुछ ही सदस्य यह चाहते हैं कि उनका मत दर्ज किया जाए, तब भी मैं समझता हूं कि उनके इस अधिकार को मान लेना चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आडवाणी जी रूल की बुक देखिये।

[अनुवाद]

मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं सदस्य द्वारा अपने विचार दर्ज करने के अधिकार से इन्कार नहीं करता।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : एक अधिकार के रूप में यह मांग नहीं की जा सकती। लेकिन एक परम्परा के रूप में इसे मान लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं सहमत हूं।

(व्यवधान)

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : महोदय, यदि कुछ सदस्य मत-विभाजन चाहते हैं, तो उन्हें यह अवसर दिया जाए, क्योंकि वे निर्वाचित सदस्य हैं। (व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : मैं माननीय सदस्यों से पूर्णतया सहमत हूं। अगर एक भी सदस्य मत विभाजन चाहता है तो यह उसका अधिकार है। इस पर विचार किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री आडवाणी, आप श्री चटर्जी तथा इन्द्रजीत बाबू द्वारा भी उठाए गए मुद्दों से सहमत हूं। मैं इसे सभा में मतदान के लिए रख रहा हूं।

दीर्घायें खाली कर जायें—

अध्यक्ष महोदय : अब दीर्घायें खाली हो गयी हैं। मैं पुनः कह रहा हूं।

प्रश्न यह है :

"कि संसद सदस्य वेतन भत्ता, और पेंशन अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

मत विभाजन सं० 8   **11.46 म० प०**

पक्ष में

अकबर, श्री एम० जे०

अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र

अग्रवाल, श्री जे० पी०

अडईकलराज, श्री एल०

अन्तुले, श्री ए० आर०

अम्बरी, श्री लेहता

अरुणाचलम, श्री एम०

अर्गल, श्री छविराम

अशोकराज, श्री ए०

अहमद, श्री कमालुद्दीन

अहेर, डा० दौलतराव सोनूजी

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

उरांव, श्रीमती सुमति

एन्टनी, श्री पी० ए०

ओडेयर, श्री चनैया

कटारिया, श्री गुलाब चन्द

कमान्डर, श्री मोहम्मद हसन

करेवदुला, कुमारी कमलाजी

काम्बले, श्री अरविन्द तुलसीराम
कापसे, प्रो॰ राम गणेश
कामसन, प्रो॰ मिजिनलंग
कालका दास, श्री
काले, श्री सुखदेव नन्दाजी
कासु, श्री वेंकट कृष्ण रेड्डी
कुमारमंगलम, श्री पी॰ आर॰
कुरियन, प्रो॰ पी॰ जे॰
कुशवाहा, श्री जगदीश सिंह
कृष्ण, श्री जी॰
कृष्ण कुमार, श्री एस॰
केशरी लाल, श्री
कोंताला, श्री राम कृष्ण
कोटडीया, श्री मनुभाई
कोडिक्कुन्नील, श्री सुरेश
कौल, श्रीमती शीला
खंडेलवाल, श्री प्यारेलाल
खटीक, श्री शंकर लाल
खनोरिया, श्री डी॰ डी॰
खां, श्री जुल्फिकार अली
खुराना, श्री मदन लाल
गंगवार, श्री सन्तोष कुमार
गंगाधर, श्री एस॰
गजपति, श्री गोपी नाथ
गांधी, श्री राजीव
गाडगिल, श्री वी॰ एन॰
गायकवाड़, श्री उदयसिंहराव नानासाहिब
गावीत, श्री माणिक राव होडल्य
गिरियप्पा, श्री सी॰ पी॰ मुदाल
गुडाविल्ली, श्री बी॰ के॰
गुप्त, श्री धर्मपाल सिंह
गोमांगो, श्री गिरिधर
गोम्डर, श्री ए॰ एस॰
गौड़ा, श्री डी॰ एम॰ पुट्टे
चन्द्रशेखर, श्रीमती एम॰
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई
चांद राम, श्री
चार्ल्स, श्री ए॰
चिन्ता मोहन, डा॰
चेन्नीथाला, श्री रमेश
चेन्नुपति, श्रीमती विद्या
चौधरी, श्री ईश्वर
चौधरी, श्री कमल
चौधरी, श्री राम प्रसाद
चौधरी, श्री रुद्रसेन
जग पाल सिंह, श्री
जटिया, श्री सत्यनारायण
जनार्दनन, श्री कादम्बुर एम॰ आर॰
जमुना, श्रीमती जे॰
जय प्रकाश, श्री
जयमोहन, श्री ए॰
जांगड़े, श्री रेशम लाल
जादव, श्री धान सिंह
जावाली, डा॰ वासवराज
जीवरत्नम, श्री आर॰
जू देव, श्री दिलीप सिंह
जोशी, श्री दाऊ दयाल
झिकराम, श्री मोहनलाल
टंडेल, श्री डी॰ जे॰
ठाकुर, श्री गाभाजी मंगाजी

डामोर, श्री सोमजीभाई
डेनिस, श्री एन०
डोरे, श्री राजा अम्बाम्मा नायक
ढाकणे, श्री बबनराव
तम्बि दुरै, डा०
तारवाला, श्री अमृतलाल वल्लभदास
तिवारी, श्री जनार्दन
तिवारी, श्री बृज भूषण
थापा, श्री मन्दू
थामस, प्रो० के० वी०
थुंगन, श्री पी० के०
थोरट, श्री एस० बी०
दानवे, श्री पुण्डलीक हरि
दास, श्री अनादि चरण
दीक्षित, श्री नरसिंहराव
देव, श्री संतोष मोहन
देवरा, श्री मुरली
देवराजन, श्री बी०
देवी लाल, श्री
देशमुख, श्री अशोक आनन्दराव
धूमाल, प्रो० प्रेम कुमार
नम्बी, श्री येल्लैया
नाईक, श्री जी० देवराय
नाईक, श्री राम
नाथू सिंह, श्री
नायक, श्री नकुल
नायकर, श्री डी० के०
नारायणन, श्री के० आर०
नारायणन, श्री पी० जी०
नेताम, श्री अरविन्द

पंडियन, श्री डी०
पटेल, श्री अर्जुन भाई
पटेल, श्री चन्द्रेश
पटेल, श्री, नटुभाई एम०
पटेल, शांतिलाल पुरुषोत्तमदास
पटेल, श्री सोमाभाई
परास्ते, श्री दलपत सिंह
पराजपे, श्री बाबूराव
पलनीसामी, के० सी०
पांजा, श्री अजीत
पाटिल, श्री उत्तमराव
पाटिल, श्री उत्तमराव लक्ष्मणराव
पाटिल, श्री प्रकाशबापू वसंतराव
पाटिल, श्री बालासाहिब विखे
पाटिल, श्री यशवंतराव
पाटिल, श्री शंकरराव
पाटिल, श्री शिवराज वी०
पाटीदार, श्री रामेश्वर
पाठक, श्री हरिन
पाण्डेय, डा० लक्ष्मीनारायण
पाल, डा० देवी प्रसाद
पासवान, श्री सुखदेव
पुजारी, श्री जनार्दन
पुरुषोत्तमन, श्री वक्कम
पुरोहित, श्री बनवारीलाल
पेरुमान, डा० पी० वल्लल
पैन्यालैया, श्री पी०
पोटदुखे, श्री शांताराम
प्रधानी, श्री के०
प्रसाद, श्री वी० श्रीनिवास

फुंडकर, श्री भाऊसाहेब पुंडलीक
फैलीरो, श्री एडुआर्डो
बंसी लाल, श्री
बनातवाला, श्री जी० एम०
बलरामन, श्री एल०
बशीर, श्री टी०
बागा रेड्डी, श्री एम०
बाल गौड, श्री टी०
बाली, श्रीमती वैजयन्तीमाला
बासवराज, श्री जी० एस०
बीरेन्द्र सिंह, राव
बुलारा, श्रीमती राजिन्द्र कौर
बेंजामिन, श्री एस०
बेग, श्री आरिफ
बैठा, श्री महेन्द्र
बैस, श्री रमेश
बोपचे, डा० कुशाल परसराम
भक्त, श्री मनोरंजन
भाटिया, श्री राम सेवक
भारद्वाज, श्री परसराम
भार्गव, श्री गिरधारी लाल
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
भोये, श्री रेशमा मोतीराम
भोसले, श्री प्रतापराव बाबूराव
मनेम्मा, श्रीमती टी०
मरबनिआंग, श्री पीटर जी०
मलिक, श्री मंगाराज
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्होत्रा, प्रो० विजय कुमार

महाजन, श्री वाई० एस०
महाजन, श्रीमती सुमित्रा
महेश्वर सिंह, श्री
मायावती, कुमारी
मारक, श्री सनफोर्ड
मिश्र, श्री जनेश्वर
मिश्र, श्री राज मंगल
मीणा, डा० किरोड़ी लाल
मीणा, श्री नन्दलाल
मुजाहिद, श्री बी० एम०
मुण्डा, श्री कड़िया
मुण्डा, श्री गोविन्द चन्द्र
मुखिया, श्री आर०
मुरलीधरण, श्री के०
मूर्ति, श्री कुसुम कृष्ण
मेघवाल, श्री कैलाश
मेहता, श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र
मैथ्यू, श्री पलाई के० एम०
याजदानी, डा० गुलाम
यादव, डा० एस० पी०
यादव, श्री जनार्दन
यादव, श्री बालेश्वर
यादव, श्री रमेन्द्र कुमार रवि
यादव, श्री राम शरण
यादव, श्री रामजीलाल
यादव, श्री हुकमदेव नारायण
यादवेन्द्र दत्त, श्री
युवराज, श्री
रंगा, प्रो० एन० जी०

राकेश, श्री आर० एन०
राघवजी, श्री
राजदेव सिंह, श्री
राजू, श्रीमती उमा गजपति
राजू, श्री एम० एम० पल्लम
राजू, श्री एस० विजय राम
राजू, श्री भू० विजयकुमार
राजे, श्रीमती वसुन्धरा
राजेश्वरन, डा० वी०
राजेश्वरी, श्रीमती वासव
राथवा, श्री एन० जे०
राठौड़, श्री उत्तम
राठौर, डा० भगवान दास
राणा, श्री काशीराम छबीलदास
राम अवध, श्री
राम प्रकाश, चौ०
राम बाबू, श्री ए० जी० एस०
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
रामकृष्ण, श्री वाई०
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
रामदास, डा० आर०
राय, श्री कल्प नाथ
राय, श्री लालबाबू
राव, श्री आर० गुण्डू
राव, श्री के० एस०
राव, श्री के० राम मोहन
राव, श्री जे० चोक्का
राव, श्री जे० वेंगल
राव, श्री पी० वी० नरसिंह
राव, श्री वी० कृष्ण
राव, श्री श्रीनिवास
रावत, प्रो० रासासिंह
राही, श्री राम लाल
रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र
रेड्डी, श्री ए० वेंकट
रेड्डी, श्री एम० जी०
रेड्डी, श्री कोटला विजय भास्कर
रेड्डी, श्री बी० एन
रेड्डी, श्री बोजा वेंकट
रेड्डी, श्री राजमोहन
लक्ष्मणन, प्रो० सावित्री
वघेला, श्री शंकरसिंह
वर्मा, श्रीमती ऊषा
वर्मा, श्री नर्मदा प्रसाद
वर्मा, श्री बी० राजरवि
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद
वाडियर, श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज
विश्वनाथम, डा०
वेंकटस्वामी, श्री जी०
वेंकटेशन, श्री पी० आर० एस०
शंकरानन्द, श्री बी०
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शाक्य, डा० महादीपक सिंह
शाक्य, श्री राम सिंह
शास्त्री, श्री कपिल देव
शाह, श्री जयन्तीलाल वीरचन्दभाई
शाह, श्री बाबूभाई मेघजी
शिगडा, श्री डी० बी०
शिवनकर, प्रो० महादेव

शेखड़ा, श्री गोविन्दभाई कानजीभाई
शेखर, श्री एम० जी०
श्रीकांतय्या, श्री एच० सी०
षण्मुख, श्री पी०
सईद, श्री पी० एम०
समद, श्री अब्दुल
सरताज सिंह, श्री
साठे, श्री वसंत
साय, श्री ए० प्रताप
साय, श्री ए० लरंग
साय, श्री नन्द कुमार
सारण, श्री दौलत राम
सिगम, श्री बासवपुन्नय्या
सिगरावडीवेल, श्री एस०
सिंह, श्री आनन्द
सिंह, श्री उदय प्रताप
सिंह, श्रीमती उषा
सिंह, प्रो० एन० तोम्बी
सिंह, श्री ललित विजय
सिंह, श्री जगन्नाथ
सिंह, श्री धनराज
सिंह, श्री के० मानवेन्द्र
सिंह, श्री प्रताप
सिंह, श्री राम नरेश
सिंह, श्री राम प्रसाद
सिंह, श्री रामदास
सिंह, श्री सुरेन्द्र
सिंह, श्री हर गोविन्द
सिदनाल, श्री एस० बी०
सिलवेरा, डा० सी०
सुन्दरराज, श्री एन०
सुखबंस कौर, श्रीमती
सुल्तानपुरी, श्री के० डी०
सूबेदार, श्री
सूर्यवंशी, श्री नरसिंहराव
सेठ, श्री इब्राहीम सुलेमान
सेलवम, श्री कांसी पन्नीर
सोज, प्रो० सैफुद्दीन
सोढ़ी, श्री मानकूराम
सोनकर, श्री कल्पनाथ
सोलंकी, श्री सूरजभानु
हाण्डू, श्री प्यारे लाल
हेत राम, श्री

विपक्ष में

अतिन्दर पाल सिंह, स०
गोखले, श्री विद्याधर
चौहान, श्री प्रभात सिंह
तस्लीमुद्दीन, श्री
प्रसाद, श्री आर० एस०
मायकर, श्री गोपालराव
मुंजारे, श्री कंकर
राय, श्री ए० के०
शास्त्री, श्री यमुना प्रसाद

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन* मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 299

विपक्ष में : 009

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।** (व्यवधान)

उप प्रधानमंत्री तथा कृषि मन्त्री और पर्यटन मन्त्री (श्री देवी लाल)। स्पीकर सर, इसमें हमें एक एतराज है···(व्यवधान)···मेरी बात तो सुन लो। इस बारे में हाउस की राय ले ली जाये कि यह हाउस डिजाल्व होना चाहिये या नहीं जिससे लोगों को भी इनकी इच्छाओं का पता लग जायें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : देवी लाल जी, आप मन्त्री हैं।

(व्यवधान)

श्री देवी लाल : मैं इस दौरान एक बात कहना चाह रहा हूं। जिस तरह से अपनी मोज और आइज लागू हुआ, इसी ढंग से हाउस डिजाल्व होना चाहिए या नहीं, इसकी राय ले लेनी चाहिए। माननीय सदस्य इसके लिए हाथ खड़ा करें···(व्यवधान)···आप हाउस की इस सम्बन्ध में राय तो ले लें। लीडर अपनी लीडरी चमकाने के लिए लोगों को मिसगाइड करते हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : अध्यक्ष जी, मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाऊंगा कि साधारणत: सरकार के त्यागपत्र के बाद जो यह सत्र कल और आज हुआ है, उसमें केवल वित्तीय विधेयक लिए जायेंगे और जो संवैधानिक संशोधन आवश्यक हैं, उन्हीं पर चर्चा होगी, यह तय किया गया था। यह जो विधेयक आया वह इस चर्चा में से आया कि प्राय: सभी दलों ने एक स्वर से कहा था कि कुछ चीजें पहले की रही हुई हैं, वे अगर हो जायें तो हमें आपत्ति नहीं है लेकिन इन्ट्रोडक्शन में मुझे दिखायी दिया कि सदन में दो मत हैं। ऐसी स्थिति में इस प्रकार का विधेयक पारित हो, मैं उचित नहीं मानता। मैं निवेदन करूंगा कि अगर प्राय: सर्वसम्मत राय, कन्सेंसस हो तो यह बिल पास होना चाहिए, अन्यथा नहीं होना चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री पी० वी० नरसिंह राव बोलेंगे।

श्री पी० वी० नरसिंह राव (रामटेक) : अभी अभी श्री आडवाणी ने जो कहा है, मैं उससे सहमत

---

* निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपना मतदान किया :

पक्ष में : श्री के० राममूर्ति, श्री बेगा राम, श्री सी० के० कुप्पुस्वामी, श्री धर्मपाल शर्मा, श्री शिकिहो सेमा, श्री मोरेश्वर सावे, श्री गुमान मल लोढा, प्रो० शैलेन्द्र नाथ श्रीवास्तव तथा श्री वामनराव महाडीक।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

हूं या तो इस पर सर्वसम्मत राय प्रकट की जानी चाहिए अथवा इस पर बिल्कुल भी विचार ही नहीं किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन (अलेप्पी) : महोदय, इस प्रकार से समस्या का समाधान किया जा सकता है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह एक संशोधन प्रस्तुत करे ताकि सदस्यों को यह विकल्प हो कि वह वर्तमान पेंशन को ही जारी रहने दें। (व्यवधान) महोदय, एक ऐसा संशोधन प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिसके अन्तर्गत जो सदस्य यह पेंशन नहीं चाहते हैं, उन्हें यह विकल्प हो कि वे विद्यमान पेंशन ही जारी रहने दें। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जनता के सामने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत मत कीजिए कि देश की जनता यह कहे कि यह अपने लिए ही किए जा रहे हैं···

अध्यक्ष महोदय : यमुना प्रसाद जी, आप बैठ जायें।

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : आज इस देश की आर्थिक स्थिति यह है कि 10 हजार करोड़ रुपए के घाटे का यहां इन्टरिम बजट पेश किया गया है। एक तरफ तो 10 हजार करोड़ के घाटे का बजट और देश में ऊपर 40 हजार करोड़ के कर्ज और दूसरी तरफ··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यमुना प्रसाद जी, आप बैठ जायें। मैंने आपको नहीं बुलाया।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : विधेयक सभा के समक्ष है। अब मन्त्री जी बोलेंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : इस विधेयक को प्रस्तुत करने के पहले जो बातचीत हुई थी···

अध्यक्ष महोदय : आपने आडवाणी जी और नरसिंह राव जी की बात सुन ली ?

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : हां, आडवाणी जी और नरसिंह राव जी की बात से मैं सहमत हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हमको लगता है कि मालवीय जी की राय आने के बाद इसमें यूनानिमिटी है। इस बिल को अभी पारित नहीं किया जाए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, आडवाणी जी ने कुछेक टिप्पणियां की हैं। उनको ध्यान में रखते हुए हमें यह स्पष्ट करना है। जब इसे ध्वनि मत हेतु रखा गया था, उस समय हममें से किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया था। वास्तव में, हमारा यह विचार था कि इसके लिए

मत-विभाजन की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अतएव हमने मत-विभाजन में भाग नहीं लिया था परन्तु, हमने इसका विरोध भी नहीं किया था। अत: सभा में मत-विभाजन नहीं हुआ सिवाय उन लोगों के जो मत-विभाजन कराना चाहते थे। यह स्थिति है। हम अभी भी उसी पर कायम हैं तथा हमने अपना निर्णय नहीं बदला है। (व्यवधान)

श्री ए० के० राय : मैं इस विधेयक का प्रत्येक चरण पर विरोध करता हूं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर मूव नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा आज 5.00 बजे म०प० पर पुन: समवेत होने तक स्थगित होती है।

12.00 मध्याह्न

तत्पश्चात् लोक सभा 5.00 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

5.02 म० प०

लोक सभा 5.02 म० प० पर पुन: समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अध्यक्ष महोदय : श्री सत्य प्रकाश मालवीय विधेयक प्रस्तुत करेंगे···

(व्यवधान)

श्री आर० मुथिया (पेरियाकुलम) : महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप किस विषय पर कहना चाहते हैं ?

श्री आर० मुथिया : मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं जो केवल हमारी पार्टी से ही सम्बद्ध नहीं है बल्कि इस सभा से भी सम्बद्ध है। हमारे एक सदस्य डा० कालीमुथु ने हमारी पार्टी छोड़ दी है तथा पिछले दिसम्बर के आरम्भ में ही वे द्रविड़ मुनेत्र कषगम पार्टी में वे शामिल हो गए हैं। हमने आपके समक्ष एक याचिका दायर की थी कि आप उन्हें इस सभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दें। परन्तु, इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय देने में काफी समय लग रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय में विचार कर रहा हूं।

श्री आर० मुथिया : इसी दौरान उन्होंने समाचार पत्रों द्वारा यह घोषणा कर दी थी कि उन्होंने इस सभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था तथा त्यागपत्र आपको भेज दिया गया था। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रेस में दिए गए वक्तव्य से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है।

(व्यवधान)

श्री आर० मुथिया : उन्होंने अपने नेता श्री करुणानिधि की उपस्थिति में प्रेस में यह घोषणा की थी। (व्यवधान) मैं सदस्य तथा उनके नेता के परस्पर संबंधों को जानना चाहता हूं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में कुछ भी पत्र-व्यवहार नहीं हुआ है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

5.04 म० प०

संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (दूसरा संशोधन) विधेयक

—[जारी]

[हिन्दी]

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मद संख्या 13 तथा 14 पर कब विचार विचार किया जाएगा ?

अध्यक्ष महोदय : बाद में।

(व्यवधान)

श्री ए० के० राय (धनबाद) : महोदय, मैं इस विधेयक की विशेषताओं के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप विधेयक के तीसरी बार पढ़े जाने के समय अपनी बात कह सकते हैं।

खंड 2—15 का बारा संशोधन

डा० वेंकटेश काबडे (नान्देड़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1, पंक्ति 8,

"अकेले या किसी साथी के साथ" के स्थान पर "अकेले या किसी साथी के साथ या पति अथवा पत्नी के साथ" प्रतिस्थापित किया जाए। (5)

पृष्ठ 2,

(एक) पंक्ति 5 के पश्चात् उपधारा (2) में "सोलह" शब्द के स्थान पर "चौबीस" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए ।

(दो) पंक्ति 5, "सोलह यात्राओं" के स्थान पर "चौबीस यात्राओं" प्रतिस्थापित किया जाए । (6)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : डा० काबडे ने अभी कुछ संशोधन प्रस्तुत किए हैं । सरकार द्वारा इन संशोधनों पर सहमति प्रकट की गई है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 1, पंक्ति 8,

"अकेले या किसी साथी के साथ" के स्थान पर "अकेले या किसी साथी के साथ अथवा पति अथवा पत्नी के साथ" प्रतिस्थापित किया जाए ।

पृष्ठ 2,

(1) पंक्ति 5 के पश्चात

उपधारा (2) में "सोलह" शब्द के स्थान पर "चौबीस" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा ।"

(2) पंक्ति 12

"सोलह यात्राओं" के स्थान पर "चौबीस यात्राएं" प्रतिस्थापित किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड — 3 धारा 8क में संशोधन

संशोधन किए गए :

पृष्ठ 2, पंक्ति 9,

"दूसरा संशोधन" के स्थान पर "(संशोधन)" प्रतिस्थापित किया जाए । (2)

पृष्ठ 2, पंक्ति 13,

"(दूसरा संशोधन)" के स्थान पर "(संशोधन)" प्रतिस्थापित किया जाए । (3)

पृष्ठ 2, पंक्ति 35

"(दूसरा संशोधन)" के स्थान पर "(संशोधन)" प्रतिस्थापित किया जाए। (4)

(श्री सत्य प्रकाश मालवीय)

डा० वेंकटेश काबड़े (नान्देड़) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2, पंक्ति 16 और 17

"प्रतिमास पेंशन दी जाएगी" के स्थान पर "को, या ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसने कम से कम एक वर्ष की अवधि तक उपर्युक्त रूप में सेवा की है, प्रतिमास एक आनुपातिक रकम की, पेंशन दी जाएगी, चाहे वह सेवा निरन्तर हो या नहीं" प्रतिस्थापित किया जाए। (7)

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : सरकार इस पर सहमत है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 2, पंक्ति 16 और 17

"प्रतिमास पेंशन दी जाएगी" के स्थान पर "को, या ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसने कम से कम एक वर्ष की अवधि तक उपर्युक्त रूप में सेवा की है, प्रतिमास एक आनुपातिक रकम की, पेंशन दी जाएगी चाहे वह सेवा निरन्तर हो या नहीं;" प्रतिस्थापित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड-1—संक्षिप्त नाम

संशोधन किए गए

पृष्ठ 1, पंक्ति 4—

"(दूसरा संशोधन)" के स्थान पर "(संशोधन)" प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

(श्री सत्य प्रकाश मालवीय)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये जाएं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव किया गया :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

श्री ए० के० राय बोलेंगे।

(व्यवधान)

— — — —

5.11 म० प०

भूतपूर्व संसद सदस्यों को रेल सुविधाएं दिये जाने के बारे में

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : भूतपूर्व संसद सदस्यों को रेल सुविधाएं दिये जाने के सम्बन्ध में मंत्री जी ने वक्तव्य देने का वादा किया था। भूतपूर्व संसद सदस्यों को रेल सुविधाएं देने के सम्बन्ध में हम मन्त्री जी से आश्वासन चाहते हैं। उन्होंने अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया है।

डा० तम्बि दुरै (करूर) : मैं इसका समर्थन करता हूं।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय) : इस विषय पर विपक्ष के नेताओं के साथ आज दोपहर बाद चर्चा की गई थी। मैंने भी रेल मन्त्री के साथ इस विषय पर बातचीत की। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि इस सम्बन्ध में जो भी संभव होगा किया जाएगा। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

रेल मन्त्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : अध्यक्ष महोदय, 1979 में जब लोक सभा भंग हुई थी, उस समय माननीय सदस्यों को रेलवे पास की व्यवस्था की गई थी, उसी आधार पर पास की व्यवस्था··· **(व्यवधान)**···

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : वह तो दो महीने के लिए थी। **(व्यवधान)**

श्री जनेश्वर मिश्र : उसके बारे में विचार किया जायेगा। जब तक यह की गई है, उसी के आधार पर की गई थी। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

डा० तम्बि दुरै : उन्होंने क्या कहा हमारी समझ में नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया उसे दोहराएं।

[हिन्दी]

श्री जनेश्वर मिश्र : अध्यक्ष महोदय, 1979 में जब लोक सभा भंग हुई थी तो माननीय सदस्यों को आइडेंटटी कार्ड इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई थी। उसी आधार इस सदन के जो माननीय सदस्य हैं अगर यह लोक सभा भंग होती है तो उन्हें भी आइडेंटटी कार्ड इस्तेमाल करने के लिये इजाजत दी जायेगी। रह गई बात भूतपूर्व संसद सदस्यों को भी रेलवे पास की व्यवस्था की जाये, उसके बारे में प्रोसीजर चैक कर लेंगे और वह जरूर दिया जायेगा। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा : वह जरूर दिया जाएगा। आशा है आप समझ गए होंगे।

डा० लम्बि दुरै : मैंने अभी समझा है।

———

5.14½ म० प०

संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (दूसरा संशोधन) विधेयक

—(जारी)

श्री ए० के० राय (धनबाद) : अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक तथा इस पर सभा की स्वार्थपूर्ण सहमति का विरोध करते हुए मुझे दुख हो रहा है। इस विधेयक को स्वीकार करने के बुरे परिणामों से भी मैं सभा को अवगत कराना चाहता हूं।

सभी वित्तीय कार्य को सम्पन्न कर देश की सहायता करने के लिए मैं सभा की सराहना करता हूं। महोदय, यह विधेयक जो सभा के लिए ही है, इसे देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। सदन सदस्यों की स्वेच्छाचारिता के लिए नहीं है। सदन जनता के लिए है। (व्यवधान)

यही हमने किया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री राय, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

(व्यवधान)

श्री ए० के० राय : अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बहुत दिनों से लम्बित लोक पाल विधेयक जैसे कानूनों को हम नहीं बना पाए। हम काम का अधिकार प्रदान करने के लिए कानून नहीं बना पाए जिससे युवकों को लाभ मिलता। श्रमिकों के लाभ के लिए हम प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी संबंधी कानून भी नहीं बना पाए। उस बजट में भी हमने राजसहायता, जिससे किसानों को लाभ होता, उसे भी अप्रत्यक्ष रूप से वापस ले लिया है। इस प्रकार हम जीवन के हर क्षेत्र में असफल रहे हैं। हम जनता की कोई सेवा नहीं कर पाए। अब इस सभा को भंग किया जा रहा है। इस समय हम अपनी सुविधाएं बढ़ाने पर अधिक ध्यान दे रहे हैं।

महोदय, मैं, आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारी ऐसी प्रशंसा नहीं होगी ताकि हम इस बात का दावा कर सकें कि हमने कोई उपलब्धि प्राप्त की है। मैं पेंशन का विरोध नहीं करता परन्तु,

इतना कहना चाहता हूं कि पेंशन राजनीति से संन्यास लेने वाले सदस्यों को दी जानी चाहिए। पेंशन का तात्पर्य क्या है? पेंशन सांत्वना पुरस्कार नहीं है। यह कोई दान नहीं है। यह संविधान में समानता के मौलिक सिद्धांतों के विपरीत है। यदि कोई भूतपूर्व संसद सदस्य चुनाव लड़ता है, और वह हार जाता है तो उसे पेंशन मिलेगी परन्तु यदि एक आम आदमी चुनाव लड़ता है और वह हार जाता है तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। एक भूतपूर्व संसद सदस्य को पेंशन मिल सकती है बशर्ते कि वह राजनीति से अलग हो गया हो। इस उपबंध को विधेयक में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

महोदय, इस सभा में अनेक भूतपूर्व प्रतिष्ठित प्रधानमन्त्री सदस्य तथा मंत्री रहे हैं। हमें जनता का सामना करना पड़ेगा, वह हमारे कार्य के बारे में पूछेगी। महोदय, जनता के लिये कार्य करने के बजाय हमने केवल अपनी सुविधाओं में वृद्धि की है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपको भी जनता के सामने जाना पड़ेगा तथा इस सभा के माननीय सदस्य जनता के इस सवाल का क्या जवाब देंगे? हमने राष्ट्र की पूरी तरह से अवहेलना की है। इसलिए मैं इस विधेयक का पूर्णत: विरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

(व्यवधान)

श्री ए० के० राय : महोदय, निर्णय "नहीं" वालों के पक्ष में हुआ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : नियमानुसार आपको स्वनिर्णय का अधिकार है। अगर आपको लगता है कि बहुत कम लोग प्रस्ताव के विपक्ष में हैं; तो आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं तथा मत-विभाजन करवाना आवश्यक नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर प्रसाद (आरा) : अध्यक्ष महोदय, विरोध पक्ष की आवाज को दबा नहीं सकते हैं। ···**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल एक या दो सदस्यों को इसका विरोध करते हुए सुन रहा हूं। मैं सदन में मत-विभाजन नहीं करवा रहा हूं।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(इस समय श्री ए० के० राय और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

5.20½ म० प०

राज्य सभा से सन्देश

--(जारी)

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

(1) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1991 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 11 मार्च, 1991 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(2) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1991 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 11 मार्च, 1991 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(3) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 1991 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 11 मार्च, 1991 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(4) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे वित्त विधेयक, 1991 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 11 मार्च, 1991 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(5) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे पंजाब विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1991 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 11 मार्च, 1991 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(6) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे पंजाब विनियोग विधेयक, 1991 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 11 मार्च, 1991 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(7) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे असम विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1991 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 11 मार्च, 1991 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(8) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे असम विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 1991 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 11 मार्च, 1991 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(9) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे तमिलनाडु विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1991 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 11 मार्च, 1991 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(10) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे तमिलनाडु विनियोग विधेयक, 1991 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 11 मार्च, 1991 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(11) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे जम्मू-कश्मीर विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1991 को जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 11 मार्च, 1991 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(12) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे जम्मू-कश्मीर विनियोग (संख्यांक-2) विधेयक, 1991 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 11 मार्च, 1991 की बैठक में पारित किया गया था

और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(13) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे पांडिचेरी विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1991 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 11 मार्च, 1991 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(14) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे पांडिचेरी विनियोग विधेयक, 1991 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 11 मार्च, 1991 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के सम्बन्ध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(15) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा, 12 मार्च, 1991 को हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 11 मार्च, 1991 को पारित किए गए संविधान (पचहत्तरवां संशोधन) विधेयक 1991 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

— — — —

5.21 म० प०

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति

महासचिव : महोदय, 22 फरवरी, 1991 को सभा को सूचित करने के पश्चात् चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त संविधान (अड़सठवां संशोधन) विधेयक, 1991 की राज्य सभा के महासचिव द्वारा अधिप्रमाणित प्रति को सभा-पटल पर रखता हूं।

— — — —

5.21½ म० प०

विशेषाधिकार समिति

दूसरा प्रतिवेदन

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : विशेषाधिकार समिति के दूसरे प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) को मैं सभा पटल पर रखता हूं।

— — — —

5.22 म० प०

पंजाब राज्य के सम्बन्ध में 11 मई, 1987 को जारी की गई उद्घोषणा को आगे लागू रखे जाने का अनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय): महोदय, मैं श्री सुबोध कान्त सहाय की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा पंजाब राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 11 मई, 1987 को जारी की गई उद्घोषणा को 11 मई, 1991 से और छह महीने की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

जैसाकि सभा को यह पता है कि पंजाब राज्य में राज्यपाल की सिफारिश पर 11 मई, 1987 को राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की गई थी। राज्य विधान सभा जिसे शुरू में निलम्बित रखा गया था, 6 मार्च, 1988 को भंग कर दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 356(1) के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी की गयी उद्घोषणा को 12 मई, 1987 को लोक सभा और राज्य सभा ने स्वीकृति दी थी।

चूंकि राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती रही इसलिए पंजाब में राष्ट्रपति शासन समय-समय पर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति पर बढ़ाया जाता रहा। राष्ट्रपति शासन की वर्तमान अवधि 10 मई, 1991 को समाप्त हो रही है।

संविधान (67वां संशोधन) अधिनियम, 1990 के पश्चात संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (4) में यह व्यवस्था है कि पंजाब राज्य के सम्बन्ध में जारी की गई उद्घोषणा को उपरोक्त अनुच्छेद के खण्ड (5) में उल्लिखित शर्तों को बिना पूरा किये कुल चार वर्ष के लिये बढ़ाया जा सकता है। चूंकि पंजाब में कानून और व्यवस्था की वर्तमान स्थिति अब भी ऐसी नहीं है कि वहां स्वतन्त्र और शांतिपूर्ण तरीके से विधान सभा का चुनाव सम्पन्न कराया जा सके इसलिए संविधान (68वां संशोधन) अधिनियम, 1991 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद के खण्ड (4) को संशोधित किया गया है। इस कानून के बनने से पंजाब राज्य के सम्बन्ध में जारी की गई राष्ट्रपति की उद्घोषणा कुल पांच वर्षों के लिए बढ़ाई जा सकती है।

पंजाब के राज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेजी गई अपनी हाल की रिपोर्ट में बताया है कि आतंकवादियों के विरुद्ध कई कदम उठाए गए हैं। जिससे राज्य की स्थिति में कुछ सुधार हो रहा है। राज्यपाल का यह मत है कि वर्तमान व्यवस्था को यदि आगे कुछ और महीनों के लिए बढ़ा दिया जाए तो राज्य में सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया को फिर से बहाल किया जा सकता है। इसलिए वर्तमान उपलब्धियों को दृढ़ बनाने और स्थिति में अधिक से अधिक सुधार लाने के लिये और समय देने हेतु राज्यपाल ने 10 मई, 1991 के बाद और छह माह के लिए राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने की सिफारिश की है।

राज्य में व्याप्त स्थिति और सभी प्रासंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए यह सुझाव दिया

गया है कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि को 11-5-91 से और छह माह की अवधि के लिए बढ़ाया जाए।

इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैंने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उस पर इस सम्मानित सभा की स्वीकृति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा पंजाब राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 11 मई, 1987 को जारी की गई उद्घोषणा को 11 मई, 1991 से और 6 महीने की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

अब श्री कृपाल सिंह बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री कृपाल सिंह (अमृतसर) : अध्यक्ष महोदय, मेहरबानी है आपकी कि आपने पंजाब राज्य के मुताल्लिक जो सांविधिक संकल्प पेश किया गया है, उस पर बोलने की इजाजत दी। उन पंजाबियों को, जिन्हें आजादी का हक नहीं दिया गया है, आवाम को उन हाथों मे सौंपा जा रहा है उनको बेरहम फौजियों, नीम फौजियों और पुलिस के करप्ट खूं खार वर्दियों के आगे डाल दिया गया है। उनकी दो-तीन दास्तानें आपकी नजर में अर्ज करूं, सुनाऊं तो आप समझेंगे। मालूपुर एक गांव है उस गांव में छह (6) आदमियों को जो अपने घर से पेट्रोल, डीजल लेने के लिए जा रहे थे और एक भैंसे वाली गाड़ी पर सवार थे, उन आदमियों को गोलियों से भून दिया गया। वहां के सिविल और पुलिस अफसरों ने गांव वालों से माफी मांगी और गांव वालों को कुछ सुविधाएं देने का ऐलान भी किया, लेकिन मिलिट्री का अफसर खड़ा सिगरेट पीता रहा और उसने किसी से माफी नहीं मांगी। इसके अलावा वहां के नौजवानों को परेशान किया जाता है और दिया जाता है। पंजाब की समस्या कोई सुनने वाला नहीं है। मातायें अपने बच्चों को देखने के लिए भटकती फिरती हैं, खानदान भटकते फिरते हैं, लेकिन उनको नहीं बताया जाता कि उनका बच्चा कहां है, जिन्दा भी है या मर गया है, यह भी नहीं बताया जाता? कोई जुडिशियल अथोरिटी नहीं है जिसके पास जाकर वह अपनी फरियाद कर सकें।

पांच लोगों ने बैंक में चोरी की, उनसे चोरी का माल भी पकड़ा गया। उनको जेल भेज दिया गया और जेल से प्रोडक्शन वारन्ट पर जेल से बाहर लाकर गोलियां मार दी गई और कहानी ये गढ़ी गई कि उन लोगों को छुड़ाने के लिए डाकुओं ने हमला किया और ये पांच आदमी क्रास फायरिंग में मारे गए और क्रास फायरिंग में न तो किसी पुलिस वाले को चोट आई, न डाकुओं को। इस किस्म की झूठी कहानियां हर रोज वहां पर बनती हैं। इन लोगों से 4-5 लाख का माल बरामद हुआ दिखाया गया, जब कि चोरी 25 लाख से ज्यादा की थी। इस केस को सिरे से खत्म करने के लिए इन लोगों को मारा गया। चण्डीगढ़ के कई सैक्टरों और मोहाली में घेरा डालकर घर-घर की तलाशियां ली गईं, लोगों को बेइज्जत और परेशान किया गया और ये काम सारे पंजाब में चल रहा है। वहां पर लोगों के रास्ते रोकने शुरू किए गए। अखबारों पर बगैर किसी ऐलान के ऐसा सेंसर लगा दिया गया जिससे एक दिन अजीत अखबार की अस्सी हजार (80,000) कापियां जब्त की गईं। पंजाबी ट्रिब्यून की

ग्यारह हजार (11,000) और इसी तरह दूसरे दो अखबार अकाली पत्रका और अज दी आवाज की भी कापियां जब्त की गई और ऐसा हर रोज वहां पर हो रहा है। प्रधानमन्त्री जी से फरियाद की तो उन्होंने कहा कि मैं अजित अखबार को ही बन्द कर दूंगा। मुझे मालूम नहीं किस आदमी के पास हम फरियाद करने जाएं।

"हमने चाहा था कि हाकम से करेंगे फरियाद, वे भी कम्बख्त तेरा चाहने वाला ही निकला।"

पंजाब के गवर्नर ने आते ही पंजाबियों और पंजाबी जुबान पर प्रहार करना शुरू कर दिया। 10 साल से भी ज्यादा अर्से पहले पंजाब के भाषा विभाग ने हर तरह की व्हिकल पर पंजाबी लिखने का नोटीफिकेशन किया था कि सब लोग पंजाबी लिखें। इस नोटीफिकेशन को गवर्नर ने वापस ले लिया और जिन लोगों ने अपने व्हिकल पर पंजाबी लिखवाई थी उनको पुलिस की तिशदत और रिश्वत का सामना करना पड़ा। इस तरह के जुल्म पंजाब के साथ हो रहे हैं। हजारों लोग पंजाब में और पंजाब से बाहर मारे गए उनको अभी तक बसाया नहीं जा सका। ब्लू स्टार के उजड़ों को और देहली और न ही देश के दूसरे भागों से उजड़े परिवारों को बसाया जा सका। इसी हाउस में मधु दण्डवते जी ने फाइनेंस मिनिस्टर की हैसियत से यह ऐलान किया था कि विकटम का कोई हो, किसी भी जाति, किसी भी सूबे का हो, सबको बराबर का रिलीफ दिया जाएगा। कोई इसमें वितकरा (डिसक्रिमिनेशन) नहीं होगा, लेकिन आज भी यह डिसक्रिमिनेशन जारी है। जहां तक ये ऐलान गवर्नमेंट और होम मिनिस्टर ने इस हाउस में और सब लोगों के सामने किए हैं उन पर भी अमल नहीं हो रहा है और लोग यह कहते हैं कि पंजाब की हालत खराब है। वहां पर लोग जाकर देखें कि पंजाबी किस तरह के सगे भाईयों की तरह से रहते हैं। कुछ लोग पंजाब में लड़ रहे हैं लेकिन आपस में भाईचारा पंजाब में पूरी तरह से कायम है। उनकी आजादी क्यों छीनी जाए। कहा जाता है कि वहां पर लोग खालिस्तान की मांग करते हैं, मैं कहता हूं कि यह हाउस खुद उनको खालिस्तान दे रहा है। पंजाब के साथ हमेशा गलत सुलूक होता रहा है। पंजाब को आजादी की कीमत यह देनी पड़ी जबकि सबसे पहली गवर्नमेंट ने कहा कि यहां के तमाम लोग सरफरोश हैं बहादुर हैं। उसके बाद पंजाबी सूबे की मांग हुई। ये सब बातें इसलिए होती हैं कि सिक्खों को सहूलियत देने की बात हो, पानी की बात हो, इण्डस्ट्री की बात हो या कोई भी बात हो, हर बात में पंजाब के साथ गलत सुलूक किया जाता रहा, न कोई वहां पर हैवी इण्डस्ट्री दी गई और न ही कुछ और किया गया शेडयूलकास्ट जो सिक्ख बने, उनको भी अपने हकों के लिए लड़ना पड़ा, पंजाबियों ने अपने आप वहां पर जिंदा रहने की कोशिश की और जो कुछ वे बना सकते थे, उन्होंने बना लिया।

जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, ये तो अंग्रेजों के नक्शे-कदम पर चलते रहे हैं। मुझे कांग्रेस से कोई गिला नहीं है, लेकिन उन्होंने भी पंजाब में मारो व राज करो की अंग्रेजों की नीति अपनाई और उसी रास्ते पर चलते रहे। सबसे गलत काम कांग्रेस ने यह किया जो दरबार साहब पर गोलियां चलवाई, वहां पर टैंक लगवा दिए, हजारों लोगों को मारा गया और लोगों को मारने वाले एम० पी० बन गए, वजीर बन गए, दिल्ली मेट्रोपोलिटन के मेंबर बन गए और वे तमाम लोग वहां फिर रहे हैं, उनसे कोई पूछने वाला नहीं है कि तुमने यह जुल्म क्यों किया। अगर कोई पंजाब का नुमाइन्दा हो तो वह बात करे, आज किससे बात करें। सरकार भी कहती है कि किससे बात करें, जिन नुमाइन्दों का रास्ता आपने रोक रखा है, जिनको अपनी नुमाइन्दगी बनाने नहीं दी जाती, उनको नुमाइन्दगी बनाने

[श्री कृपाल सिंह]

को इजाजत दी जाए और उनसे बात की जाए। आज कभी एक साल के लिए और कभी 6 महीने के लिए और कभी 6 महीने के लिए गवर्नर्स रूल बढ़ा दिया जाता है, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। हमें श्री वी० पी० सिंह से बहुत उम्मीद थी, लेकिन वे भी जब आए तो उन्होंने यह कहा कि मैंने हिमालय जैसी गलती की है। आज जनता दल ने ईमानदारी से साबित किया है कि वे इस बात को गलत समझते है। चन्द्रशेखर जी से हमें उम्मीद थी, जो हमारे साथ इमरजेंसी में जेल में रहे, उनसे हमें उम्मीद थी। सिक्खों का कुसूर यह था कि इमरजेंसी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा लगाया और उसकी सजा उन्होंने पाई। (व्यवधान)

आज यह बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि जिन लोगों को आज दबाने की कोशिश की जा रही है, उन्होंने दबना नहीं सीखा है। मैं बताना चाहता हूं कि यह बात कहां से शुरू हुई, यह बात पंजाबी जुबान से शुरू हुई। वहां पर कहा गया कि आप लोग उड़ा-ऐड़ा नहीं सीखेंगे, इसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी और कांग्रेस भी शामिल थी। पंजाब में उस समय जो जहर का बीज बोया गया, आज वह बीज पनप रहा है, फल-फूल रहा है। पंजाब से किसी ने मोहब्बत नहीं की, हम चन्द्रशेखर जी से उम्मीद करते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने लोगों को टायरों से जलते हुए देखा है, लोगों के घर उजड़ते हुए देखा है, दरबार साहब के अन्दर खुद मेरे साथ टोकरी उठाई है, उन पर हम ऐतबार करते थे, लेकिन आज वह ऐतबार के काबिल आदमी भी इन लोगों के झांसे में आ गया और इन्हीं की बोली बोलने लग गया है। अब कोई फरियाद करने के वास्ते किसके पास जाए। दरबार साहब को खण्डहर बना दिया, अकाल तख्त गिरा दिया गया, आज भी लोगों को रोज उजाड़ा जा रहा है, लेकिन लोगों की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। कोई ज्यूडिशल अथारटी नहीं है, जिसके पास रोती हुई मां आकर पूछे कि मेरा बच्चा पकड़ा गया था, वह अब जिंदा है या नहीं, कहां है, किस जेल में है, उसको कोई बताने वाला नहीं है, कोई बात नहीं सुनता है। पंजाब से भी लोग उजड़ कर यहां आए हैं, दिल्ली में आए हैं, उनकी भी बुरी हालत है, इधर से भी उजड़ कर लोग वहां गए हैं। जिन लोगों के घर उजड़े हैं, उनको अपने नुमाइन्दे चुनने दिया जाए। उजड़े हुए मजलूमों को, मासूमों को, जिन बेगुनाहों के साथ अन्याय हुआ है, जिनको मारा गया है, उनको अपने-अपने घर वापिस जाने दें और ऐसा इन्तजाम किया जाए कि वे अपना नुमाइंदा चुन सकें। चाहे लोग इधर से गए हैं या उधर से आए हैं, सब एक तरह की ही तकलीफें उठाते हैं, लेकिन यह समस्या है कि किसी तरह से खत्म होने में नहीं आती।

यह सरकारी शोषण हुआ था और हर एक मामले पर जब भी कोई बात आयी, एमरजेंसी की लड़ाई में जो काम पंजाबियों ने किया उसकी सजा तो आज तक वे भुगत रहे हैं। पंजाब सूबा बना वह भी लंगड़ा। लोंगोवाल समझौता हुआ वह भी बेईमानी की नजर हो गया। जब हकूमत ही बेईमान हो, उसका सरफराज ही बेईमान हो तो वह क्या काम करेगा। पंजाबियों पर हर तरह से ज्यादतियां की गयी। एक उम्मीद थी, वह उम्मीद थी चन्द्रशेखर, आज वह उम्मीद भी नहीं है। हम देखते हैं कि वह भी उन्हीं गुनहगारों में शामिल हो गए, जिन्होंने ये सारे गुनाह किए थे। इस तरह मैंने आपसे जिक्र किया है कि 6 लोगों को मिलिटरी ने मारा, उसके लिए किसी मिलिटरी अफसर ने अफसोस नहीं किया।

सिविल वालों ने जरूर अफसोस किया और उन्होंने कुछ सुविधा देने की बात कही। मैं कह सकता हूं कि पंजाब के लोग दबाए नहीं जा सकते हैं।

"कहर जिन्दगी दी ओह पा सके।
जेड़ी कौम नू मरण दा झल पै जाए।।

पैंदा अन्त नूं मुल कुर्बानियां दा।
भावें अज पै जाए भावें कल पै जाए।।"

"इन्सां नहीं जो डर जाए माहौल के खूनी मंजर से।
जिस हाल में जीना मुश्किल है उस हाल में जीना लाजिम है।।"

लेकिन मैं हुकूमत को यह कहूंगा, जो आदमी सरफराज है, उसको कहूंगा कि जो बात आप आज कर रहे हैं वह बात किसी वक्त पिछली हुकूमत ने भी की थी, जिसके नतीजे सामने हैं।

"यह वक्त भी देखा है तारीख के अहदों ने।
लमहों ने खता की थी सदियों ने सजा पायी।"

आज वह सजा हम सब भुगत रहे हैं। आपने पंजाब को आईसोलेट करके रख दिया है। उसके लिए अलग कानून बना दिए हैं और फिर कहते हैं कि पंजाब के लोग खालिस्तान मांग रहे हैं। पंजाब किस से फरियाद करे। आप न सुनें, हाउस न सुने, यू० एन० ओ० में जाएं तो गद्दार हो जाएं, लोगों में जा कर फरियाद करें तो मुजरिम समझे जाएं। यहां सब हिन्दुस्तान के लोग बैठे हुए हैं। हम पंजाब को कुदरती हक से महरूम कर रहे हैं।

मैं आपके हुक्म की तामील करते हुए संक्षेप में अपनी बात कह रहा हूं। मैं उम्मीद रखता हूं कि मेरी फरियाद जो पंजाबियों की फरियाद है, वह सुनी जाएगी और पंजाब के लोगों को वह हक जो जिन्दगी का है, जो आईन का है, जो धर्म का है, अकीदे का है, जिसके लिए हर शरीफ आदमी शहादत देता है, वह हक पंजाबियों को मिलेगा। अगर चन्द्रशेखर जैसे अजीम इन्सान भी उसी रास्ते पर चलते हैं तो यह बहुत जबरदस्त अफसोस की बात है। मैं सारे हाउस से अपील करूंगा कि पंजाब में इलैक्शन करवाए जायें। मुझे तो डर है कि शायद पंजाब में कभी इलैक्शन ही नहीं होंगे। अगर पार्लियामेंट भंग होती है तो शायद पार्लियामेंट का भी इलैक्शन नहीं होगा। इससे जो नतीजे निकलेंगे वे बहुत खतरनाक हो सकते हैं, देश के लिए भी और आवाम के लिए भी।

मैं उम्मीद करता हूं कि आप हाउस से अपील करेंगे कि हाउस के सामने जो बिल लाया गया है, राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का, उसकी मुखालफत करें।

स० अतिन्दर पाल सिंह (पटियाला) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं बहुत ही संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। यह पूर्ण रूप से असंवैधानिक है कि पार्लियामेंट जोकि जनतन्त्र की रक्षा के लिए बनी है, जो जनतन्त्र की प्रतिनिधि है और जो जनतन्त्र की प्रतीक है, जो इस देश को डेमोक्रेटिक रूप में प्रतिष्ठापित करती है, उसी पार्लियामेंट के अन्दर एक स्टेट में चार साल के बाद फिर 6 महीने के लिए पार्लियामेंटरी सिस्टम को, चुनाव के सिस्टम को, जनतन्त्र को स्थगित करने के लिए

[डा० अतिन्दर पाल सिंघ]

संविधान संशोधन बिल या प्रस्ताव लाया जाए। मुझे समझ में नहीं आता कि पंजाब के मामले में आप पंजाब को यह विशेष दर्जा क्यों दे देते हैं। हम चाहते हैं कि पंजाब को विशेष दर्जा मिले। हम यह नहीं चाहते हैं कि जो विशेष दर्जा आपने दिया है वह पंजाब को दिया जाए। अगर पंजाब को यह विशेष दर्जा देना है तो पंजाब की जनता को आप यहां से संकेत भेजते हैं कि आपको भारत अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं है। जब पंजाब की जनता इस बात की मांग करती है कि हम भारत के साथ नहीं रहना चाहते, तो मुझे बताइये कि हम दोनों में से गलत कौन है?

मैं आपसे बार-बार अनुरोध करता हूं कि पंजाब में ऐसे संदेश मत भेजिए जिससे वहां की जनता और दुनिया के लोग जनतंत्र पर अपना भरोसा रखते हैं वे यह महसूस करें कि पंजाब के साथ-साथ भारत में अलगाववादी कानून अपनाए जाते हैं। अलगाववादी कानून अपनाए जाते हैं पंजाब में सब कानून बदल दिए गए हैं। पंजाब में संविधान की रूपरेखा बदल दी गई है। पंजाब के लिए संविधान का मौलिक रूप नष्ट-भ्रष्ट कर दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह सभा संविधान के मौलिक रूप को नष्ट-भ्रष्ट करने के लिए बनी है। क्या यहां पर संविधान के मौलिक रूप कानून को नष्ट-भ्रष्ट करने के लिए चुनकर आते हैं। अगर यही बात है तो हम सबसे बड़े जनतन्त्र को स्थगित करने वाले ही नहीं बल्कि जनतन्त्र को कत्ल करने वाले माने जायेंगे। मैं आपसे अपनी आत्मा की आवाज से अनुरोध करता हूं···(व्यवधान) मैं पूछना चाहता हूं कि हर रोज जो जनतन्त्र के बारे बोलते हैं उनकी आत्मा कहां पर है। जनतन्त्र को पंजाब में स्थगित करने के लिए यहां पर एक क्यों हो जाते हैं।

मैं यह भी जानना हूं कि प्रधानमन्त्री जी यहां पर बैठे हैं और पूरा हाऊस यहां पर बैठा है, वे यह स्पष्ट करें कि पंजाब में पार्लियामेंट के इलैक्शन होंगे या नहीं। प्रधानमन्त्री जी पिछले महीने हिमाचल प्रदेश की यात्रा पर गए थे। पंजाब के अखबारों में छपा कि हिमाचल प्रदेश को विशेष दर्जा दिया जायेगा। अगर उसी विशेष दर्जे के लिए पंजाब भी मांग करता है तो उसे अलगाववादी कहा जाता है। अगर वही दर्जा हिमाचल प्रदेश को दिया जाता है तो पंजाब को क्यों नहीं दिया जा सकता। पंजाब में इस समय मिलिटरी घूम रही है और शासन कर रही है। अमृतसर में वहां के करनल के द्वारा छह किसानों को मारा गया। दिन-दहाड़े गोली मारकर उनको मारा और नकली मुकदमा बनाने की कोशिश की। वहां जनतन्त्र के प्रतिनिधि भी गए तो उस करनल ने खड़े होकर कहा कि आप किसानों की बात करते हो तो हम आपकी नस्ल खत्म कर देंगे। पंजाब के गवर्नर से जब कुछ प्रतिनिधि मिलने गए तो उन्होंने कहा कि आप दाढ़ी क्यों बढ़ा रहे हैं। जिनकी दाढ़ियां बढ़ रही हैं तो उनकी दाढ़ी कटवा देंगे, यह नजरिया है। मैं यहां पर घोषित करना चाहता हूं कि हर सिख अपनी नेशनलिटी को बचाना चाहते हैं। हर सिख अपने धर्म की रक्षा करना चाहता है। यह न कहा जाए कि हम आपके साथ रहेंगे। अपने धर्म के नहीं तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। यह बात देश के नागरिक के रोंगटे खड़ी करने वाली है। अगर आप इस बात पर गौर नहीं करेंगे तो यह मानिए कि पंजाब आपके साथ नहीं रहेगा।··· (व्यवधान) कितनी बार पंजाब में रिप्रेशन बढ़ा दिया जाता है। हर पार्टी मांग करती है कि··· (व्यवधान)

मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिख बहुत फराखदिली है। उन्हें कहा जाता है कि हमेशा टेबल पर आकर हार जाते हैं। सिखों ने कोई समझौता नहीं किया। आपका यह नतीजा होगा कि पंजाब के सिखों को हरा दें और बाद में उनके साथ समझौता करें। यकीन मानिए कि सिख में इतनी फितरत नहीं है और न कभी आपके साथ समझौता करके वह मरना जानता है। वह मिथाने के लिए मर जायेगा। अगर वह समझौता करेगा तो उसी वक्त करेगा जिसमें उसकी फतह होगी। फतह ऐसी हो जाती है तो टेबल पर आने के बाद वह सब कुछ त्याग कर देता है। वह हारता नहीं है। वह अपना त्याग करता है। उसी भावना को यह कहना कि मूर्ख चीज है तो वह मूर्ख चीज नहीं है। आज पंजाब में लीडरशिप बची हुई है। अगर इस लीडरशिप को पीछे धकेलना है और पूरी पार्लियामेंट एक हो तो वह लीडरशिप टेबल पर आकर फराखदिली नहीं दिखायेगी। हमने बहुत कुछ सहा है और भोगा है और हम अपने देश के लिए एकमत होने के लिए तैयार हैं। हम मरेंगे, अवश्य मरेंगे, पर जिस समय हम मरेंगे उस समय यह बताकर मरेंगे कि हमें भारत अपने साथ नहीं रखना चाहता इसलिए हम मरने जा रहे हैं। हम इसलिए नहीं मरेंगे कि यहां यह साबित करें कि भारत अपने साथ रख रहा है इसलिए हम मर रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपनी आत्मा की आवाज सुनें और उठिये और पंजाब के मसले पर वहां की जनता की आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाते हुए वोट दीजिए और अपनी सम स्पष्ट कीजिए।

वजूद दीवानगी वां पर चारा ही कहो क्या है
जहां अकलो खिरद की एक भी मानी नहीं जाती।

बहुत अफसोस की बात है कि यहां पर हम लोग इकट्ठे होते हैं, संविधान की मर्यादा की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, जनतंत्र की रक्षा के लिए, यहां पर जो अक्ल की बात कही जाती है, समाज कही बात की जाती है, एकता की बात कही जाती है, लेकिन उसे कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। हम इसीलिए हाउस में इकट्ठे होते हैं? मैं आपके माध्यम से पंजाब की जनता की तरफ से ऐलान करना चाहता हूं कि—

इन बिजालियों से कहो कि अब मेरा आशियां तो फूंको
मेरे हौंसले को फूंको, मेरी अजम को जलाओ
मेरी जिन्दगी यही है कि सभी को फैज पहुंचे।

हम अपने भले के लिए नहीं लड़ रहे।

मेरी जिन्दगी यही है कि सभी को फैज पहुंचे
मैं चिरागे रह-गुजर हूं, मुझे शौक से जलाओ।

इसी के साथ-साथ मैं अनुरोध करना चाहता हूं—

जलाइये कितना जला सकते हैं
नमक छिड़को, नमक छिड़को, मजा इसी में आता है
कसम ले लो नहीं आदत, नहीं मेरे जख्मों को मरहम की।

आज पंजाब इस हालत में पहुंच चुका है और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप जो

[स० अतिन्दर पाल सिंह]

बार-बार ऐलान करते हैं कि पंजाब के जख्मों पर मरहम लगाने जा रहे हैं, अगर वाकई पंजाब के जख्मों पर मरहम लगाना चाहते हैं, पंजाब की जनता की आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाना चाहते हैं तो प्रधानमन्त्री जी इसी वक्त पंजाब में चुनाव कराने का ऐलान करें। मैं प्रधानमन्त्री महोदय से भी यह अनुरोध करना चाहता हूं कि आप जाते-जाते अपनी छवि को और उभारिये, पूरे भारत की जनता आपके साथ आयेगी। अगर आप पंजाब में जनतन्त्र को स्थापित करना चाहते हैं तो मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि पंजाब की जनता की आवाज को सुनिये, पंजाब में ऐसे सन्देश न भेजें कि वहां का नौजवान और भड़के और वहां कत्लो-गारत हो। आज आप जो रिजोलूशन पास करने जा रहे हैं वह इसी चीज का प्रतीक है कि आप कत्लों-गारत को बढ़ाना चाहते हैं।

मैं अन्तिम बात कहते हुए समाप्त करता हूं कि अगर इस रिजोलूशन का यही मतलब है आप पंजाब में कत्लो-गारत को बढ़ावा देंगे, अगर इस रिजोलूशन का मतलब यही है कि आप पंजाब को भारत का अंग नहीं मानना चाहते तो फिर इससे कोई हल नहीं निकलेगा। अगर आप पंजाब को भारत का अंग मानते हैं तो आपके साथ सबसे पहले मैं तिरंगा लेकर चलूंगा, आप ऐलान कीजिए कि पंजाब को हम भारत से अलग नहीं रखना चाहते, अगर नहीं रखना चाहते तो इस रिजोलूशन को वापस लीजिए। इसी समय वापस लीजिए। मैं वापसी की उम्मीद पर इस हाउस में बैठा हूं, अगर वापस नहीं लेंगे तो पंजाब की जनता की ओर से, पंजाब के नौजवानों की ओर से मैं वाकआउट कर जाऊंगा।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष जी, मैं इस सवाल पर बहस नहीं करना चाहता हूं, केवल अपनी पार्टी की स्थिति आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूं। हम इस हक में हैं कि सारे देश में जन-तांत्रिक प्रणाली के तहत चुनाव होने चाहिए। जहां-जहां भी चुनाव नहीं होते हैं, वह कोई ठीक बात नहीं है। जैसी चुनाव की प्रक्रिया सारे देश के राज्यों में हो रही है पंजाब में भी चुनाव हो हम इस पक्ष में हैं।

स० अतिन्दर पाल सिंह : इसके साथ किन्तु-परन्तु न लगाइये। जनतन्त्र-जनतन्त्र होता है उसके साथ किन्तु-परन्तु नहीं चलेगा। क्या आप यह चाहते हैं कि हमें वोट देने का हक नहीं मिले। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप बैठें।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : बहुत सी बातें यहां पर कही गई हैं, उनके बारे में हम इस हक में हैं कि सभी प्रदेशों को अधिक से अधिक अधिकार मिलें और कोई भी प्रदेश पिछड़ा न रहे और केन्द्र की प्रापर्टी बनकर न रहे और केन्द्र स्ट्रोंग सेंटर होते हुए भी प्रदेशों को अधिकार मिलें।

यहां यह बात भी कही गई कि 1984 के दंगों में जो निर्दोष मारे गए उनके आश्रितों को पुनर्वास की सुविधायें मिलें और उनके हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए। यह भी हमारे दल का मत है और हम इससे सहमत हैं। पंजाब की सबसे स्वर्णिम बात यह है कि अभी तक पंजाब में एक भी दंगा नहीं हुआ। हिंदू और सिक्खों के किसी स्थान पर भी दंगे नहीं हुए। किसी सिख ने अपने गांव में किसी हिंदू को नहीं मारा और किसी दूसरी जगह पर किसी हिन्दू ने किसी सिक्ख को नहीं मारा। अध्यक्ष जी, इस बात का लाभ उठाकर···**(व्यवधान)**···

स० अतिन्दर पाल सिंह : आपने जो यह बात कही है, इसलिए आप चाहते हैं कि पंजाब में चुनाव न हों।

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : पंजाब के अन्दर नगरपालिकाओं के चुनाव भी अभी तक नहीं हुए हैं और जो पिछले चुनाव हुए थे, उन चुनावों में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सके और लोग ठीक ढंग से चुनाव लड़ नहीं सके। अगर आज पंजाब में कोई आदमी चला जाये और किसी को जाकर चुनाव की बात करें तो लोग कहते हैं कि हमें तो अपनी जान की फिक्र लगी हुई है, हम जिन्दा रहेंगे या नहीं, इसकी फिक्र लगी है, आप अपने वोटों की गिनती कर रहे हैं। लोग अपनी लाशें गिन रहे हैं और हम वहां पर वोटों की गिनती करें यह उचित नहीं है। इसलिए पंजाब में थोड़ा सुधार हुआ है। अभी और थोड़े सुधार की गुंजाइश है। थोड़े दिनों में अगर इतना सुधार हो जाये कि लोग वहां पर निर्भय होकर चुनाव कर सकें तो चुनाव उचित होगा और इसके लिए जो छह मास बढ़ाया गया है तब तक रुकने की भी जरूरत नहीं है। कोशिश की जाये 2-3 महीनों में वहां सुधार हो जाये और उसके बाद पंजाब में चुनाव हो जायें ताकि लोग निर्भयता से चुनाव लड़ सकें, यही उचित होगा। बस, यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूं।

स० अतिन्दर पाल सिंह : मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि पंजाब में जितने ज्यादा कत्ल हुए हैं उतने···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : अतिन्दर पाल जी, आप बैठ जायें। मैंने बुलारा को बुलाया है। आपको बार-बार नहीं उठना चाहिये। आप अपनी बात कह चुके हैं। मेहरबानी करके बैठ जायें। आप बुलारा जी को बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा : जो यहां प्रस्ताव रखा गया है, हमारी पार्टी उसका समर्थन करती है।

[अनुवाद]

***श्रीमती राजिन्द्र कौर बुलारा (लुधियाना)** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अति आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मेरा माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि वे कृपया मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनें। पंजाब में वास्तविक रूप में क्या घटित हो रहा है, इसे मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूं। मैं यह जानना चाहती हूं कि लोकतान्त्रिक व्यवस्था में पंजाब के साथ यह भेदभाव क्यों किया जा रहा है? जब दूसरे राज्यों में चुनाव करवाये जा रहे हैं, तो फिर पंजाब के प्रति उपेक्षा क्यों बरती जा रही है? ऐसा इसलिए कि ब्राह्मणवादी केन्द्रीय सरकार सिखों को यह बताना चाहती है कि पंजाब में सिख समुदाय प्रगति न करें। (व्यवधान)···कृपया ध्यानपूर्वक सुनें। पंजाब में हिंसा का वातावरण व्याप्त है। वहां अफसरशाही शासन है, कोई भी सिखों की बात नहीं सुनता। पुलिस के अत्याचार असीमित रूप से बढ़ रहे हैं। मैं अपने ही जिले के तीन लड़कों क्रमशः कुलदीप सिंह कोपा,

* मूलत: पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्रीमती राजिन्दर कौर बुलारा]

पेंटा और बन्ना का उदाहरण देना चाहती हूं । इस सम्बन्ध में, मैं स्वयं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मिली और कहा कि मैं इनकी जमानत देने के लिए तैयार हूं । मैंने कहा कि ये लोग मेरे साथ ही रहेंगे और किसी तरह का गलत व्यवहार नहीं करेंगे । परन्तु कनिष्ठ अधिकारियों ने उनके घरों में छापें मारकर उनके परिवार जनों को आतंकित किया और इस प्रकार उन्हें घर से भागने को विवश किया । कुलदीप सिंह कीपा का पीछा एक भारी पुलिस बल ने किया । इस पर कीपा ने साइनाईड खाकर आत्महत्या कर ली । पेंटा और बन्ना अपने-अपने घरों से फरार हैं । यह सब कुछ लुधियाना वासियों के लिए एक बड़ी समस्या बन गई है । इस प्रकार पुलिस के अत्याचार उन बातों के लिए जिम्मेदार है, जिसकी वजह से लड़कों को अपने घरों से भागने को मजबूर होना पड़ रहा है । मैं और मेरी पार्टी के दूसरे सदस्य कुलदीप सिंह कीपा के निधन पर भोग संस्कार में सम्मिलित होने के लिए गए परन्तु वहां पर सीमा सुरक्षा बल तथा केन्द्रीय सुरक्षा बल ने जबरदस्त घेरा डाला हुआ था और हमें आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई और हम अंतिम अरदास में भी शामिल नहीं हो सके । अध्यक्ष महोदय, वहां गुरुद्वारे में किसी को भी अन्तिम अरदास संस्कार में भाग नहीं लेने दिया गया । दस हजार लोग एक ही स्थान पर इकट्ठे हुए थे, क्या इससे यह नहीं लगता कि हिन्दू और सिख एक दूसरे के शत्रु नहीं है और न ही वे उग्रवादियों के शत्रु हैं । वे तो केवल पंजाब में पुलिस बल अथवा केन्द्रीय सुरक्षा बल, सेना छावनी की व्यवस्था के शत्रु हैं । वहां सेना की छावनी स्थापित कर दी गई है । जैसाकि कि श्री किरपाल सिंह ने भी बताया है, वहां छह किसान मारे गए । वे बैलगाड़ी में सवार थे । बैलगाड़ी की गति प्रति घण्टा बहुत कम होती है । उस गाड़ी में भी छह किसान मार दिए गए । पंजाब के किसान जो कि सम्पूर्ण देश को खाद्यान्न देते हैं, मारे जा रहे हैं । जब मैं और श्री ध्यान सिंह मंड शोक संतप्त परिवार को श्रद्धांजली देने वहां गये, तो पंजाब पुलिस ने हमें सड़क पर एक घंटे तक रोके रखा । हम खेतों में से होकर किसी तरह से श्री मान तक पहुंचे । जब हम तीनों सांसद वापिस आ रहे थे, तो हमें खेतों में ही पांच घण्टे तक रोके रखा गया और हमें 5 बजकर 15 मिनट पर मुक्त किया गया । हम उन छह किसानों की अन्तिम अरदास में भी भाग नहीं ले सके । जबकि गुप्तचर विभाग के कुछ लोग यदि श्री राजीव गांधी के निवास के पास से भी गुजरें, तो सरकार गिर जाती है । परन्तु क्या पंजाब के यह तीनों संसद सदस्य किसी आदर योग्य नहीं है ? केन्द्रीय सरकार द्वारा पंजाब के लोगों पर यह भारी ज्यादातियां की जा है । एक दिन एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने वाला था, परन्तु श्री मान को जालन्धर में ही गिरफ्तार कर लिया गया ताकि वे वहां न पहुंचे सकें ।

पंजाब के लोगों और सिखों के साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है ? पंजाब में जो भी समाचार पत्र जैसे अजीत, अज दी आवाज, पंजाबी ट्रिब्यून, इण्डियन एक्सप्रेस इन सभी पर सेन्सरशिप लागू है । जो समाचार दिल्ली के समाचारपत्रों में प्रकाशित होता है, उसे पंजाब से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में सेन्सर कर दिया जाता है । अजीत समाचारपत्र की हर रोज लगभग 50 हजार प्रतियां जब्त कर ली जाती हैं । हमारे साथ इतना अन्याय क्यों हो रहा है ? इन सब कुकर्मों के लिए उग्रवादियों को जिम्मेदार ठहराया जाता है । यह केवल इसलिए है कि वहां पर सेन्सरशिप लागू है । उग्रवादियों द्वारा जो कुछ किया जाता है, उसे समाचारपत्रों में छापा जाता है, परन्तु इसके विपरीत जो कुछ उग्रवादियों द्वारा नहीं किया जाता, उसे भी समाचारपत्रों में उनके कृत्यों के रूप में प्रकाशित कराया जाता है ।

पुलिस और दूसरी एजेंसियों द्वारा जो कुत्सित कार्य किये जाते हैं, उनका आरोप भी उग्रवादियों पर थोपा जाता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि श्री महात्मा गांधी और श्री जवाहर लाल नेहरू ने सिखों को यह आश्वासन दिया था कि उन्हें एक स्वतन्त्र राज्य दिया जायेगा, जहां वे आजादी से रह सकें। चाहे आप वहां चुनाव न करायें, परन्तु आप हमें एक स्वतन्त्र राज्य का दर्जा दें, जहां हम रह सकें और जहां हिन्दुओं, सिखों और मुसलमानों में साम्प्रदायिक सदभाव हो। हम आपको दिखायेंगे कि जीवन शान्तिपूर्वक ढंग से कैसे निर्वाहित किया जाता है। हम पर इतने अत्याचारों के होते हुए भी मैं नहीं सोच सकती कि देश की एकता और अखंडता को कैसे व्यवस्थित रखा जा सकता है। पंजाब के के बारे में ही क्या कहूं, सभी राज्य भारत से सम्बन्ध विच्छेद करेंगे। सिख तो केवल अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं और वे भी अपनी शक्ति के आधार पर, वे किसी के सामने झुक नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वे अपने अधिकारों को भीख के रूप में मांग रहे हैं, बल्कि वे निश्चित रूप से साहस और शक्ति से अपने अधिकारों को ले लेंगे। सिखों को जो आश्वासन दिए गये थे, उन्हें पूरा किया जाना चाहिए और उन्हें एक स्वतन्त्र राज्य दे, जहां वे आजादी से रह सकें।

जहां तक पंजाबी भाषा का सम्बन्ध है, वह तो लुप्त प्राय: सी हो गई है। पंजाबी भाषा को पूर्ण-रूपेण नष्ट करके यह क्या न्याय किया गया है? यदि ऐसा ही है तो न केवल इसे पूरी तरह से हटा दिया जाना चाहिए, बल्कि इसे भारत के करन्सी-नोटों से भी हटा लिया जाना चाहिए। वहां उन लोगों पर जुर्माना थोपा जा रहा है, जिन्होंने अपने वाहनों के नम्बर पंजाबी भाषा में अंकित किये हुए है।

केन्द्रीय सुरक्षा बल के हरमीन्दर साहिब पर घेरे के बारे में मैं यह कहना चाहती हूं कि जब हम वहां मत्था टेकने गए तो हमने देखा की वहां आने जाने के लिए बहुत ही कम जगह है। यह हम पर एक अन्याय है। हरमीन्दर साहिब से जोकि हमारे लिए पवित्र स्थान है पुलिस का घेरा हटाया जाना चाहिए। राज्यपाल शासन के अधीन पंजाब में जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह पूरी तरह से अनुचित और अन्यायपूर्ण है। पंजाब में नर-संहार जारी है। मैं सोचती हूं कि पंजाब में राज्यपाल शासन की अवधि बढ़ाकर आप लोग वहां की स्थिति को नियन्त्रित नहीं कर सकते। हम भी उसी संविधान का पालन करते हैं जिसमें आपकी निष्ठा है और इसलिए हम लोग इस सम्मानीय सभा में चुनकर आये। आप लोगों को पंजाब के लोकतान्त्रिक ढांचे को फिर से प्रतिष्ठित करना चाहिए। फिर आप देखिएगा क्या हम लोग भी संविधान के नियमों का उसी तरह से पालन करते हैं जैसे कि आप लोग। प्रत्येक नागरिक को समान अवसर मिलने चाहिए। यही मेरा निवेदन है, यही मैं कहना चाहती थी। फिर भी, अध्यक्ष महोदय, इन तर्कों का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने कई बार पंजाब के मुद्दे पर आवाज उठाई परन्तु मेरे सुझाव कभी भी कार्यान्वित नहीं हो सके। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे इस निवेदन पर विचार किया जाये तथा पंजाब में राज्यपाल शासन की अवधि और न बढ़ाई जाये। और साथ ही पंजाब में चुनावों की घोषणा की जानी चाहिए।

6.00 म० प०

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात बहुत ही संक्षिप्त रूप में कहूंगा। मैं और मेरी पार्टी यह सोचती है कि यह बड़े ही दुर्भाग्य और दु:ख का विषय हैं कि हम लोग

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

बार-बार इस सदन में, पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाते हैं। मैं नहीं जानता कि हम लोगों ने ऐसा कितनी बार किया है। हर बार हमें यह आश्वासन दिया जाता है कि आगामी छह महीनों में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाकर वहां सामान्य स्थिति बहाल की जाएगी और अब फिर हम वही तर्क सुन रहे हैं कि हमें पंजाब में स्थिति सुधारने के लिए दो-तीन माह का और समय दिया जाये। ऐसी कोई गारण्टी नहीं है कि वहां की स्थिति में कोई सुधार होगा। हम सभी समझते है कि वहां कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है। इसमें कोई भी सन्देह नहीं है कि यदि वहां चुनाव कराये जायें, तो सामान्य और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव नहीं होगा। मैं इससे सहमत हूं परंतु साथ ही हमारा अनुभव यह प्रदर्शित करता है कि अनिश्चित तथा दीर्घकालीन राष्ट्रपति शासन पंजाब की स्थिति को सुधारने में बिल्कुल भी मदद नहीं करेगा। इससे पंजाब के लोगों में और विशेष रूप से सिखों में और ज्यादा परायापन आ रहा है। इसके अतिरिक्त उन तत्वों तथा शक्तियों को बल मिल रहा है जो अलगाववादी प्रचार कर रहे हैं, जो खुल्लमखुल्ला यह मांग कर रहे हैं कि भारत से मुक्त एक पृथक खालिस्तान राज्य की स्थापना हो। इससे उन्हें लोगों में भाईचारा खत्म करने में मदद मिलेगी। इसलिए मैं नहीं सोचता कि हम लोग जो पंजाब के विषय में निर्णय ले रहे हैं, वह कोई स्थाई उपाय है। हर बार पंजाब में चुनाव टाल दिए जाते हैं। इस बार मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि अभी पंजाब में लोक सभा चुनाव कराये जाने का कोई विचार है अथवा नहीं। यदि पंजाब में लोक सभा के चुनाव होते हैं तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि वहां विधान सभा के चुनाव न कराये जाये। दोनों के लिए एक ही कानून और व्यवस्था की स्थिति है। 1989 में जब लोक सभा के चुनाव हुए थे, तो क्या पंजाब में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी थी? वहां तब भी यही स्थिति थी। विधान सभा के चुनाव नहीं कराये गये। लोक सभा के चुनाव हुए। जो लोग चुने गये थे, वे यहां बैठे हैं। यह सब जो भेदभाव किया जा रहा है, बहुत अनुचित है। अतः यदि आप चाहते हैं कि हम इस संकल्प का समर्थन करें तो हम चाहते हैं कि आप एक स्पष्ट आश्वासन दें, जो कि मैं समझता हूं पिछली बार श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी दिया था कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि अब निश्चित रूप से अन्तिम बार बढ़ायी जायेगी। लेकिन इस आश्वासन को वह पूरा नहीं कर पाये थे। क्या वे यह कहने के लिए तैयार है? यदि वह ऐसा कहते है तो हम समझते हैं कि इस अवधि का उपयोग ऐसे उपाय करने में किया जायेगा, जिससे वहां सामान्य स्थिति बहाल की जा सके। अन्यथा हम बार-बार वही बात दोहरायेंगे। ऐसा ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। दूसरे यदि लोक सभा के चुनाव होते हैं तो विधान सभा के चुनाव भी होने चाहिए। इन्हें किसी भी कारण नहीं टाला जा सकता है और हमें यह जोखिम उठाना चाहिए। लोग कह रहे हैं कि यदि चुनाव होते हैं, तो अलगाववादी, विघटनकारी ताकतों को बहुमत मिल जायेगा और वे पंजाब में सरकार बनायेंगे और फिर यह कह कर एक संकल्प पारित करेंगे कि वे भारत से अलग हो रहे हैं। यह सच है। लेकिन जब इस प्रकार की स्थिति आयेगी तो यह सम्पूर्ण भारतीय गणतन्त्र अपनी पूरे या जो भी संसाधन हमारे पास उपलब्ध होंगे, उनसे इस स्थिति से निपटेगा। हम इससे इतना क्यों डरते हैं? हम ऐसा नहीं चलने देंगे, उन ताकतों को बढ़ावा नहीं देंगे, जो लोगों में और अधिक घृणा तथा असन्तोष फैला रही हैं। हमने यहां एक संविधान संशोधन विधेयक पारित किया है, जिसके तहत सरकार को यह शक्ति दी गई है और अब यह संकल्प आया है। परन्तु मैं सरकार से ये दो बातें स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं। एक यह कि मैं सभा में इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से आश्वासन चाहता हूं

कि यह अन्तिम बार है और इसके बाद राष्ट्रपति शासन की अवधि नहीं बढ़ायी जायेगी। दूसरे यह कि यदि हम कानून और व्यवस्था की स्थिति के बावजूद लोक सभा के चुनाव हों, तो ऐसा कहने का कोई कारण या तर्क नहीं है कि वहां विधान सभा के चुनाव नहीं हो सकते हैं। यह बात यहां स्पष्ट हो जानी चाहिए, क्योंकि हम समझते हैं और जैसाकि कुछ मित्रों ने कहा है जिस तरह हम चल रहे हैं उससे पंजाब के लोगों के मन में ऐसी भावना पैदा होती है कि उन्हें देश से अलग समझकर बर्ताव किया जा रहा है। और ऐसा लगता है कि जैसे वहां कुछ ऐसा चल रहा है जो देश के विभिन्न भागों से भिन्न है। कई अन्य राज्य भी हैं जहां कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है। वैध रूप से चुनी गयी सरकारों को हटाया गया और उन राज्यों को राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत लाया गया···(व्यवधान) हो सकता है कल पश्चिम बंगाल में भी आप ऐसा करना चाहें। आपने तमिलनाडु में ऐसा केवल इस लिए किया कि कुछ एल० टी० टी० ई० के लोग वहां कहीं शह पा रहे हैं। फिर तमिलनाडु में भी चुनाव नहीं होने चाहिए, असम में भी चुनाव नहीं होने चाहिए। सारे देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दें, फिर आप अगले 15 या 20 वर्षों के लिए चुनाव टाल सकते हैं, यह कोई तरीका नहीं है। हमें इस पर नये सिरे से सोचना चाहिए, हमें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। अतः मैं कह रहा हूं कि सरकार को कम से कम सभा को विश्वास में रखना चाहिए। हमें आश्वासन दीजिए कि इसके बाद वहां आगे कोई अवधि नहीं बढ़ायी जायेगी और दूसरे यदि लोक सभा के चुनाव होते हैं तो राज्य विधान सभा के चुनाव भी होने चाहिए।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : अध्यक्ष महोदय, पंजाब में जो कुछ हो रहा है, उससे हमें काफी दुख हुआ है. मैं अपने मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त से, उनके तर्कों में जो भावना निहित है उससे पूरी तरह से सहमत हूं। मगर वह किसे दोषी ठहराना चाहते हैं ? इन चुनावों को होने से रोकने का कौन जिम्मेदार है ? उत्तरोत्तर जो प्रधानमन्त्री बने, उन्होंने अपनी तरफ से काफी कोशिश की है, खासतौर से उनमें से चार ने अर्थात इन्दिराजी से लेकर चन्द्रशेखर जी तक। हमने चुनाव कराने की कोशिश की। लेकिन हमने इसे सम्भव नहीं पाया। हमारे मित्र ऐसे कह रहे हैं जैसे कि पंजाबी लोग सिखों से भिन्न हैं, सिख एक अलग ही जाति है और दोनों भारत से बाहर हैं। ऐसा नहीं है। कामागाटामारू, अमृतसर, जलियां वाला बाग, भगतसिंह हमारे इतिहास और विरासत के अंग हैं और क्या सिख, हमारे साम्राज्य विरोधी संघर्ष में केवल सिखों या सिख देश के लिए जेल गये और मरे ? क्या सिख जाटों और हरिजनों से सम्बद्ध नहीं हैं ? क्या यह सच नहीं है कि कई जाट परिवारों, किसान परिवारों में एक सदस्य से आम तौर पर आशा की जाती है कि वह सिख बने, खासतौर पर पुरुष सदस्य से या किसी भी व्यक्ति से ? आपको भी इस सम्बन्ध में सोचना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि लोगों के मन में यह विचार पनपे कि केवल ये मित्र ही अकेले प्रतिनिधित्व करते हैं···(व्यवधान)

[हिन्दी]

स० अतिन्दर पाल सिंह : मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि ये क्या बोल रहे हैं इसमें एक भी बात ऐसी नहीं है (व्यवधान)

कुमारी मायावती (बिजनौर) : जानबूझकर सिख नहीं बनाया गया है। हिन्दू धर्म जो छूआछूत है, उसके कारण बनाया गया है। आप अपने धर्म की कमजोरियों को छिपाना चाहते हैं।·· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मायावती जी, आप बैठ जाएं।

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा : अतः ये भाई और बहिनें भारत के हिस्से हैं, भारत के नागरिक हैं भारत के अभिन्न अंग हैं। क्या आप उनसे हमारे अपने भाईयों और बहिनों की तरह व्यवहार नहीं करेंगे? हम चाहते हैं कि वे सब पूरे दिल से, कर्म से हमारे साथ एक हों और आज भी हमारे कई सदस्यों ने कहा है, मैं पुन: दोहराता हूं आज भी हमारे अधिकांश पंजाबी लोग हिन्दू, सिख, मुसलमान और इसाई सभी भारत के अभिन्न अंग हैं। यह गलत है कि वे बार-बार बिना सोचे समझे तथाकथित आतंकवादियों को अलग-थलग करने की बात ऐसे कहते हैं, जैसे कि वे भारत से भिन्न हैं, या जो कोई भी सामूहिक हत्या होती है उसके प्रति वे उदासीन हैं। क्या ये हत्यायें केवल पुलिस, रिजर्व पुलिस और सेना की करतूतें हैं। क्या यह सच नहीं है कि ये हत्यायें तथाकथित आतंकवादियों द्वारा की जाती हैं? वे स्वयं को सिख कहते हैं क्या वे वास्तव में अच्छे सिख हैं? यदि गुरु गोविन्द सिंह फिर आयें—मैं ऐसा चाहता हूं—तो क्या वह इन सभी आतंकवादियों जो लोगों में आतंक फैला रहे हैं, को भले सिख कहेंगे? नहीं। पंजाब के लोगों की नब्ज, धड़कन भारत की आत्मा के साथ है। क्या यह सच नहीं है···
(व्यवधान)

[हिन्दी]

स० अतिन्दर पाल सिंह : अगर आज गुरुजी होते तो वे सबसे पहले···(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह नहीं मान रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

स० अतिन्दर पाल सिंह : गुरुजी को गलत कोट नहीं किया जाए। मैं इस चीज की इजाजत नहीं दे सकता कि गुरुजी को गलत कोट किया जाए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा : मैं किसी को बुरा-भला नहीं कह रहा हूं; मुझे आप पर तरस आ रहा है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : रंगा जी, कृपया अध्यक्ष को सम्बोधित कीजिए।

(व्यवधान)

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या कोई श्री चन्द्रशेखर पर आतंकवादियों के साथ समझौता करने हेतु ईमानदारी से लगातार कोशिश न करने का आरोप लगा सकता है? क्या वह उनकी तथाकथित आत्म-निर्णय की भ्रांतिपूर्ण मांगों, संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अमरीका के राष्ट्रपति जार्ज बुश से अपीलों

के बावजूद भी उनसे बातचीत के लिए तैयार नहीं थे ? वे ऐसी हरकतें कर रहे हैं । इन सबके बावजूद भी वह उनसे बातचीत के लिए तैयार थे; हम सभी उन्हें ऐसा करने की अनुमति देने के लिए तैयार थे; जब वह ये सभी प्रयोग कर रहे थे उस समय मेरे दल के किसी भी सदस्य ने यहां बैठे दोस्तों में से किसी ने भी उनका विरोध नहीं किया और फिर भी वे बातचीत के इच्छुक नहीं थे। परन्तु पंजाब के लोगों पर अपना दायित्व है; काफी लोग उन्हें सहायता देने से मना करके अथवा उनका पक्ष न लेकर अपना दायित्व नहीं निभा रहे हैं । क्या यह सच नहीं है ?

मेरे अपने दोस्त, सगे भाई किसान वहां गेहूं पैदा कर भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बना रहे हैं ? (व्यवधान) इन कानून तोड़नेवालों, इन आतंकवादियों के बावजूद भी क्या वे सहयोग नहीं कर रहे हैं ? वे सहयोग कर रहे हैं । भारत के सभी किसानों, सभी लोगों के साथ पंजाब जुड़ा हुआ है और यहां भ्रमित दोस्तों तथा आतंकवादियों के लिए यह दिखाना गलत है कि मानो पंजाब हमसे अलग हो गया है। नहीं; हम उन लोगों की सहायता करना चाहते हैं; वहां के अधिकांश लोग हमारे साथ हैं, चाहे वह किसी भी धर्म के हों वे भारत का एक अभिन्न अंग है। हम उनकी सहायता करना चाहते हैं । क्या यह सच नहीं है कि स्वयं सिखों को ही आतंकित किया जा रहा है और उन्हें मारा जा रहा है ? गैर-पंजाबी ही नहीं मारे जा रहे हैं; हिन्दू भी मारे जा रहे हैं; बहुत से अन्य लोग भी मारे जा रहे हैं। आतंकवादी खुद पंजाबियों को ही मार रहे हैं । पंजाब के दुश्मन कौन हैं ? ये आतंकवादी पंजाब के दुश्मन हैं। (व्यवधान) अमरीकी उनके पीछे हैं; पाकिस्तानी इन आतंकवादियों के पीछे हैं। वे भारत के दुश्मन हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अतिन्दर पाल सिंह जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए; मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री कमल चौधरी (होशियारपुर) : वह आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं । (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० एन० जी० रंगा : आज भी क्या पाकिस्तानी हमारे देश में नहीं घुस रहे हैं ? इसलिए, एक दूसरे को भ्रम में डालना, एक दूसरे पर आरोप लगाना ठीक नहीं है । मेरी अपनी बहन की हत्या कर दी गई थी और यह किसी ने कहा था कि उनका नाम यहां हमारे किसी बोर्ड में नहीं रखा जाना चाहिए । हमने ये सभी दुख सहे हैं । जब हम इस बारे में सोचते हैं तो हमें दुख होता है और इसके बावजूद भी हमने प्रधानमन्त्री को इस बारे में उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने की अनुमति दी है । परन्तु वे बातचीत के लिए आने के इच्छुक नहीं हैं और इस बीच उनकी ये आतंकवादी गतिविधियां जारी हैं । कौन मारे जा रहे हैं ?

क्या केवल कांग्रेसी ही मारे जा रहे हैं ? क्या हमारे कई स्वतन्त्रता सेनानी साथी नहीं मारे जा रहे हैं ? क्या उन पर अत्याचार नहीं किए जा रहे हैं ? पंजाब में यह सब हो रहा है और हम ऐसे में

वहां रह रहे हैं। क्या पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने वाले इस संकल्प का समर्थन करके हमें खुशी होगी ? क्या पंजाब में उत्तरोत्तर आने वाले राज्यपालों के लिए यह अच्छी बात है ? क्या सभी वहां राज्यापाल के रूप में या सेना प्रमुख के रूप में आने का साहस करेंगे ? क्या वह अपने जीवन को ही नहीं अपितु अपनी प्रतिष्ठा नाम तथा यश को, भी जोखिम में नहीं डाल रहे हैं ? जी हां, ये लोग भारत सरकार की सेवा करने के लिए वहां आने तथा हमारी सहायता करने हेतु सहमत होने के लिए बहुत साहसिक तथा राष्ट्रवादी हैं। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमें यह मुश्किल लग रहा है। कृपया हमारी वेदना, हमारे दुखों, हमारी असफलता की भावना, हमारे असहायपन तथा निराशा की भावना में हमारे सहभागी बनिए।

कुछ वर्ष पूर्व जो भाषण श्री इन्द्रजीत गुप्त ने दिया था वह अभी तक मेरे कानों मे गूंज रहा है। लोगों के मन में अभी तक धार्मिक भावनायें हैं। यह बहुत मजबूत धार्मिक भावना है— हिन्दु, सिख तथा इसाई जो अपने धर्म का सम्मान करते हैं—के मन में है। क्या गुरु नानक इन दोस्तों की विशेष सम्पत्ति हैं, क्या वह हमारे इतिहास का अंग नहीं हैं ? गुरु गोबिन्द सिंह···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें बोलने का अधिकार है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

स० अतिन्दर पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बात कार्यवाही से निकाली जानी चाहिए कि गुरु नानक पंजाबियों की सम्पत्ति नहीं हैं। मुझे इसपर आब्जेक्शन है। यह वाक्य इनके भाषण से निकाला जाना चाहिए। यह गुरु नानक को प्रोपर्टी नहीं कह सकते।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें।

स० अतिन्दर पाल सिंह : कल आप यह कहना शुरू कर देंगे कि गुरु नानक हमारी सम्पत्ति हैं, कल आप कहना शुरू कर देंगे कि मोहम्मद साहब हमारी सम्पत्ति हैं, यह सम्पत्ति नहीं हैं। यह वाक्य कार्यवाही से निकाला जाना चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो० रंगा की बोलने की अपनी शैली है उन्होंने कभी भी कोई अपमानजनक बात नहीं कही। अपना स्थान ग्रहण करिए।

श्री कमल चौधरी : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन कर रहा हूं। कृपया उन्हें गलत न समझें। वह केवल आप सभी का आदर कर रहे हैं। वह आप सभी की प्रशंसा कर रहे हैं। कृपया इसका गलत अर्थ मत लगाइए।

प्रो० एन० जी० रंगा : उन सभी सदस्यों जो मेरे पोते पोतियों के समान हैं, से अनुरोध करता हूं कि वे इस भावना और चिन्ता में हमारे सहभागी बनें। मैं पंजाब में अपने लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे वैसा ही महसूस करें जैसा पंजाब में हमारे किसान महसूस करते हैं और पंजाब के लोगों की व्यथा और दुखों में सहभागी हों, शांतिप्रिय लोग जो अपने घरों में गांवों में शांतिप्रिय ढंग से रहना चाहते हैं उनकी सहायता करें तथा आतंकवादियों पर काबू पाने में सरकार की सहायता करें। हमारी

सरकार आपकी सहायता की कोशिश कर रही है। याद रखिए कि इन लोगों के साथ हथियारों से संघर्ष करने में भारत सरकार या पंजाब सरकार को आनन्द नहीं मिलता। वे केवल पंजाब के लोगों की सहायता और सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं।

मैं पंजाब के लोगों से अपील करता हूं कि वे भारत सरकार, पंजाब सरकार तथा सम्पूर्ण भारत राष्ट्र के साथ सहयोग करें और उसी तरह का योगदान देते रहें जैसा उन सभी शहीदों ने दिया है। हाल ही में हमने पृथ्वी राज आजाद, जनरल मोहन सिंह की मृत्यु देखी थी; बहुत से भद्र पुरुष गुजर गए थे। उन सभी केवल पंजाब के लिए ही अपितु पूरे भारत के लिए अपना योगदान दिया था। वे भारत तथा हमारी आत्मा के साथ जुड़े हुए हैं। भगवान के लिए उनकी भावनाओं को समझिए तथा दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर अपना पूरा योगदान दीजिए। जैसाकि मैंने पहले ही कहा है कि मैं कम्युनिस्ट शहीदों, स्वतन्त्रता आन्दोलन के शहीदों अपनी मां तथा बेटियों को श्रद्धांजली अर्पित करता हूं जिन्होंने पिछले महीनों में अपने प्राणों की आहुति दी। आप भी इसमें सम्मिलित होइए। मैं उनसे भी सहयोग की अपील करता हूं जो कि गलत धारणाओं अथवा भावनाओं में बहकर ऐसा नहीं कर रहे हैं। उन्हें भी इसके लिए आगे आना चाहिए। हम उन्हें अपने साथ मिलाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। सरकारिया आयोग अथवा कोई भी बुद्धिमान मानव जो सुझाव राज्य सरकारों के लिए दे सकता है; उससे अधिक अधिकार हम राज्य सरकारों तथा राजनैतिक संस्थाओं को दे रहे हैं तथा केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रण को कम कर रहे हैं। परन्तु, एक शर्त पर जिसे कि हमारे वर्तमान तथा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री ने दोहराया है कि संविधान की परिधि में तथा संविधान सभा के समक्ष लिए गए सारे भारत के साथ एक जैसा बर्ताव करने के प्रण को मानते हुए, मैं उनसे अपील करता हूं कि वह हमारे साथ एक होकर चलें।

अध्यक्ष महोदय : श्री आई० के० गुजराल।

श्री आई० के० गुजराल (जालन्धर) : अध्यक्ष महोदय, प्रो० एन० जी० रंगा द्वारा व्यक्त महान भावनाओं का मैं अनुमोदन करता हूं। एक पंजाबी के रूप में तथा एक ऐसे व्यक्ति के रूप में, जिसे अपनी मातृभाषा पंजाबी, विरासत में मिली संस्कृति और महान गुरुओं से मिली विरासत पर गर्व है। मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने उस धरती पर जन्म लिया तथा वहीं पर मेरा पालन पोषण हुआ। अपने को और गौरवान्वित करने के लिए मैंने पिछली बार जालन्धर से चुनाव लड़ा। अपने मतदाताओं जिनमें सिख भी शामिल हैं, उनसे मुझे बहुत अधिक उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया मिली। यह बहुत ही अद्भुत भावनात्मक अभिव्यक्ति थी जब उन्होंने मिलकर अलगाववाद की इस भावना से ऊपर उठकर मेरे पक्ष में मत दिया। मैं अपनी सफलता को अपनी निजी जीत नहीं मानता। यह जीत उस पंजाबियत की भावना की जीत थी, जिसने आज भी अपनी प्रतिष्ठा तथा गौरव को उस सबके बावजूद कायम रखा हुआ है, जोकि पिछले दस वर्षों में घटित हुआ है।

यह कितनी क्रूर विडम्बना है कि आज राजनैतिक स्तर पर मैं और प्रधानमंत्री भिन्न-भिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं। परन्तु तथ्य यह है कि लगभग पिछले एक दशक से, जबसे कि पंजाब समस्या उभर कर सामने आई है, मैंने तथा उन्होंने हमेशा मिलकर इस समस्या का समाधान खोजने की चेष्टा की है। एक सामान्य नागरिक के रूप में, इस सदन तथा सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, हम दोनों ने हमेशा इस बात के लिए प्रयत्न किए हैं कि किस प्रकार इस समस्या को उचित ढंग से संभाला जा सकता

[श्री आई० के० गुजराल]

है तथा उसका समाधान किया जा सकता है। दुर्भाग्यवश, हममें से अधिकतर लोगों के प्रयास असफल रहे, परन्तु हमने साहस नहीं छोड़ा। हम में से अधिकतर लोग यह महसूस करते हैं कि सारे राष्ट्र को मिलकर एक साथ सभी उपायों तथा तरीकों को अपनाना चाहिए।

सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रत्येक पंजाबी, चाहे वह सिख हो या हिन्दू, पंजाबी होने में गर्व अनुभव करता है तथा मेरे जिन मित्रों ने पंजाबी भाषा का मुद्दा उठाया है, वे शायद गुजरे हुए समय में रह रहे हैं। कुछ ऐसे गुमराह लोग हो सकते हैं जिन्होंने गत वर्षों के दौरान अपनी मातृभाषा को त्याग दिया हो। ऐसा कोई पंजाबी नहीं, चाहे वह हिन्दू हो या सिख, जो पंजाबी भाषा को त्याग दे। यह भाषा हमारी विरासत तथा संस्कृति का एक अंग है; जिस पर मुझे गर्व है। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार की हिंसा पंजाब में पिछले दस वर्षों से हो रही है; उसने पंजाब को तहस-नहस कर दिया है। इसने हिन्दुओं की अपेक्षा सिख समुदाय को अधिक आघात पहुंचाया है। अगर आप प्रतिदिन की हत्याओं के आंकड़ों को देखें तो आपको पता चलेगा कि उनके हाथों हिन्दुओं की अपेक्षा सिखों की अधिक हत्याएं हो रही हैं। पैसा उगाहने तथा अपहरण की घटनाओं के आंकड़ों से भी यह प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। अपहरण तथा महिलाओं की इज्जत पर आघात लगाने की घटनाओं और आंकड़ों से भी यही निष्कर्ष सामने आता है। वे किसकी सहायता कर रहे हैं? वे किसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य कर रहे हैं? क्या वे पंजाब की सेवा कर रहे हैं? क्या वे पंजाबी विरासत की सेवा कर रहे हैं? क्या वे उस महान विरासत की सेवा कर रहे है, जो हमें अपने गुरुओं से प्राप्त हुई है? हम इन घटनाओं से दुख का अनुभव करते हैं। यह सराहनीय प्रयास है कि प्रधानमन्त्री ने उनके बातचीत के लिए आगे आने का सुझाव दिया है। उन्होंने इसका कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। परन्तु उनका प्रयास सराहनीय था। हम सब इसका समर्थन करते हैं तथा करते रहेंगे। इस अन्तिम घड़ी में भी हम सबको मिलकर इस दिशा में कोई प्रयास करना चाहिए। हम सबको कभी न कभी सरकार में रहने तथा पंजाब की स्थिति को गहराई से जानने का अवसर मिला है। जितना हम इसे पास से देखते हैं; हम उतना ही अधिक दुख महसूस करते हैं। यह कोई प्रसन्नता की बात नहीं है कि बार-बार संविधान में संशोधन करके राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाना पड़ रहा है। परन्तु, मेरे विचार में अब ऐसी स्थिति आ गई है; अब इसे समाप्त किया जाना चाहिए, इसे एक अनिश्चित अवधि तक बढ़ाया नहीं जा सकता। इस सम्बन्ध में मैं आपसे अपना अनुभव बांटना चाहता हूं कि पंजाब के एक प्रतिनिधि के रूप में मैं अक्सर तब बहुत अधिक दुख का अनुभव करता हूं, जब मेरे चुनाव क्षेत्र के किसी दूरस्थ गांव अथवा शहर के किसी मोहल्ले का कोई नवयुवक मुझसे अपने कागजातों पर मोहर लगवाने के लिए आता है क्योंकि वहां पर विधान सभा सदस्य जैसा कोई प्रतिनिधि नहीं है, जोकि यह कार्य कर सके। इसके परिणाम स्वरूप लोग दुख का अनुभव करते हैं तथा उन्हें यह समझ नहीं आता कि इन छोटी-छोटी समस्याओं के समाधान के लिए वे किसके पास जायें।

मैं यह आशा तथा अनुभव करता हूं कि अब समय आ गया है; कि इस प्रक्रिया को समाप्त होना चाहिए। इसमें कुछ खतरा हो सकता है। परन्तु, राजनीति में तथा राजनीतिज्ञों को कई बार खतरा मोल लेना ही पड़ता है। जब मैंने पंजाब से चुनाव लड़ा था, तो उसमें भी खतरा था। जब पिछले वर्ष वहां पर चुनाव कराए गए, तो उसमें भी खतरा था। परन्तु चुनावों के बाद यह सिद्ध हो गया कि

वहां चुनाव हो सकते हैं तथा करवाये जाने चाहिए। इसलिए अगर हम वहां पर चुनाव न करवा कर राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ाते हैं, तो हम एक गलती करेंगे। मैं जानता हूं कि मेरे कुछ मित्र वास्तव में यह सोचते हैं कि वहां चुनाव करवाने में खतरा है मैं उनकी निष्ठा और विवेक पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा। परन्तु मैं यह अनुभव करता हूं कि हमें इस सारी समस्या पर पुनर्विचार करना चाहिए जैसाकि श्री इन्द्रजीतगुप्त ने कहा कि इसे अनिश्चितकाल के लिए जारी नहीं रखा जा सकता। चाहे हम सरकारी पक्ष में हों या विपक्ष में, हम किसी न किसी तरह से पंजाब से जुड़े रहे हैं। मेरे विचार में अब समय आ गया है, जबकि हम सबको बैठकर समस्या का समाधान निकालने की चेष्टा करनी चाहिए। हममें नया तजुर्बा करने का साहस होना चाहिए तथा वह है पंजाब में चुनाव करवाना।

महोदय, पंजाबी अपने लिए लोकतांत्रिक संस्था चाहते हैं। केवल सिख ही नहीं; हिन्दू भी यही चाहते हैं। वे चाहते हैं कि इमी कोई संस्था होनी चाहिए, जिसके द्वारा वह अपने विचार व्यक्त कर सकें तथा अपनी रक्षा कर सकें। मैं जानता हूं कि चुनावों के समय हिंसा का खतरा है।

मेरे विचार से हमें यह जोखिम लेना चाहिए और उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। मैं सरकार के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। लेकिन मैं उसके उद्देश्यों और देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं में उनके विश्वास के लिए प्रश्न नहीं कर रहा हूं। मैं पंजाब के हित में, भारत की एकता और लोकतांत्रिक संस्थाओं के संरक्षण के हित में महसूस करता हूं कि चुनाव स्थगित न किए जाएं बल्कि चुनाव कराए जाएं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे दल और राष्ट्रीय मोर्चे को सरकार के प्रस्ताव का विरोध करने का दुखद निर्णय लेना होगा और यदि सरकार इस प्रस्ताव पर अडिग रहती है तब हम इस सभा से बहिर्गमन करेंगे।

डा० तम्बि दुरै (करूर) : महोदय, अब हम पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने संबंधी सांविधिक संकल्प पर चर्चा कर रहे हैं। पंजाब में इस प्रकार राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने से कोई भी प्रसन्न नहीं है। हम पंजाब में शीघ्र चुनाव करवा कर लोकतन्त्र बहाल करना चाहते हैं क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से ही जनता की इच्छा और विचारों को क्रियान्वित किया जा सकता है। लेकिन वहां तनाव की स्थिति होने के कारण सभा राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने की मांग कर रही है। हमारे देश में पंजाब के लोग बहुत देशभक्त रहे हैं। उन्होंने इस देश के विकास में बहुत योगदान दिया है। यह बहुत ही दुखद बात है कि कई वर्षों से राज्य में विधान सभा नहीं है। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है कि कानून और व्यवस्था की समस्या के ही कारण हम पंजाब, असम, कश्मीर अथवा तमिलनाडु में चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। तमिलनाडु की स्थिति पंजाब और असम की स्थिति से बिल्कुल भिन्न है। हमने संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत विधान सभा भंग की है न कि कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण। तत्कालीन सरकार ने देश की अखंडता के विरुद्ध कार्य किए। वह भी राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गई और उन तत्वों को बढ़ावा दिया जिन्होंने पूरी व्यवस्था को प्रभावित किया··· (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह बात बिल्कुल असंगत है। (व्यवधान)

डा० तम्बि दुरै : जब उन्होंने इस बात का उल्लेख कर दिया है तब मैं इसे स्पष्ट कर देता हूं (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप हमेशा "जिट्टू" के बारे में बोलते रहते हैं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ को सबोधित कीजिए ।

(व्यवधान)

डा० तम्बि दुरै : इसीलिए मैंने अनुरोध किया था कि कोई कार्यवाही की जाए और सभा ने भी अपनी सहमति दी थी। लेकिन अब राज्य में स्थिति भिन्न है क्योंकि राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत सरकार··· (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मुझे विश्वास है कि माननीय प्रधानमन्त्री जी भी आपकी बात मानकर अब पछता रहे हैं।

प्रधान मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर) : यह बिल्कुल गलत बात है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

डा० तम्बि दुरै : मैं आशा करता हूं कि सरकार लोक सभा चुनावों के साथ-साथ तमिलनाडु में विधान सभा चुनाव कराने की अधिसूचना शीघ्र जारी करेगी।

दूसरे, मैं सभा से इस संकल्प को स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं। लेकिन सभा बार-बार यह कार्य न करे। पंजाब की जनता बहुत देशभक्त है। हमें शीघ्रतांशीघ्र लोकतन्त्र बहाल करना चाहिए। मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मैं उन सभी सदस्यों से सहमत हूं जिन्होंने मुझसे पहले यह कहा है कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बार-बार बढ़ाना ठीक नहीं है। 10 मई के बाद पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि आठवीं बार बढ़ाई जाएगी।

पहले भी जब राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने की बात हुई थी तब हमने सरकार से पंजाब में स्थिति सुधारने के लिए आवश्यक उपाय करने का आग्रह किया था। हर बार हमने राजीव-लोंगोवाल समझौते को लागू करने की बात कही थी। इस समझौते में चंडीगढ़ के स्थानांतरण, पानी के बंटवारे और पंजाब-हरियाणा की सीमा के संबंध में उपबंध है। लेकिन मुझे मजबूर होकर यह कहना पड़ रहा है कि इस अवधि के दौरान किसी भी सरकार ने स्थिति को गंभीरता से नहीं लिया कि पंजाब में लंबे समय से चली आ रही इस स्थिति में कैसे सुधार किया जाए और सुझावों को क्रियान्वित किया जाए। ऐसी स्थिति न केवल सीमा पार से साम्राज्यवादी शक्तियों से सहायता प्राप्त आतंकवादियों की कार्यवाहियों के कारण है बल्कि सरकार की निष्क्रियता के कारण भी है। हम हमेशा वहां की स्थिति से निपटने के लिए सही कदम उठाने के लिए कहते रहे। माननीय प्रधान मंत्री जी ने कुछ समय पहले यह सुझाव दिया था कि हमें वार्ता करनी चाहिए। जो व्यक्ति आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं उनसे वार्ता करने में कोई गलत बात नहीं है। अनेक ऐसी घटनाएं हुई हैं जब आतंकवादी बहुत बड़ी संख्या में आए तथा उन्होंने घरों को लूटा और लोगों की हत्या की। आप लोगों के पास जाकर उनसे बात क्यों नहीं करते हैं। वह मेरे दल के, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस (आई) अथवा किसी अन्य दल के सदस्य हो सकते हैं। यदि हम उनसे बातचीत करने के लिए इतने अधिक उत्सुक हैं तब हम जनता के पास क्यों न जाएं ? गलत संकेत, जिससे आतंकवादियों को बढ़ावा मिलता है, करने के स्थान पर हमें वहां जाकर लोगों को अपने साथ लेना चाहिए। हम कई वर्षों से इसकी मांग कर रहे हैं। लेकिन इस

बात की जान बूझकर उपेक्षा की गई। अन्य अनेक बातें भी हैं। 1984 के दंगों के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को सजा देने के लिए काफी कुछ कहा गया है। उस बारे में क्या हुआ ?

क्या आपने दंगा पीड़ित व्यक्तियों का पुनर्वास किया है ? ये सब बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि पंजाब में इस प्रकार की निष्क्रियता अब और नहीं बरती जानी चाहिए। किसी न किसी दिन तो चुनाव होंगे। परन्तु हमारे सामने प्रश्न यह है कि हम ऐसा किस प्रकार कर सकते हैं। इस सभा के भंग होने के बाद वहां लोकप्रिय सरकार स्थापित नहीं हो सकती लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि केन्द्र में ऐसी लापरवाह सरकार हो जिसकी पंजाब समस्या को हल करने में वास्तविक रुचि न हो। मेरा विश्वास है कि प्रधान मन्त्री महोदय अब यह समझ रहे हैं कि जब उन्होंने बातचीत के लिए गलत संकेत दिए थे तो हमने इस पर आपत्ति क्यों की थी। परन्तु वह इस प्रकार का बुलावा देने से नहीं रुके। उनके इस बुलावे पर क्या प्रतिक्रिया हुई ? श्री मान ने किस प्रकार की प्रतिक्रिया व्यक्त की थी ? उन्हें कुछ दिन पहले नजरबन्द करना पड़ा था। प्रश्न यह नहीं है कि जब विधान सभा के चुनाव होंगे तो उन्हें बहुत अधिक संख्या में सीटें मिलेंगी अथवा वे खालिस्तान की घोषणा संबंधी संकल्प को स्वीकार कर लेंगे। केवल इतना ही प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि उन्हें सीमा पार तथा अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से जो समर्थन मिल रहा है उसे हम किस प्रकार रोक सकते हैं। यदि हम आतंकवादियों को चुनावों में धांधली करने से नहीं रोक पाये तो स्थिति और अधिक बिगड़ जाएगी। हमें इसके बारे में सजग रहना है। मैं श्री अतिन्दर पाल की बात से सहमत हूं। हम सब उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं। परन्तु मैं उन व्यक्तियों को भी नहीं भूल सकता जिन्होंने पंजाब में देश की एकता के लिए अपनी जान दे दी। मैं उन्हें भी नहीं भूल सकता जिनके संबंधी मारे गए और जिन्हें सम्पत्ति का नुकसान हुआ। हम उनका अपमान नहीं कर सकते हैं। इसलिए पंजाब और देश को बचाने के लिए हमें, जो अवसर मिला है उसका लाभ उठाना चाहिए इन शब्दों के साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री कमल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस सरकार ने 1989 में पंजाब में सौहार्द्रपूर्ण वातावरण तैयार किया था। **(व्यवधान)** अपने आप मजाक मत बनाइए, पंजाब में चुनाव हुए थे। **(व्यवधान)** आप उनसे पूछिये कि सौहार्द्रपूर्ण वातावरण था अथवा नहीं। **(व्यवधान)** यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिन लोगों को चुना गया था उन्होंने संसद में पंजाब का गलत ढंग से प्रतिनिधित्व किया था और वे ही पंजाब में चुनाव के लिए मना कर रहे हैं। मैं किसी पर उंगली नहीं उठाना चाहता हूं। परन्तु पिछले एक वर्ष चार महीने से पंजाब में स्थिति बिगड़ी है। मैंने इस सभा और राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति से कहता हूं कि एक-दूसरे का उपहास न उठाएं और न ही एक दूसरे पर कीचड़ उछालें। मेरा आपसे अनुरोध है कि एक दूसरे की सहायता करें। चुनाव के लिए सौहार्द्रपूर्ण वातावरण तैयार करना सम्भव है। पंजाब की जनता के 117 प्रतिनिधियों को चुना जाए और उन्हें अपने भाग्य का निर्णय करने दिया जाए। यह बात सम्भव है। मेरा सभी दलों के नेताओं से अनुरोध है कि आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक जुट हो जाए। यदि आप अपने आपको राष्ट्रवादी समझते हैं तो एक जुट होकर आतंकवाद का मुकाबला कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रवादी ताकतों की विजय होगी। इन शब्दों के साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

[हिन्दी]

कुमारी मायावती : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सदन में बहुत दुःख के साथ कहना पड़

[कुमारी मायावती]

रहा है कि इस देश के अन्दर पंजाब ही एक ऐसा राज्य है जहां बार-बार राष्ट्रपति शासन की अवधि को बढ़ा कर पंजाब के लोगों को इन्साफ नहीं दिया जा रहा है पंजाब राज्य के लिए खासतौर से मैं तो भारत जैसे देश में एक दुर्भाग्य की बात ही कहूंगी कि पंजाब राज्य : अन्दर सिखों की मैज्योरिटी है और हिन्दू समाज के लोग माइन्योरिटी में हैं और इस देश के अन्दर अंग्रेजों के जाने के बाद आज तक शासन और प्रशासन पर कब्जा माइन्योरिटी के लोगों का रहा है। हिन्दू समाज और ब्राह्मणवादी समाज के लोगों का रहा है। एक तरफ तो इस देश के अन्दर भारत के संविधान के अनुसार यह कहा जाता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और इस देश के अन्दर सभी धर्मों के मानने वाले लोगों को बराबर नजरिये से या एक समान दृष्टि से देखा जाएगा और सभी धर्म के मानने वाले लोगों के साथ इन्साफ भी किया जाएगा।

लेकिन मैं समझती हूं कि प्रैक्टिकल में इस देश के अन्दर शासन और प्रशासन को चलाने वाले लोग इसको अमल नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि पंजाब के अन्दर सिख समाज के लोगों को इन्साफ नहीं मिल रहा है। हमारे बीच में भाई आडवाणी जी बैठे हुए हैं। मैं उनको याद ताजा कराना चाहती हूं कि जब वे सोमनाथ से राम जन्म भूमि के समर्थन में रथ यात्रा को लेकर देश में निकले तो जम्मू-कश्मीर व पंजाब में नहीं गए। पंजाब में क्यों नहीं गए यह तो आडवाणी जी को सोचना पड़ेगा। पंजाब व जम्मू-कश्मीर को छोड़कर पूरे देश के अन्दर कोने-कोने में घूमे। क्यों घूमे क्योंकि इस देश के अन्दर मुसलमान कश्मीर को छोड़कर किसी भी राज्य में मैजोरिटी में नहीं था बल्कि माइनोरिटी में है जिसके कारण मुसलमानों को बड़े पैमाने पर रथ यात्रा के कारण तबाह और बरबाद किया गया। आडवाणी जी को पंजाब के सिख समाज के लोगों के बारे में यह मालूम था कि पंजाब के बहादुर सिख समाज के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं बड़े दुःख के साथ कहना चाहती हूं कि पंजाब के अन्दर मुट्ठी भर तादाद में रहने वाले हिन्दू समाज के लोगों पर अत्याचार होता है तो भारतीय जनता पार्टी और उनकी तरह की मैन्टेल्टिटी रखने व से लोग दिल्ली में उनको शरण देने की बात करते हैं। उनको हर किस्म की सुविधा देने की बात करते हैं।

जब पंजाब के अन्दर सिख समाज के लोगों का अपमान किया जाता है तो कभी भारतीय जनतापार्टी की ओर भारतीय जनता पार्टी तरह मैन्टेलिटी रखने वाले मुट्ठी भर ब्राह्मणवादी लोगों ने पहल नहीं की है सिख समाज के लोगों को न्याय मिलना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस देश के अन्दर अल्पसंख्यक समाज के लोगों को न्याय मिलना चाहिए लेकिन दुःख यह है कि शासन और प्रशासन पर कब्जा करने वाले लोग सिख समाज के लोगों को न्याय नहीं देना चाहते अगर बार-बार राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाते रहेंगे तो मैं आज सदन के अन्दर दावे के साथ और चैलेंज के साथ कहती हूं इस तरह करने से पंजाब के अन्दर सिख समाज के लोग दुःखी और परेशान हो जायेंगे और एक समय ऐसा आएगा कि जब आप पंजाब के अन्दर इलेक्शन करवायेंगे तो आपको सिखों को छोड़कर हिन्दुओं में से कोई भी उम्मीदवार किसी भी पार्टी को खड़ा करने के लिए नहीं मिलेगा। इस देश के अन्दर जब मुसलमान और सिख न्याय की मांग करते हैं तो उन पर आरोप लगाया जाता है कि वे पाकिस्तान और दूसरे खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहती हूं कि धार्मिक अल्पसंख्यक के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो दूसरे देशों का सहारा लेना पड़ेगा या तो दूसरे देशों का सहारा लेंगे। (व्यवधान

मैं कांग्रेस पार्टी के लोगों को कहना चाहती हूं कि हकीकत यह है कि पंजाब की मूल समस्या कांग्रेस पार्टी ने पैदा की है···(व्यवधान)

कांग्रेस पार्टी के साथ-साथ अब दूसरी पार्टियों के अन्दर चाहे वह जनता दल है, चाहे वह कम्युनिस्ट पार्टी है, चाहे वह जनता दल का दूसरा दल है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरह मेनटीलिटी रखने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों में बैठे हैं तो पंजाब की समस्या का हल कैसे हो सकता है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह बताना चाहती हूं कि पंजाब में चुनाव कराये जाएं, नहीं तो पंजाब के लोग बड़े दुखी हैं, उनको इन्कलाब करना होगा, उनको संघर्ष करना होगा यदि आपने पंजाब में चुनाव नहीं कराए तो इसका परिणाम बुरा होगा। मैं चुनाव की मांग करती हूं और राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने और बढ़ाने के लिए जो यह प्रस्ताव रखा है उसका मैं डटकर विरोध करती हूं। पंजाब के अन्दर चुनाव होने चाहिए ।

[अनुवाद]

श्री राजदेव सिंह (संगरूर) : अध्यक्ष महोदय, मैं पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव का विरोध करता हूं। प्रधान मंत्री श्री चन्द्र शेखर ने दो बातें कहीं हैं पहले उन्होंने कहा है कि पंजाब समस्या के समाधान के लिए वह आतंकवादियों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। दूसरे, उन्होंने कहा है कि वह किसी भी स्थान पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। उस समय ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई थी कि वह स्थान भारत के भू-भाग में होना चाहिए। अनेक आतंकवादी गुटों अर्थात बाबा गुरबचनसिंह मनोचहल की अध्यक्षता में पंथिक कमेटी बाबा बासन सिंह जफरवाल की अध्यक्षता में पंथी कमेटी, डा० सोहन सिंह की अध्यक्षता में पंथिक कमेटी और बाबा गुरुदेव सिंह ओसमानवाल की अध्यक्षता में पंथिक कमेटी ने भी इस पेशकश का उत्तर दिया था। उन्होंने इसके लिए जेनेवा को चुना था। उन्होंने प्रधान मंत्री से कोई दूसरा स्थान चुनने के लिए कहा था···(व्यवधान)··· अब प्रधान मंत्री महोदय ने आतंकवादियों से किसी भी स्थान पर बिना किसी शर्त बातचीत करने की पेशकश की थी।

उस समय मैंने सोचा था कि प्रधानमंत्री द्वारा आतंकवादी गुटों के जवाब पर प्रतिक्रिया व्यक्त न करना उचित नहीं है। यदि वे जेनेवा में बातचीत करना चाहते थे तो प्रधानमंत्री महोदय को इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। प्रधानमंत्री महोदय ने यह भी पेशकश की थी कि वह खालिस्तान की मांग पर भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। यह वक्तव्य मेरा नहीं प्रधानमंत्री महोदय का है। यदि प्रधानमंत्री महोदय ने यह वक्तव्य दिया है तो उन्हें खालिस्तान की मांग पर बातचीत जेनेवा अथवा किसी अन्य स्थान पर, जो दोनों पक्षों को मंजूर हो, करनी चाहिए। सिख प्रतिनिधि सभा, शिरोमणि अकाली दल ने 2 अगस्त, 1990 को गुरुद्वारा दुखनिवारण साहिब, लुधियाना में एक संकल्प पारित किया था कि अकाली दल अथवा कोई अन्य संस्था या कोई व्यक्ति जो अपने आपको अकाली दल का अध्यक्ष होने का दावा करता है वह भारत सरकार के साथ बातचीत अथवा समझौता करने के हकदार नहीं हैं। इसका अधिकार पंजाब के आतंकवादियों को है इसलिए उनके साथ बातचीत की जानी चाहिए।

एक माननीय सदस्य : संसद सदस्यों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है।

श्री राजदेव सिंह : मैं इसका भी उल्लेख करूंगा । कृपया धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनिए । मैं आपको संसद सदस्यों के बारे में बताता हूं । उस समय 2 अगस्त, 1990 को मेरी अध्यक्षता में गुरुद्वारा दुख-निवारण साहिब में बैठक हुई थी यद्यपि श्री सिमरनजीत सिंह मान के साथ मेरी बातचीत हुई थी परन्तु मैं उनकी राजनैतिक विचारधारा अथवा उनके द्वारा उठाये गए कदमों से सहमत नहीं हुआ । मैं उन्हें शिरोमणि अकाली दल का अध्यक्ष नहीं मानता परन्तु इसके बावजूद भी हमने इस बातचीत की पेशकश का समर्थन किया था तथा हमने श्री सिमरनजीत सिंह मान के साथ बातचीत करने का भी समर्थन किया था । यदि श्री सिमरनजीत सिंह मान अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ बातचीत करने से पंजाब में शान्ति बहाल हो जाए तो हमें प्रसन्नता होगी । परन्तु यह बड़े दुख की बात है कि प्रधानमन्त्री महोदय ने खालिस्तान के बारे में बिना किसी शर्त के किसी भी स्थान पर आतंकवादियों के साथ बातचीत करने के अपने वायदे को पूरा नहीं किया है ।

अब वहां क्या स्थिति पैदा हो गयी । जब श्री सिमरनजीत सिंह मान को बातचीत के लिए बुलाया गया तो साथ ही स्थिति पर काबू करने के लिए पंजाब में सेना भेज दी गई । उसी समय श्री सिमरनजीत सिंह मान प्रधानमन्त्री महोदय के साथ बातचीत करने के लिए चण्डीगढ़ से दिल्ली आ रहे थे । प्रधानमन्त्री महोदय ने इस बात का खण्डन किया था कि पंजाब में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना भेजी गई है । उन्होंने कहा था कि वहां सेना केवल अभ्यास के लिए भेजी गई है । किन्तु यह वक्तव्य अभी गलत सिद्ध हुआ ।

जब छ: सिख किसानों की नृशंस हत्या की गई और सेना द्वारा उनकी नृशंस हत्या की गई थी । उस समय सेना पंजाब में कानून और व्यवस्था की स्थिति को संभालने की ड्यूटी पर लगी हुई थी । ये किसान एक बैलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे और उस समय उनके भागने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । जिस तरह से हत्यायें की गई थीं उससे ये सब दावे झूठे पड़ जाते हैं कि उग्रवादियों की ओर से बातचीत का प्रस्ताव आया था या पंजाब समस्या को सुलझाने के लिए वे ईमानदार या गम्भीर हैं ।

मैं एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि देना चाहता हूं । भारत में 1956 से पूर्व पेप्सू राज्य का अस्तित्व था । वह एक सिख बहुमत वाला राज्य था । जब पंजाब में सरदार प्रताप सिंह कैरों का शासन था तो इस राज्य का शासन बृषभान कर रहे थे । सिखों के बहुमत को समाप्त करने के लिए, केन्द्रीय सरकार ने पंजाब राज्य में 'पेप्सू' राज्य के विलय का आदेश दिया, ताकि भारत में ऐसा कोई राज्य न रहे जहां सिख बहुमत हो । पेप्सू राज्य का पंजाब में विलय सिखों की भावनाओं को आहत करने का पहला प्रयास था । बाद में सिखों को अलग करने के कई प्रयास किए गए ।

श्री चन्द्र शेखर जी का भारत का प्रधानमंत्री होना एक बहुत सुखद बात थी । वे पहले राष्ट्रीय नेता थे, जिन्होंने आपरेशन 'ब्ल्यू स्टार' की कार्यवाही की आलोचना की थी । वे ऐसे पहले राष्ट्रीय नेता थे जिन्होंने बुरे दिनों में सिखों का साथ दिया । मैं अभी भी माननीय प्रधानमंत्री का आदर करता हूं और मैं उनका आदर करता रहूंगा । किन्तु, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि कम से कम अपने किए हुए वायदों को तो पूरा करें और खालिस्तान तथा अन्य मांगों के बारे में उग्रवादियों से प्रत्यक्ष बात करें...
(व्यवधान)

संसद सदस्यों के साथ इस मामले पर चर्चा करने में भी कोई प्रयास नहीं किए गए । पंजाब के बारे में कोई कदम उठाने से पूर्व हमसे सलाह लेने में भी प्रधानमंत्री असफल रहे । मैं पूरी जिम्मेवारी

से यह वक्तव्य दे रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने हमें कभी आमंत्रित नहीं किया और पंजाब समस्या के बारे में हमसे कभी चर्चा नहीं की। पंजाब विवाद को सुलझाने में उन्होंने कभी पंजाब की जनता के प्रतिनिधियों को विश्वास में नहीं लिया। इस सदन में जब विधेयक पर चर्चा हो रही थी, तो राजा वी० पी० सिंह के नेतृत्व में जनता दल ने सदन का बहिष्कार किया। किन्तु, यह वही सरकार थी जिसने राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह की अध्यक्षता में दो बार पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई। जब यह सरकार सत्ता से बाहर कर दी गई, तो राजा वी० पी० सिंह और उनके दल ने मांग की थी कि पंजाब में चुनाव करवाए जाएं।

मैं यह जानना चाहूंगा कि जब यह सरकार सत्ता में थी, तो उस समय क्या वह सो रही थी। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि वे पूरी ईमानदारी और गंभीरता से यह सोचते हैं कि पंजाब समस्या सुलझाई जाए और वहां चुनाव करवाए जाएं। यह सिर्फ एक ढोंग है। आज जब वे सत्ता से बाहर हैं, तो वे वर्तमान स्थिति का राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं।

पंजाब की वर्तमान स्थिति के लिए मैं किसी व्यक्ति को दोष नहीं दे रहा। किन्तु, मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि भारत के भूतपूर्व विदेश मंत्री, श्री आई० के० गुजराल आज पंजाब समस्या सुलझाने के बारे में बहुत गंभीर हैं। वे पंजाब की जनता से एक दृढ़ वायदा करके वहां से जीते थे, उन्होंने सिखों से पक्का वायदा किया था कि लोकसभा में चुने जाने के बाद वे सिखों की सही मांगें मनवाने का हरसंभव प्रयास करेंगे और पंजाब समस्या सुलझाने का वह पूरा प्रयास करेंगे। किन्तु अपने विदेश मंत्रित्व के काल में उन्होंने पंजाब की स्थिति के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। जब पंजाब में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए चर्चा चल रही थी, तो उनसे पंजाब के बारे में कुछ बोलने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि पंजाब की स्थिति के बारे में कोई भी कुछ नहीं कहना चाहता। किन्तु जब वे सत्ता से बाहर चले गए हैं तो वे फिर यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि वे पंजाब समस्या सुलझाने के लिए अत्यन्त गंभीर हैं।

श्री चन्द्रशेखर द्वारा पंजाब समस्या सुलझाने के लिए किया गया प्रयास इतिहास में एक महान कदम के रूप में लिखा जाएगा। यह उनके द्वारा लिया गया एक ऐतिहासिक कदम है। किन्तु, इसका कुछ परिणाम भी होना चाहिए। जब तक इसका कुछ परिणाम नहीं निकलता, तब तक यह देश के इतिहास का एक और काला अध्याय ही रहेगा जहां कुछ वायदा किए जाते हैं लेकिन, पूरे नहीं किए जाते और आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि पंजाब समस्या सुलझाने में कोई भी गंभीर, ईमानदार या निष्ठावान नहीं था।

7.00 म० प०

पिछले सत्र में मैंने यह मांग की थी कि सिखों के लिए अलग अधिनियम होने चाहिए। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, हिन्दू विवाह अधिनियम, हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम, हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम ये सभी अधिनियम धारा 2 के तहत सिखों पर भी लागू होते हैं जिसमें हिन्दू शब्द की परिभाषा में सिखों, बौद्धों और जैनों को भी शामिल किया गया है।

पिछले सत्र के दौरान, जब मैंने पंजाब के बारे में कहा था, तो इस सम्माननीय सदन में मैंने

[श्री राजदेव सिंह]

एक अपील की थी। मैंने कहा था कि पंजाब में स्थिति सुधारने के लिए पहला एकपक्षीय कदम यह उठाया जाना चाहिए था कि सिखों के लिए एक अलग पर्सनल लॉ होना चाहिए जैसे कि मुसलमानों व ईसाइयों के लिए है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हिन्दुओं से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से हिन्दू धर्म का काफी सम्मान करता हूं और मैं हिन्दू धर्म का, उनके अधिकारों का उनके रीति रिवाजों का और जिसे वे पसंद करते हैं, उन सबका आदर करता रहूंगा।

किन्तु प्रश्न यह है कि सिख यह सहन नहीं कर सकते कि उन्हें हिन्दू धर्म के एक अंग के रूप संबोधित किया जाए अथवा मेरे धर्म को हिन्दू धर्म का एक अंग कहा जाए। सिख धर्म का एक अलग धर्म है जिसके अलग रिवाज हैं, अलग परम्पराएं है, भिन्न-भिन्न व्यक्तिगत मान्यताएं हैं। वास्तव में हर चीज भिन्न हैं। इसलिए, सिख धर्म को पंजाब का एक अलग धर्म माना जाना चाहिए। इसलिए मैं दोबारा कहता हूं कि कुछ ऐसे एकपक्षीय कदम उठाए जाने चाहिएं जिससे पंजाब की स्थिति में सुधार आ सके।

पंजाब में लगातार दमन के विरुद्ध मैं अपनी आवाज फिर उठाना चाहता हूं। पंजाब में लगातार निर्दोष लोगों की हत्याओं के बारे में एक शब्द कहे बिना, कोई भी किसी को यह कहते सुनकर गंभीर नहीं रह सकता कि वहां पर पुलिस द्वारा दमन हो रहा है। मैं बार-बार निर्दोष लोगों की हत्याओं की निन्दा करता रहा हूं। और सभी सभ्य लोगों को पंजाब में निर्दोष लोगों की हत्या और पुलिस अर्द्ध-सैन्य बलों और सेना द्वारा किए जा रहे दमन की निन्दा करनी चाहिए अतः, राष्ट्रपति शासन को बढ़ाने से कोई लाभ नहीं होगा।

मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि पंजाब को हर केन्द्रीय या राज्य निकाय में प्रतिनिधि-विहीन बनाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। अब, विधान-सभा के चुनाव नहीं कराए जा रहे। यदि यह सभा भंग हो जाती है तो पंजाब में लोक सभा के चुनाव भी नहीं कराए जायेंगे और राज्य सभा में भी पंजाब का कोई प्रतिनिधि नहीं होगा। इसका अर्थ यह होगा कि पंजाब के पास राज्य स्तर या केन्द्रीय स्तर पर भारत की प्रजातन्त्रीय सत्ता व्यवस्था में कोई अधिकार नहीं होगा। यह अत्यन्त दुखद कदम होगा और इससे पंजाब में पूर्ण विद्रोह की उत्पत्ति होगी। यह एक अत्यन्त खतरनाक कदम भी होगा। यदि ऐसा होता है, तो अगली बार हम पंजाब सम्बन्धी चर्चा भी नहीं कर पाएंगे। अतः, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री नानी भट्टाचार्य (बरहामपुर) : महोदय, मैं इस पहलू पर अपने दल के विचार स्पष्ट करना चाहता हूं। शायद इस सभा में हम सब जानते हैं कि कतिपय विषयों पर सहमति होती है और हम सब सहमत हैं कि पंजाब में प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए।

दूसरे, आतंकवादी या खालिस्तानी, चाहे इन्हें कोई भी नाम दिया जाए, इन्हें बिना धर्म का विचार किये आम लोगों से अलग किया जाना चाहिए। तीसरे, पंजाब प्रशासन के पास रचनात्मक संकल्पना होनी चाहिए। किसी प्रकार की ज्यादतियां नहीं होनी चाहिए और निर्दोष लोगों की हत्याएं या सामूहिक हत्यायें नहीं होनी चाहिए।

इन्हीं बातों पर हमने पिछले वर्ष भी विस्तार से विचार किया था। अब, पहली बात तो मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेंगे। हम यहां पर रखे गए विधेयक

का विरोध करते हैं। इस बीच, जहां तक संवैधानिक उपबन्धों का प्रश्न है, हम उन पर पहले ही सुबह चर्चा कर चुके हैं। उन पर श्री सोमनाथ चटर्जी और अन्य माननीय सदस्यों ने चर्चा की थी। शायद, उस समय प्रो० दण्डवते भी यहां थे। अतः, वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की बहुत गुंजाईश है हमने यह प्रस्ताव इस सदन में पेश नहीं किया है।

दूसरे, हमें अपनी सभी शक्तियां पंजाब में प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया आरम्भ करने में लगानी चाहिए। जिन मुद्दों का मैंने अभी उल्लेख किया है, उन पर तुरन्त पालन किया जाना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं और देखते हैं कि पंजाब समस्या का समाधान कैसे होता है। मैं इस सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि सभी पंजाबी खालिस्तानी या उग्रवादी नहीं हैं, केवल कुछ लोग जो आम लोगों में आतंक फैला रहे हैं, वे ही पंजाब में ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। इसलिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार और प्रशासन—केन्द्रीय और राज्य प्रशासन को कार्यवाही करनी चाहिए।

अतः, हम इस प्रस्ताव का विरोध करते हैं।

श्री इन्द्र जीत (दार्जिलिंग) : अध्यक्ष महोदय, आपके निर्देश को ध्यान में रखते हुए, मैं अत्यन्त संक्षिप्त रूप में कहूंगा।

मुझे केवल दो संक्षिप्त बातें कहनी हैं। पहली बात यह है कि मैं पंजाब में चुनाव और आगे स्थगित कराए जाने के नए कदम का पूर्ण रूप से और दृढ़ता से विरोध करता हूं। इस तरह, हम पंजाब में कभी भी चुनाव नहीं करा पाएंगे। बार-बार चुनाव स्थगित किया जाना एक प्रकार से षडयन्त्रकारी लगने लगा है। हमें पंजाब में जल्द से जल्द चुनाव कराए जाने के बारे गम्भीरता से सोचना है। वास्तव में, मैं यह कहने का साहस करता हूं कि पंजाब में लोक सभा के चुनावों के साथ विधान सभा के चुनाव भी कराए जाने चाहिएं। इस प्रकार का प्रस्ताव रखते हुए मैं बिलकुल स्पष्ट हूं कि पंजाब के अधिकांश लोग राष्ट्रवादी, देशभक्त और देश के साथ हैं और केवल थोड़े से लोग ही पंजाब के भारत में रहने का विरोध करते हैं।

इसलिए, प्रधानमन्त्री, श्री चन्द्र शेखर को मेरा यह सुझाव है कि पंजाब में आगे बढ़कर चुनाव कराने चाहिएं और यह एक ओर राष्ट्रवादी ओर दूसरी ओर पृथकतावादी लोगों के बीच होना चाहिए इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे सभी राष्ट्रवादी शक्तियों को एक साथ लाया जा सके ताकि राष्ट्रवादी और पृथकतावादी लोगों के बीच बराबर की लड़ाई हो सके। मुझे इसमें कोई भी शंका नहीं है कि राष्ट्रवादी आराम से जीत जाएंगे। अतः, मेरा यह प्रथम प्रस्ताव है।

किन्तु इसमें, मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं। लगभग तीन महीने पहले, मुझे चण्डीगढ़ जाने का अवसर मिला था। तत्कालीन राज्यपाल श्री वीरेन्द्र वर्मा ने मुझे कुछ राजनैतिक नेताओं से बात करने का अवसर दिया था। उन सबसे मेरा सुझाव पसन्द किया था। उन्होंने महसूस किया था कि यह बहुत अच्छा है किन्तु फिर उन्होंने कहा कि यह व्यावहारिक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में क्या व्यावहारिक नहीं है? त्रासदी यह है कि हमारे राजनीतिज्ञ देश को अपने हितों से बढ़कर मानने को तैयार नहीं हैं। जब भी वे ऐसा करेंगे, तब कोई कठिनाई नहीं होगी। हमें एक राष्ट्रवादी मोर्चे के आधार पर चुनाव कराने चाहिएं और पांच वर्ष के लिए राष्ट्रवादी मोर्चा सरकार बनाएं। ऐसा किया जा सकता है, यदि विभिन्न दल देश के हितों को अपने से बड़ा मानें।

[श्री इन्द्र जीत]

अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह एक बहुत संक्षिप्त मुद्दा है—जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि मैं प्रधानमन्त्री, श्री चन्द्र शेखर को उग्रवादियों से वार्ता करने के उनके साहस पर बधाई देना चाहता हूं। मुझे दार्जिलिंग समझौते में शामिल होने का अवसर मिला था। यदि हम उस समय पश्चिमी बंगाल में मार्क्सवादी नेताओं के कहे अनुसार चलते तो हम दार्जिलिंग में कभी भी समाधान नहीं ढूंढ पाते।

श्री घीसिंग तथा सभी गोरखा नेताओं की राष्ट्र-विरोधियों के रूप में निन्दा की गई थी परन्तु उच्च स्तरीय नेताओं को मैंने विश्वास दिलाया था कि ये लोग राष्ट्र-विद्रोही नहीं हैं। पंजाब में भी जिन्हें उग्रवादी कहा जाता है, मैं यह कह सकता हूं कि इनमें से 99.9 प्रतिशत लोग राष्ट्र-विद्रोही नहीं है। वे नाराज हैं। हमें उनसे बातचीत करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : दार्जिलिंग समस्या का समाधान कैसे किया गया था ? क्या यह आपके कारण सुलझी थी ?

श्री इन्द्र जीत : मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि "उसमें मेरा भी कुछ हाथ था।"

श्री सोमनाथ चटर्जी : उसके लिए आप श्रेय मत लीजिए।

श्री इन्द्र जीत : मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि उसमें मेरा भी कुछ हाथ था।

श्री रूप चन्द पाल (हुगली) : इसका श्रेय पश्चिम बंगाल सरकार को जाता है।

श्री इन्द्र जीत : मुझे श्री ज्योति बसु तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी पर पूरा विश्वास है जिन्होंने मेरे इस दृष्टिकोण को स्वीकार किया है कि श्री घीसिंग तथा गोरखा नेता राष्ट्र-विद्रोही नहीं थे। मैं केवल कह रहा हूं···(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : वैसा कभी नहीं कहा गया हमने कहा था कि कुछ व्यक्ति उन्हें गुमराह कर रहे थे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इन्द्र जीत जी, आप कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें तथा अपनी बात समाप्त करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या श्री विप्लव बाबू तथा श्री पाल आर० मन्टोष अपना-अपना स्थान ग्रहण करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री इन्द्र जीत : आज उनके लिए यह बहुत अच्छा होगा कि वह कुछ कहने की कोशिश करें तथा मेरी निन्दा करें। ये ही मित्र मेरी इस छोटी सी भूमिका के लिए मेरी प्रशंसा कर रहे थे। (व्यवधान) महोदय, मेरा केवल इतना ही कहना है कि हमें सभी उग्रवादियों को राष्ट्र-विरोधी नहीं कहना चाहिए। वे नाराज हैं तथा उनके पास नाराज होने के कारण हैं। उनमें से कई के पास नाराज होने के कारण हैं। अत: मैं उन प्रयासों का स्वागत करता हूं तथा मैं समझता हूं कि हमें और आगे

बढ़ना चाहिए तथा बिना कोई शर्त रखे उनसे बातचीत करनी चाहिए सिवाए इस एक शर्त के कि वे भारतीय संविधान के अन्तर्गत ही वर्तमान सरकार से बात करेंगे।

केवल एक और अन्य बात मैं कहना चाहूंगा तथा मैंने वह पहले ही कह दी है। लोक सभा चुनाव के सम्बन्ध में मेरे अच्छे मित्र तथा मेरी ही नामराशि वाले श्री इन्द्रजीत गुप्त के विचारों से मैं पूरी तरह सहमत हूं। आप लोक सभा के चुनाव नहीं करा सकते जब तक कि आप विधान सभा चुनाव नहीं कराते हैं। अतएव हमें निश्चित रूप से इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।

अन्त में, एक और दूसरी छोटी सी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि पंजाब से निर्वाचित संसद सदस्यों को भी इसमें शामिल किया जाना है। यदि राष्ट्रपति अपने स्वतविवेक से इस सभा को भंग करने का निर्णय लेते हैं, तो मैं आशा करता हूं कि वर्तमान संसद सदस्यों को भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। मंत्री परिषद के समान ही एक परिषद का गठन किया जाना चाहिए जिसमें संसद सदस्यों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। मेरे लिए यह एक अत्यन्त खेद का विषय है कि इन सभी महीनों के दौरान संसद सदस्यों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है।

मैं आपका और अधिक समय नहीं लूंगा सिवाय यही कहूंगा कि मैं आशा करता हूं कि यदि हम वास्तव में ही पंजाब समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो हम सभी को अपने निजी स्वार्थों के स्थान पर देश को वरीयता देनी होगी।

[हिन्दी]

श्री नाथू राम मिर्धा (नागौर) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं शायद इस सदन में पहली दफा बोल रहा हूं, मन्त्री पद पर रहते हुए समय को छोड़कर। यह जो बात पंजाब के बारे में प्रस्ताव आया है उस पर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

पंजाब एक ऐसा सूबा है जोकि सारे हिन्दुस्तान को अन्न खिलाता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वहां के लोगों की आवाज बंद हुए कितने बरस हुए है और वह आखिर कितने बरस तक बंद रहेगी? वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। यह किस के जिम्मे है···(व्यवधान)···आप मेरी बात तो सुन लें। मैं अपने अन्दर की बात आपको बता रहा हूं। यह मियाद कब आएगी? पंजाब में चुनाव कराने की बात उठी। अभी एक सदस्य ने कहा कि हमने एक ऐसा स्टैंड लिया जिसकी वजह से वहां चुनाव नहीं कराये। चुनाव कराने की बात हमने सोची थी लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले कहते थे कि वहां चुनाव नहीं कराये जाएं। इनकी वजह से हम वहां चुनाव नहीं करा सके।

आज कानून और व्यवस्था की स्थिति पंजाब, असम और कई अन्य जगहों में खराब है। हम जितना चुनाव वहां डिले करेंगे उतनी ही ज्यादा स्थिति वहां बिगड़ेगी। इसलिए वहां के लोगों को सरकार बनाने का मौका देना चाहिए। आप वोट डालने का सही इंतजाम कर दीजिए। वहां के लोगों को वोट डालने से न रोका जाए ऐसी आप कोई व्यवस्था कर दें प्रधानमन्त्री जी यहां बैठे हुए हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि डरिये मत, चुनाव कराइये, चुनावों के बाद पंजाब से अच्छे परिणाम आयेंगे। लोक सभा के इलेक्शन के साथ ही पंजाब में और असम में चुनाव करा दीजिए। अगर आप चुनाव नहीं करायेंगे तो उतना ही देश के टूटने का खतरा बढ़ जाएगा। इसलिए वहां चुनाव करा दीजिए। इतना ही मुझे कहना था। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब श्री चित्त बसु बोलेंगे । कृपया संक्षेप में अपनी बात कहिएगा ।

श्री चित्त बसु (बारसात) : मैं अत्यन्त संक्षेप में ही कहूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि आप अत्यन्त संक्षेप में अपनी बात कह सकते हैं ।

(व्यवधान)

श्री चित्त बसु : मैं इस मुद्दे पर माननीय प्रधानमन्त्री जी से केवल स्पष्टीकरण चाहूंगा । (व्यवधान)

हमारा यह विचार है कि पंजाब समस्या एक राष्ट्रीय समस्या है तथा यह हमारा दृढ़ विश्वास है । अत: इस राष्ट्रीय समस्या पर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के अनुरूप ही विचार किया जाना चाहिए तथा राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ही इस समस्या का समाधान किया जाना है । यह समस्या देश की एकता, अखंडता तथा स्वतंत्रता की समस्या के साथ जुड़ी हुई है । अतएव मेरे विचार से पूरा सदन ही मुझसे इस बात पर सहमत है कि राष्ट्रीय समस्या का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ही प्रयास किए जाने चाहिए। प्रधानमन्त्री जी इसी दृष्टिकोण को मानकर चल रहे हैं। मैं प्रधानमन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि अब चूंकि वहां पर राष्ट्रपति शासन की अवधि के बढ़ने से छ: माह का समय और मिल गया है अत: मैं जानना चाहता हूं कि सरकार पंजाब में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए इस समय का किस प्रकार से सदुपयोग करने का विचार कर रही है ? इस सम्बन्ध में, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे विचार से इस समय राजीव-लोंगोवाल समझौता पंजाब समस्या के समाधान की दिशा में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है, क्या सरकार यह समझती है कि पंजाब सम्बन्धी यह समझौता अब अधिक महत्वपूर्ण नहीं है अथवा क्या सरकार यह समझती है कि इस समझौते पर आगे भी अमल किया जाना चाहिए तथा क्या सरकार यह देखेगी कि कुछेक एकतरफा कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि पंजाब की जनता की भावनाओं को शांत किया जा सके ताकि वह यह समझ सके कि सरकार पंजाब समस्या का समाधान करना चाहती है । मैं माननीय प्रधानमन्त्री जी की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं कि क्या वह राजीव-लोंगोवाल समझौते के आधार पर विशेषरूप से नदियों के जल के वितरण तथा सीमा सम्बन्धी विवाद तथा चण्डीगढ़ पंजाब को स्थानांतरण के सम्बन्ध में क्या वह कुछेक कार्रवाई करेंगे ।

माननीय प्रधानमन्त्री जी से जो मैं दूसरी बात जानना चाहता हूं वह यही है । पंजाब समस्या के कुछ बाहरी कारण भी हैं तथा वास्तव में यह समझा जाता है कि यह भारत-पाक सम्बन्धों तथा भारत-अमरीका सम्बन्धों से जुड़ी हुई है । क्या भारत सरकार इस बढ़ी हुई अवधि का सदुयोग पंजाब समस्या से जुड़े हुए बाहरी कारणों पर भी उचित रूप से विचार करके करेगी ?

मैं अन्तिम बात यूनाईटेड अकाली नेतृत्व के बारे में कहना चाहता हूं । उनके सदस्य यहां पर उपस्थित हैं । मैं आशा करता हूं कि वे भी पंजाब समस्या का शांतिपूर्ण समाधान करना चाहते हैं । पंजाब में इस समय आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं । पुरुष महिलाओं तथा बच्चों समेत सैंकड़ों लोगों की हत्याएं की जा रही है । क्या वे पंजाब में हो रही इन निर्दोष हत्याओं की निन्दा करेंगे ? यदि वे ऐसा करते हैं तब इससे भी पंजाब में सामान्य स्थिति बहाल करने में काफी मदद मिलेगी । मैं चाहता हूं कि

माननीय प्रधानमन्त्री जी यह कहें कि इस अवधि के दौरान पंजाब से आतंकवादी गतिविधियों को समाप्त करने के लिए पर्याप्त राजनैतिक तथा अन्य कार्यक्रम आरम्भ किए जाएंगे।

[हिन्दी]

प्रधान मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर) : अध्यक्ष महोदय, पंजाब के बारे में कई बार इस सदन में चर्चा हो चुकी है। आज भी चर्चा हुई, तो हम लोग उन्हीं कठिनाइयों का जिक्र करते रहे। यह दुःख की बात है कि फिर हमें सदन के सामने इसलिए आना पड़ा कि वहां पर राष्ट्रपति शासन छः महीने के लिए आगे बढ़ाया जाए। यह सही है कि कोई नहीं चाहता है कि चुनाव टलें, किसी भी इलाके में चुनाव टलें, यह बुरी बात है। पंजाब में बहुत दिनों से चुनाव नहीं हुए, इसलिए लोगों के मन में शंका पैदा होना एक स्वाभाविक बात है। पंजाब के जिन मित्रों ने इस चिन्ता को यहां पर प्रकट किया, मैं पूरी तरह से उनके साथ हूं। लेकिन एक बात मैं आपके जरिए इस सदन से कहना चाहूंगा कि यह जो समस्या है, वह कोई आज या कल पैदा नहीं हुई है। समस्या के पीछे पुरानी गुत्थियां और पुरानी कठिनाइयां हैं। हम चाहते हैं कि चुनाव हों, लेकिन चुनाव का अर्थ यह नहीं होता कि चुनाव के नाम पर हम जो चाहें सो करा लें और उसी को चुनाव की संज्ञा देकर के यह कहें कि वहां जनतन्त्र की हत्या नहीं हो रही है, जनतन्त्र को प्रश्रय मिल रहा है।

मैं केवल दो बातें चाहता था और अगर वे दो बातें पूरी हो जातीं, तो चुनाव के लिए कोई कठिनाई नहीं होती। मैं अपने मित्र, इन्द्रजीत गुप्ता जी, से बड़े विनम्र शब्दों में यह निवेदन करना चाहूंगा, कोई बड़ी शर्त नहीं, यह था कि चुनाव के पहले हत्या बन्द हो। लॉ-एंड-आर्डर का सवाल नहीं, कानून-और-व्यवस्था का सवाल नहीं है, जब वहां पर अपने को राजनीतिक तत्व कहने वाले लोग या अपने को उस इलाके के भविष्य के निर्माता करने वाले लोग खुले आम हत्या की बात करते हैं, तो बड़ी कठिनाई पैदा हो जाती है और उनके डर से लोगों के मन में भय पैदा हो, तो बड़ी कठिनाई पैदा हो जाती है कि हम लोगों को यह आश्वस्त कर सकें कि चुनाव बड़ी आजादी के साथ स्वतन्त्र वातावरण में होगा। मैं कई माननीय सदस्यों की इस बात से सहमत नहीं हूं कि धीरे-धीरे चुनाव न होने के कारण वहां पर अलगाव की भावना बढ़ती जा रही है। चुनाव न होने के कारण हमारे माननीय सदस्य न समझते हों, लेकिन पंजाब की जनता अच्छी तरह से समझती है, क्योंकि उन कठिनाइयों में उनको रहना पड़ रहा है, जिस आतंकवाद का सामना वे कर रहे हैं, उसको अच्छी तरह से वे जानते हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं कोई बड़ी उपलब्धि नहीं कहूंगा, लेकिन यह कहना वास्तविकता को पूरी तरह से झुठलाना है कि पिछले तीन महीनों में पंजाब में परिस्थितियों में अन्तर नहीं आया है, वहां कानून और व्यवस्था में थोड़ी अच्छाई आई है, थोड़ी शान्ति आई है। मैं नहीं कहता—हत्या बन्द हो गई है, मैं नहीं कहता—आतंकवाद बन्द हो गया है मैं नहीं कहता—वहां पर लोगों के मन में डर नहीं है, लेकिन यह बात कहना जो हमारे मित्र श्री अतिन्दर पाल सिंह और श्री राजदेव सिंह ने कही—मैंने कोई बात कही और मैं उससे मुकर गया—यह बात सही नहीं है। मैं फिर आज दोहराता हूं, मैंने कहा था—पंजाब की समस्या का हल आपसी बातचीत में है। मैं जब वहां के नेता सिमरनजीत सिंह मान से मिला था, तो उनसे मैंने कहा था—बातचीत होनी चाहिए और बातचीत ही का एक रास्ता ऐसा रास्ता है, जिससे समाधान निकलेगा। लेकिन उस समय उस बातचीत में, मैं बहुत बातें नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन प्रचार इस तरह से हो रहा है कि मुझे मजबूरन कहना पड़ता है। उसी समय मैंने सिमरनजीत

[श्री चन्द्र शेखर]

सिंह मान से कहा था कि आपको भी यह कहना होगा कि जो निर्दोष लोगों की हत्या होती है, वह हत्या बन्द होनी चाहिए। उन्होंने कहा था—हम सब लोग मिल करके कहेंगे, निर्दोष की हत्या बन्द होनी चाहिए। मैंने यह भी कहा था—उसके बावजूद भी अगर हत्या होती है और उस हत्या के लिए कोई जिम्मेदार है तो बड़े दु:ख के साथ और मजबूरी के साथ हुकूमत को उनके खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ेगी। हमने कभी नहीं कहा था कि आप एक तरफ से तो हत्या करते जाओ और दूसरी तरफ से बातचीत करते जाओ, यह दोनों चलता रहेगा और सरकार हाथ-पर-हाथ रख कर बैठी रहेगी। कोई भी सरकार, कोई भी समाज, कोई भी राज सत्ता, इस तरह की बातों को स्वीकार नहीं कर सकती। इसलिए मैंने उस समय बड़ी सफाई से कहा था और मुझे आश्चर्य होता है कि अब यह कहा जाता है कि आतंकवादियों को मारा जाता है। हम से तो कहा गया, ब्यान दिए गए कि आतंकवादी कोई हत्या निर्दोष की नहीं करेंगे, अगर कोई लोग हत्या कर रहे हैं और अगर वे लोग मारे जा रहे हैं, तो यह बड़े दु:ख की बात है, लेकिन यह मजबूरी की बात है। पिछले तीन महीनों के पंजाब के आंकड़े आप उठा लीजिए, हमारे चौधरी साहब कह रहे हैं कि चार महीनों में तो हालत बहुत बिगड़ गई। हमने हर समय कहा है कि अगर कोई आतंकवादी मारा गया है, तो उसका नाम दिया गया है, वह किस केसेज में था, उसमें था और जब आतंकवादी मारे गये हैं तो एक-दो हमारे पुलिस के नौजवान या तो मारे गए हैं या घायल हुए हैं। हर दम पुलिस की भर्त्सना करना, हर दम सुरक्षा बलों को कहना...

श्री कमल चौधरी : मैंने एक साल चार महीने कहा था।

श्री चन्द्र शेखर : ठीक है, जितना कहते हैं कहते रहिए, उससे कोई फर्क हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। (व्यवधान) उससे स्थिति नहीं बदलती है। इसलिए पिछले दो-तीन महीनों में एक भी घटना ऐसी नहीं होगी सिवाय एक घटना के जिसका जिक्र इन्होंने किया, जिसमें छ: (6) निर्दोष लोगों को मारा गया और उसका जिक्र मैंने यहां पर भी किया। उस समय भी मैंने कहा था कि अगर निर्दोष लोगों की हत्या होगी तो हमारे सुरक्षा बल के लोग सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए कदम उठाएंगे। यह कोई बड़ी बहादुरी की बात नहीं है, कोई बहुत अच्छी बात नहीं है क्योंकि कर्त्तव्य पालन के लिए हम मजबूर हैं और इस काम को करना पड़ा। अभी हमारी एक माननीय सदस्यों ने यह कह दिया कि अगर लोग नाराज हो जाएंगे तो बाहर की ताकतों से भी मदद लेंगे। अगर बाहर की ताकतों से मदद लेंगे बाहर की कोई ताकत हिन्दुस्तान की सीमा में आने की कोशिश करेगी, (व्यवधान) तो हजार नहीं 10 हजार, लाख लोगों को भी इसके लिए अगर मरना पड़े तो वह भी इसके लिए तैयार रहेंगे। (व्यवधान)

कुमारी मायावती : इस प्रकार आप लोगों की भावनाओं को नहीं कुचल सकते...

अध्यक्ष महोदय : मायावती जी आप बैठ जाएं। मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं, आप जो बोल रही हैं वह रिकार्ड में नहीं जाएगा।

(व्यवधान)*

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री चन्द्र शेखर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं किसी गुस्से में नहीं, बहुत विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि अगर भारत की एकता को तोड़ने के लिए अन्दर की या बाहर की कोई भी ताकत, इसके लिए कोशिश करेगी तो चाहे हजार या लाख लोगों का बलिदान करना पड़े, यह देश वह बलिदान करेगा और इस भारत की एकता को कायम रखेगा। मैं समझता हूं कि इस देश की यह परम्परा रही है कि हमारे देश के लोग इसके लिए कुर्बानी करने का ढंग जानते हैं और कभी-कभी राष्ट्र की एकता के लिए लोगों को बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। इसके लिए इतिहास में एक नाम इब्राहिम लिंकन का भी हुआ है, जिसने अपने देश में, देश की एकता के लिए सिविल वार का भी सामना किया था। भारत की धरती में भी वह शक्ति है कि देश की एकता को बनाए रखने के लिए हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे।

मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि इस बारे में कोई दुविधा नहीं है। कई बार कहा गया कि मैंने कहा है कि मैं खालिस्तान पर भी बात करूंगा। अध्यक्ष महोदय, सवाल यह नहीं है। मैं प्रेस क्लब में दिल्ली में बोल रहा था, अखबार के एक भाई ने पूछा आप कर रहे हैं कि अगर मिलिटेंट्स आएंगे तो आप उनसे बात करेंगे, उनसे हमने कहा कि हम सबसे बात करेंगे। उन्होंने कहा कि वे खालिस्तान की बात करते हैं तब भी आप उनसे बात करेंगे। मैंने कहा कि हम उनसे भी बात करेंगे, उन्होंने कहा कि जब वे कहेंगे कि हम खालिस्तान चाहते हैं तो हमने कहा कि हम उसी समय जवाब देंगे कि आप बेवकूफी की बात कर रहे हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने कहा था कि ये ऐसी गलत बातें हैं जिसके ऊपर बहस नहीं हो सकती। लेकिन मैं पहले से उन पर रोक नहीं लगाऊंगा कि अगर तुम खालिस्तान की बात करोगे तो मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखूंगा। यह मैंने कहा था कि वे आकर कहेंगे तो मैं कहूंगा यह निरर्थक बात है, बेमायने बात है और अवास्तविक बात है तथा यह देश की मर्यादा के विरुद्ध बात है। एक बात हमारे मित्र राजदेव जी ने कही कि मैंने कहा था कि मैं बात करूंगा, पता नहीं उनको किसने कहा, हमने पहले दिन से कहा कि देश के लोगों से जो बात होगी वह देश की सीमा के अन्दर होगी, देश की सीमा के बाहर नहीं होगी। मैंने कभी नहीं कहा था कि ऐसा नहीं है, जो उतावला है हर समय विदेश जाने के लिए, क्योंकि मैं विदेश बहुत कम जाता हूं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि विदेश जाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है और मैं किसी भी समय पर, कभी भी नहीं कहता कि दुनिया के किसी भी हिस्से में, देश की समस्याओं पर अगर देश के दो या चार नागरिक सरकार से बात करेंगे, तो उनसे देश की सीमाओं के अन्दर ही हम बात करेंगे और आज मैं कोई रहस्योद्घाटन नहीं कर रहा हूं, उनकी ओर से बात आई थी कि हम अमृतसर में, स्वर्ण-मन्दिर में बात करना चाहते हैं। हमने कहा कि हम स्वर्ण-मन्दिर में बात करने के लिए तैयार हैं, हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, और भी बातें कही गई, मैंने जब कहा कि जो आतंकवादी हैं, उनसे भी बात की जाएगी तो मेरे मित्र सैफुद्दीन चौधरी ने कहा कि उनको रांग-सिग्नल मिल गया है। मैं जब भी कोई बात कहता हूं तो सैफुद्दीन चौधरी को हर समय रांग सिग्नल मिलता है, लेकिन सही बात यह है कि कोई उनको रांग सिग्नल नहीं मिला, आज भी वे बात करने को तैयार हैं। आज भी उनसे हमारा सीधा नहीं, लेकिन आज भी वे हमसे संपर्क कर रहे हैं। अब अगर वे सिमरनजीत सिंह मान के जरिए हमसे संपर्क स्थापित नहीं कर रहे हैं और इससे राजदेव जी नाराज हैं तो इसमें मैं क्या करूं, मैं तो

[श्री चन्द्र शेखर]

उनको नहीं कह सकते कि आप सिमरनजीत सिंह मान को नेता मानकर मेरे पास आओ। एक नहीं अनेक, जिन-जिन पंथिक कमेटियों के इन्होंने नाम लिए, वे सीधे नहीं, बल्कि उनके लोगों ने संपर्क किया और वे शांतिपूर्ण ढंग से बात करना चाहते हैं और भारत के संविधान के अन्दर कोई रास्ता निकालना चाहते हैं। मैं यह जरूर कहूंगा कि बातचीत का हर ब्यौरा, हर समय अखबारों में या संसद में देकर कोई बातचीत नहीं हो सकती। मैं समझता हूं कि उस बातचीत से कोई गलत सिग्नल नहीं होता। बातचीत करने के लिए लोग तैयार हैं और बातचीत करने के लिए वे लोग कदम उठा रहे हैं और वह नहीं, चाहे पंजाब हो, कश्मीर हो, अध्यक्ष महोदय, आपके जरिए आज मैं इस सदन में कहना चाहूंगा कि पिछले दो महीनों में जितने आतंकवादी गुट हैं, उनके नेताओं ने बातचीत के जरिए मसले को हल करने की इच्छा जाहिर की है। कितनी उसमें कामयाबी मिलेगी, मैं नहीं कह सकता, लेकिन कोशिश जारी रखनी चाहिए, बातचीत जारी रखनी चाहिए। हम कोई अपनी ओर से उनके ऊपर प्रतिबन्ध नहीं लगा रहे हैं और मैंने उनसे यह भी कहा है कि अगर वे बातचीत करने के लिए कोई सुविधा चाहें तो हर सुविधा हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन विदेश में क्यों बात करेंगे, केवल इस डर से कि अगर वे यहां आ जाएंगे तो उनको पकड़ कर हम जेल में डाल देंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर वे इस देश की सीमाओं के बाहर हैं और हमारे कहने पर यहां आते हैं, अगर हमारी बात टूट भी जाती है तो उनको फिर से देश की सीमाओं के बाहर भेज देंगे, यह बात हमने उनसे कही थी। कोई अगर मेरे कहने पर आएगा तो उसको जबरदस्ती पकड़ कर जेल में बन्द नहीं किया जाएगा, मैं आज फिर इस बात को इस सदन के जरिए कहता हूं।

जहां तक बाहरी देशों से संपर्क की बात है, संपर्क है, उसमें भी कामयाबी मिली है, मैं यह नहीं कहता कि मेरी वजह से कामयाबी मिली है, लेकिन क्या यह सही नहीं है कि ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवादियों की मदद करना बन्द करे, क्या यह सही नहीं है कि अमरीका की सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान इस चीज को बन्द करे, क्या यह सही नहीं है कि अभी 4 दिन पहले जब कश्मीर में एक दुखद घटना हो गई, तो पाकिस्तान के रेडियो और टेलीविजन ने कहा कि कश्मीर में आतंकवादी जो कर रहे हैं, वह गलत है, एक महिला को गिरफ्तार करना या पकड़ना बुरी बात है। हम कोशिश कर रहे हैं, हम अचानक जादू से कोई चीज नहीं कर सकते, लेकिन बाहर से भी कोशिश जारी है, लेकिन मैं नहीं मानता कि देश की समस्या बाहर की मदद से हल हो, हम कोशिश कर रहे हैं, बाहर के लोगों को भी समझा रहे हैं कि हमारे देश के अन्दर अगर कोई इस तरह का उत्पात होगा और उसका आप समर्थन करेंगे तो इसमें आपका हित नहीं है, आपका लाभ नहीं है। हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार यह हुआ है कि जब ब्रिटेन ने कहा है कि शिमला सम्मेलन के बाद, पहले के जितने समझौते हैं भारत और पाकिस्तान के, वे सब निरर्थक हो चुके हैं, केवल शिमला सम्मेलन में जो प्रस्ताव पास हुआ था, वह सही है। पहली बार अमरीका ने कहा है कि अब पाकिस्तान को कश्मीर में सैल्फडिटर्मिनेशन की बात बन्द करनी चाहिए। पहली बार उन्होंने कहा है कि आतंकवादियों के साथ उनका रिश्ता नहीं होना चाहिए। पहली बार पाकिस्तान ने यह कहा है कि चाहे पंजाब हो, चाहे कश्मीर हो, आतंकवादी अगर कोई गड़बड़ी करते हैं तो हम उनके खिलाफ कदम उठाने के लिए तैयार हैं, उठाएंगे या नहीं, मैं नीयत नहीं बता सकता, लेकिन अगर कोई कहता है तो

उस पर विश्वास करना मैं अपना कर्तव्य, अपना फर्ज मानता हूं। झगड़ा करके, गुस्सा करके, नाराजगी दिखा कर, चुनौती देकर हम उनका सहयोग नहीं ले सकते।

अध्यक्ष महोदय, मैं फिर आपसे कहता हूं कि धर्म का सवाल क्यों उठाया जाता है। क्या अब सिक्ख धर्म की मीमांसा हमारे मित्र अतिन्दर पाल जी करेंगे, सिक्ख धर्म की मीमांसा नानक से लेकर गुरु गोविन्द सिंह ने की है। "एक ओंकार सत नाम" का पाठ करने वाला आदमी, क्या उसके बन्दे यह कहें कि क्योंकि दिल्ली में ब्राह्मणों का राज है, इसलिए पंजाब उससे अलग रहेगा। गुरुवाणी में एक सन्त के बाद दूसरे सन्त ने राम और कृष्ण की गाथा किस तरह से गाई है, किस तरह से हमारी सभ्यता और संस्कृति की अनेक धाराएं, जो उज्ज्वल धारा है, वैभवपूर्ण धारा है, हमें एक नई दिशा में ले जाती है, उसका बखान गुरुवाणी में किया गया है। मैं नहीं जाना चाहता सिख धर्म में, क्योंकि मैं उसका ज्ञाता नहीं हूं। यह ज्ञान तो इनको है। सिख धर्म की स्थापना हुई थी हिन्दू धर्म पर जो अत्याचार हो रहे थे उसके विरोध में। सिख धर्म हमेशा अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध है। गुरु तेग बहादुर अमृतसर से चलकर दिल्ली आए थे, इसलिए कि कश्मीर के पण्डितों के जनेऊ की रक्षा करनी है, उनकी चोटी की रक्षा करनी है। धर्म के मामले में ज्यादा पैठ आडवाणी जी की होगी या अतिन्दर पाल जी की होगी। लेकिन मैं आडवाणी जी से कहना चाहता हूं कि हमारे देश में अगर कोई कहता है कि हिन्दू धर्म अलग है, हिन्दू धर्म ने सबको देश में मिलकर चलना सिखाया। हिन्दू धर्म की यह विशेषता है कि सभी धर्मों को उसने अपने में समाविष्ट किया। किसी को हमने द्वेष दृष्टि से नहीं देखा, किसी को हमने दुत्कारा नहीं, किसी के साथ हमने भेदभाव नहीं किया। हमारे गुरुद्वारे हमारी सभ्यता और संस्कृति के उज्ज्वल प्रतीक हैं। हम सबको उनके ऊपर अभिमान है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए जब अमृतसर में 1983-84 में जब आपरेशन हुआ था तब मैंने यह कहा था कि यह हमारी परम्पराओं को तोड़ने का काम हो रहा है। इससे देश का मन टूट जायगा। उस समय किसी का समर्थन पाने के लिए नहीं, किसी का मत पाने के लिए नहीं कहा था। मैं जानता हूं देश की उज्ज्वल परम्पराएं जो बनती हैं, अध्यक्ष महोदय, वह करोड़ों लोगों की कुर्बानी से बनती हैं। उस कुर्बानी का अगर आप तिरस्कार करोगे, इतिहास आपको क्षमा नहीं करेगा। (व्यवधान)

कुमारी मायावती : हिन्दू धर्म के ठेकेदारों ने मूर्तियों को गंगा जल से क्यों धोया? क्या यह छुआछूत नहीं है? (व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : मैं मायावती जी से सहमत हूं। हिन्दू धर्म में अनेक विकृतियां आयीं। विकृतियां धर्म नहीं है, जो उसमें अलगाव है, टूटन है, वह धर्म नहीं है। धर्म शाश्वत है। विकृतियां समाज में थोड़े समय के लिए एक बिखराव है, भटकाव है। भटकाव को धर्म मत कहिए। जो भटकाव है उस भटकाव को मिटाना होगा। मैं समझता हूं कि छुआछूत हिन्दू धर्म की कोई मौलिक मान्यता नहीं है। हमारे देश में आप राम की परम्परा देखें। राम शबरी के झूठे बेर खा सकते हैं। (व्यवधान)

कुमारी मायावती : आप यह बताएं कि हिन्दू धर्म में खराबी नहीं है तो राम ने सम्बूक ऋषि को क्यों मारा?

श्री चन्द्र शेखर : दुनियां के हर धर्मों में समय-समय पर भटकाव आता है, दुनियां के हर धर्म में डिस्टारशन्ज और विकृतियां आती हैं। दुनियां का एक भी धर्म नहीं है जो बताए हुए रास्ते पर, ऋषियों के रास्ते पर चलता है। हिन्दू धर्म में भी यह हुआ है। उसको हमें मिटाना चाहिए, बदलना चाहिए।

शुभ पक्ष है, कल्याणकारी पक्ष है, अशुभ पक्ष है उसको मिटाना चाहिए। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा, मैं मानता हूं कि सिखों की अपनी मान्यता है, उसकी परम्परा है, पुरुषार्थ की परम्परा, त्याग की परम्परा। लेकिन उस परम्परा के ऊपर अभियान न करके यह कहना कि हमारी एक अलग धारा है, आप उसके नाम पर, धर्म के नाम पर भारत से उसको अलग करना चाहते हो क्या आपने कभी सोचा है नन्देड साहिब का क्या होगा, पटना साहिब का क्या होगा ? क्या कभी आपने सोचा है कि नानक देश के एक कोने से दूसरे कोने तक घूमे थे, केवल चन्द लोगों के लिए नहीं घूमे थे, इस देश की सभ्यता और संस्कृति को एक सूत्र में पिरोने के लिए घूमे थे। आज हम उस संस्कृति की एकता को, उस तन्तु को तोड़ने की बात कर रहे हैं। जब हम बातचीत के रास्ते से पंजाब की समस्या का रास्ता निकालना चाहते हैं तो इसलिए कर रहे हैं।

हमारे मित्र इन्द्र जीत जी ने राजनीतिक सवाल उठाया, बहुत सही सवाल था, कि लोक सभा का चुनाव होगा या नहीं ? मैं इस समय तुरन्त नहीं कह सकता कि पंजाब में लोक सभा का चुनाव होगा या नहीं। लेकिन लोक सभा का चुनाव हो तो जरूर विधान सभा का चुनाव हो, यह तर्क हमारी समझ में नहीं आया। इसलिए मैं आपको बता दूं, हमने एक बात और कही थी, एक आश्वासन देना होगा पंजाब के राजनीतिज्ञों को कि संसदीय जनतन्त्र की संस्थाओं को, संसदीय जनतन्त्र से मिटाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

[अनुवाद]

लोकतान्त्रिक संस्थाओं का उपयोग लोकतन्त्र और इस देश की एकता तथा अखंडता को तोड़ने में नहीं किया जायेगा।

[हिन्दी]

यह आश्वासन कौन देने को तैयार है ? यहां पर यह काम आप नहीं कर सकते। विराट देश है और इस देश की विराटता हमारे लिए एक शक्ति है।

लेकिन आज मैं खुदकुशी कर लूं दूसरे जन्म की तमन्ना में तो मैं अक्लमन्द नहीं हूं।··· (व्यवधान) आज चुनाव करा दूं डेमोक्रेसी चलाने के लिए तो उसका दूसरा अर्थ निकल जायेगा। मैं नहीं समझता हूं कि निकलेगा। अगर कोई मौका है तो उस शंका पर विचार करना होगा। दूसरे जन्म की तमन्ना में खुदकुशी मत कीजिए। मेरी आपसे यही फरियाद है। हम चाहते हैं कि जल्दी चुनाव हो, हम चाहते हैं कि अगले दो महीनों में इस लायक हो सकेंगे। मैं शायद यह अनहोनी बात नहीं कहता जैसे हमको संकेत मिल रहे हैं। वह दूसरे संकेत हैं जो सैफुद्दीन वाले सिगनल नहीं हैं। उन सिगनल्स से ऐसा लगता है कि अगले दो-तीन महीनों में हो सकेंगे और कह सकेंगे कि न केवल पंजाब में और न केवल कश्मीर में चुनाव हों, भारत में कोई भी ऐसा राज्य या अंचल नहीं होगा जिसमें चुनाव की व्यवस्था न कर सकें। आज परिस्थितियां विकृत हैं। लेकिन विवशता और दुःख के साथ हमें यह प्रस्ताव रखना पड़ा है। मुझे विश्वास है कि इस प्रस्ताव का आप समर्थन करेंगे। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ (छिंदवाड़ा) : महोदय, मैंने एक संकल्प प्रस्तुत किया है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : संकल्प क्या है ?

[हिन्दी]

मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं इसलिए रेजोल्यूशन नहीं आ सकता।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा पंजाब राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 11 मई, 1987 को जारी की गई उद्घोषणा को 11 मई, 1991 से और छः महीने की अवधि के लिए जारी रखने का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष जी, पूरा जनता दल वाक-आउट करता है।

(इस समय श्री राम विलास पासवान और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

[अनुवाद]

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं।

कुमारी मायावती : पंजाब में चुनाव होने चाहिएं।

(व्यवधान)

———

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे 28 फरवरी, 1991 को न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 124(4) के अन्तर्गत भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश श्री० रामास्वामी को भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद से हटाने के लिए भारत के राष्ट्रपति को एक संबोधन प्रस्तुत करने हेतु प्रो० मधु दंडवते तथा सभा के 107 अन्य सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित दिनांक 27 फरवरी, 1991 के निम्नलिखित प्रस्ताव की एक सूचना प्राप्त हुई है—

"यह सभा संकल्प करती है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति वी० रामास्वामी को उनके निम्नलिखित कदाचार के कार्यों के लिए पद से हटाने हेतु राष्ट्रपति को एक सम्बोधन प्रस्तुत किया जाये :—

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न किया गया।

1. कि नवम्बर, 1987 और अक्टूबर, 1989 के बीच पंजाब और हरियाणा के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान न्यायमूर्ति वी० रामास्वामी ने अपने आवास और उच्च न्यायालय के लिए स्वयं अत्यधिक ऊंची कीमतों पर चुनिन्दा डीलरों से सार्वजनिक निधि के लगभग 50 लाख रुपये की लागत के गलीचे और फर्नीचर खरीदे। यह कार्य सार्वजनिक निविदाएं आमन्त्रित किए बिना और निजी रूप से बन्द कुटेशन, जिनमें से अधिकांश नकली या बोगस थीं, प्राप्त करके किया गया।

2. कि उन्होंने ऐसे फर्नीचर और गलीचों के लिए चुनिन्दा डीलरों को भुगतान करवाया जो प्रकट रूप से उनके आवास के लिए खरीदे गए थे परन्तु वास्तव में लिए नहीं गये।

3. कि उन्होंने अपने सरकारी आवास के लिए न्यायालय की निधि से 1,50,00 रुपए से भी अधिक लागत के कुछ फर्नीचर और गलीचों का गबन किया और उनका कोई लेखा-जोखा नहीं दिया।

4. कि उन्होंने 30,009 रुपये से अधिक मूल्य के फर्नीचर की अनेक वस्तुओं, गलीचों और सूटकेसों आदि को, जो उन्होंने सार्वजनिक निधि से अपने सरकारी आवास के लिए खरीदे थे, अनुचित लाभ उठाने की दृष्टि से पुरानी और घटिया किस्म की वस्तुओं से बदल दिया।

5. कि उन्होंने सरकारी निधि से चंडीगढ़ स्थित अपने सरकारी आवास के लिए 13 लाख रुपये से भी अधिक मूल्य का फर्नीचर तथा अन्य संबद्ध वस्तुएं खरीदीं जबकि वे केवल 38,500/- रुपए मूल्य के फर्नीचर के लिए ही हकदार थे। कि इस प्रक्रिया में वे जानबूझ कर अनेक नियमों से बचे तथा ऐसी खरीद के लिए बिलों को खंडित करके धन की मंजूरी दी।

6. कि उन्होंने उच्च न्यायालय के लिए प्रतियोगी कुटेशन मांगे बिना अति अधिक बढ़ाए गए मूल्यों पर मद्रास स्थित अपने गृह नगर की एक फर्म से 3,60,000/- मूल्य के चांदी के 25 मेस खरीदे। यह खरीद, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के इस आधार पर विरोध किये जाने कि यह बिलकुल अनावश्यक हैं तथा ये औपनिवेशिक काल के अवशेष प्रतीत होते हैं, के बावजूद की गई।

7. कि उन्होंने पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में 22-1/2 महीनों के कार्यकाल के दौरान अपने चंडीगढ़ स्थित आवासीय दूरभाषों पर गैर-सरकारी कालों के लिए न्यायालय के 9.10 लाख रुपए खर्च करके सरकारी धनराशि का दुरुपयोग किया।

8. कि यहां तक कि मद्रास स्थित अपने आवासीय दूरभाषों के लिए पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा 76,150 रुपये का भुगतान करवा के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में अपने अधिकार का दुरुपयोग किया।

9. कि उन्होंने अपनी स्टाफ कारों को छुट्टियों के लिए चंडीगढ़ से पर्वतीय स्थलों तथा अपने पुत्र के विवाह के लिए मद्रास ले जाकर उनका दुरुपयोग किया तथा इन स्टाफ कारों के पेट्रोल के भुगतान हेतु सरकारी धनराशि से एक लाख रुपये से भी अधिक खर्च किया। यहां

तक कि उन्होंने पेट्रोल के झूठे बिल तथा कार की मरम्मत आदि से संबंधित अन्य झूठे बिल देकर धनराशि प्राप्त की ।

10. कि उन्होंने मनोरंजन हेतु किए गए दौरों को या उनके अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा मद्रास, मसूरी, मनाली आदि जैसे स्थानों के अपने व्यक्तिगत कार्य हेतु किए गए दौरों को, जबकि इन स्थानों पर कोई सरकारी कार्य नहीं किया जाना था, सरकारी दौरों के रूप में मंजूरी दी ।

11. कि उन्होंने उच्च न्यायालय के ऐसे कई अधीनस्थ कर्मचारियों को, जिनका उन्होंने अपनी सहायता के लिए तथा अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए किए गए उपर्युक्त कार्यों को दुष्प्रेरित करने के लिए दुरुपयोग किया, 18 महीनों के अन्दर अनुचित ढंग से बार-बार बार पदोन्नत किया ।"

इस प्रस्ताव को सही मानते हुए मैंने इसकी स्वीकृति दे दी है । मैंने न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 की धारा 3 की उपधारा (2) के अनुसरण में निम्नलिखित तीन सदस्यों की एक समिति गठित की है जो उन कारणों के बारे में जांच करेगी जिनके आधार पर न्यायमूर्ति वी० रामास्वामी को हटाए जाने के लिए प्रार्थना की गई है :—

(1) माननीय न्यायमूर्ति पी० बी० सावंत
भारत का उच्चतम न्यायालय ।

(2) माननीय न्यायमूर्ति पी० डी० देसाई
मुम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति ।

(3) माननीय न्यायमूर्ति ओ० चिन्नप्पा रेड्डी
भारत के उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश ।

समिति जहां तक हो सकेगा शीघ्र ही अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

जांच समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने तक यह प्रस्ताव लंबित रहेगा ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है ।

7.47 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई ।

———

मुद्रक : प्रिन्टवैल प्रिंटर्स, पटपड़ गंज ।